



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2015/आषाढ़ 23, 1937

No. 246]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2015/ASHADHA 23, 1937

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

मिसिल सं. 12-13/2006-के.हो.प. (पार्ट-V).—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ), की धारा 33 के खण्ड (झ), (ज) और (ट) व धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 में आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2015 होगा।
(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. प्रवृत्त:— ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जो शैक्षणिक सत्र (2015-16) से आरंभ होने वाले बी0एच0एम0एस0 (डिग्री) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे।
3. होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983, के विनियम 2 (यहाँ इसके पश्चात् मूल विनियम के रूप में उद्धृत) में,—

(अ) खण्ड (i) के पश्चात्, निम्न खण्ड की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात्:—

'(i) अ) "नैदानिक कार्य" से अभिप्रेत है अस्पताल में रोग—वृत्त लेना व रोगियों का इलाज करना है';

(ब) खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्न खण्ड की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात्:—

'(ii) अ) "प्रदर्शन" से अभिप्रेत है एक शिक्षण कार्य अर्थात् कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया गया हो उसे प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक रूप में यथार्थ करने की प्रविधि है';

(स) खण्ड (vi) के पश्चात्, निम्न खण्ड की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात्:—

'(vi) अ) "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर निगम तथा पंचायत हैं';

(द) खण्ड (vii) के पश्चात्, निम्न खण्ड की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

'(viii) अ) "गोष्ठी" से अभिप्रेत है शिक्षण संकाय तथा छात्रों के बीच पाठ्यक्रम से संबंधित किसी एक विशेष विषय या विषयों पर चर्चा (आपसी विचार विर्माण सहित) हेतु एक सत्र या सत्रों का आयोजन हो।

(य) खण्ड (x) के पश्चात्, निम्न खण्ड की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

'(x) अ) "शिक्षकीय" से अभिप्रेत है एक शिक्षक तथा छात्रों का एक छोटा समूह जिन के बीच पाठ्यक्रम के भाग/हिस्से के तौर पर एक विषय पर विचार विर्माण हेतु नियमित बैठक हो';

4. मूल विनियमों में, विनियम 3 में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्न खण्ड की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

"(iv) प्रत्येक छात्र संबंधित महाविद्यालय में प्रथम बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम ग्र्याह वर्षों में सभी विषयों की परीक्षा पास करने तथा अनिवार्य गृह शिक्षिता पूर्ण करने सहित पाठ्यक्रम पूरा करेगा, अन्यथा महाविद्यालय से उस का नाम हटा दिया जायेगा"।

5. मूल विनियमों में, विनियम 4 में, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"4. योग्यता पात्रता :— (i) किसी भी अभ्यार्थी को बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक कि उसने उत्तीर्ण नहीं किया हो :—

(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बारह वर्ष की शिक्षण अवधि के पश्चात् जो कि 10+2 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के स्तर के समकक्ष हो, विज्ञान के अन्तिम दो वर्षों में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान व गणित के साथ या अन्य किसी ऐच्छिक विषयों अंग्रेजी के साथ जहाँ अंग्रेजी बुनियादी पाठ्यक्रम के स्तर से कम न हो, सम्मिलित हो, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा और राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा अनुशंसित 10+2+3 वर्षों के शिक्षण ढाचे के पश्चात्, लागू किया गया हो;

या

(ख) भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा लेने वाली संस्था द्वारा आयोजित विज्ञान में इन्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक, रसायन तथा जीवविज्ञान में इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय भी हो;

या

(ग) उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षा, या पूर्व विश्वविद्यालय अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान के साथ पूर्व-व्यावसायिक/ पूर्व-चिकित्सीय(मेडिकल) परीक्षा भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान में प्रायोगिक परीक्षा एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषय भी हो;

या

(घ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष, भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान जिसमें इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित हो तथापि परीक्षा विश्वविद्यालय ने ली हो तथा अभ्यार्थी ने अंग्रेजी कम से कम बुनियादी स्तर के पाठ्यक्रम 10+2 स्तर पर उत्तीर्ण की हो;

या

(ङ.) अन्य कोई परीक्षा जो, कि कार्यक्षेत्र एवं स्तर में एक भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड द्वारा इन्टरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के समकक्ष, भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान तथा इन विषयों में प्रत्येक में प्रायोगिक परीक्षा सहित तथा अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय हो;

(ii) किसी भी अभ्यार्थी को बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के वर्ष में 31 दिसम्बर को या उस से पूर्व 17 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर ले।

(iii) किसी भी अभ्यार्थी को बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा यदि वह नेत्रहीन (वर्णान्ध सहित), बधिर, मूक, बधिर व मूक हो।"

6. मूल विनियमों में, विनियम 4 के पश्चात्, निम्न विनियम की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

"4अ. छात्रों के चयन का आधार :— (i) छात्रों का चयन मात्र छात्र की गुणवत्ता को रखा जायेगा तथा गुणवत्ता के निर्धारण हेतु देश में निम्न प्रणाली अपनाई जायेगी, अर्थात् :—

(क) राज्यों में, जहाँ केवल एक आर्युविज्ञान महाविद्यालय है और एक विश्वविद्यालय या परीक्षक संस्था योग्यता निर्धारण परीक्षा लेती हो, ऐसी योग्यता निर्धारण परीक्षा में प्राप्त अंक संज्ञान में लिए जायेगे।

(ख) राज्यों में, जहाँ योग्यता निर्धारण परीक्षा करने हेतु एक से अधिक विश्वविद्यालय अथवा परीक्षक संस्था हों अथवा जहाँ एक से अधिक आर्युविज्ञान महाविद्यालय एक ही निकाय के प्रशासनिक नियंत्रण में हो, एक योग्यता निर्धारण परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जिससे मूल्यांकन हेतु एकरूपता स्थापित की जा सके।

(ग) जहाँ पर राज्य में एक से अधिक महाविद्यालय हों तथा एक विश्वविद्यालय या परीक्षक बोर्ड हो, तब सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा विष्वविद्यालय की संकाय अथवा परीक्षक बोर्ड जैसा भी मामला हो, के एक प्रतिनिधि को लेकर राज्य सरकार द्वारा सभी महाविद्यालयों में योग्यता निर्धारण हेतु परीक्षा में मूल्यांकन में एकरूपता लाने के एक संयुक्त चयन बोर्ड गठित करेगी।

(घ) अखिल भारतीय स्तर के संस्थानों हेतु केन्द्रीय सरकार अपने आप अथवा इसके द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्था योग्यता निर्धारण परीक्षा आयोजित करेगी।

(ii) योग्यता पात्रता निर्धारण परीक्षा में वही अभ्यार्थी प्रवेश योग्य होगा जिसने विनियम 4 के नीचे उल्लेखित चयनित परीक्षाओं में से किसी एक को उत्तीर्ण किया होगा।

परन्तु, एक अभ्यार्थी यदि किसी योग्यतापात्रता निर्धारण परीक्षा में सम्मिलित होता है जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया हो, तो उसे प्रवेश परीक्षा में अननंतिम रूप में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है तथा यदि अभ्यार्थी का चयन बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हो जाता है, तो उसे तब तक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह विनियम 4 में उल्लेखित योग्यता मानदंड को पूरा नहीं कर लेता।

7. मूल विनियमों में, विनियम 5 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—

"5. विषयः— बी.एच.एम.एस. (डिग्री) पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन तथा परीक्षा के लिए निम्न विषय होंगे, अर्थात् :—

क्रम सं.	विषय का नाम	शिक्षण के विषय	परीक्षा का आयोजन
1.	शरीर रचना विज्ञान	प्रथम बी.एच.एम.एस.	प्रथम बी.एच.एम.एस. के अंत में।
2.	शरीर क्रिया विज्ञान	प्रथम बी.एच.एम.एस.	प्रथम बी.एच.एम.एस. के अंत में।
3.	आर्गनन ऑफ मेडिसिन तथा होम्योपैथी दर्शन धास्त्र	प्रथम बी.एच.एम.एस., द्वितीय बी.एच.एम.एस., तृतीय बी.एच.एम.एस. तथा चतुर्थ बी.एच.एम.एस.	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ बी.एच.एम.एस. के अंत में।
4.	होम्योपैथिक भेषज	प्रथम बी.एच.एम.एस.	प्रथम बी.एच.एम.एस. के अंत में।
5.	होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका	प्रथम बी.एच.एम.एस., द्वितीय बी.एच.एम.एस., तृतीय बी.एच.एम.एस. तथा चतुर्थ बी.एच.एम.एस.	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ बी.एच.एम.एस. के अंत में।
6.	विकृति विज्ञान	द्वितीय बी.एच.एम.एस.	द्वितीय बी.एच.एम.एस. के अंत में।
7.	न्याय आर्युविज्ञान तथा विष विज्ञान	द्वितीय बी.एच.एम.एस.	द्वितीय बी.एच.एम.एस. के अंत में।
8.	ओषध साम्यास	तृतीय तथा चतुर्थ बी.एच.एम.एस.	चतुर्थ बी.एच.एम.एस. के अंत में।
9.	शल्य चिकित्सा	द्वितीय तथा तृतीय बी.एच.एम.एस.	तृतीय बी.एच.एम.एस. के अंत में।

10.	स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान	द्वितीय तथा तृतीय बी.एच.एम.एस.	तृतीय बी.एच.एम.एस. के अंत में ।
11.	सामुदायिक औषध	तृतीय तथा चतुर्थ बी.एच.एम.एस.	चतुर्थ बी.एच.एम.एस. के अंत में ।
12.	रेपर्टरी	तृतीय तथा चतुर्थ बी.एच.एम.एस.	चतुर्थ बी.एच.एम.एस. के अंत में ।

8. मूल विनियमों में, विनियम 6 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“6. डिग्री पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य विवरण:— बी.एच.एम.एस.(डिग्री) पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यविवरण निम्न होगा ।

शरीर रचना विज्ञान

निदेश:—

I (क) शरीर रचना विज्ञान में निदेश इस प्रकार से नियोजित किए जाएंगे जिससे मानव शरीर की संरचना का कार्यसाधक ज्ञान पेश किया जा सके ।

(ख) एक छात्र द्वारा स्मरण करने हेतु विवरण की विस्तृता को कमतर किया जाना चाहिए ।

(ग) शव की स्थूल संरचना के स्थान पर सजीव विषय के व्यावहारिक संरचना तथा सामान्य शारीरिक संरचना तथा अतंरांग (विसरा), मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं, तंत्रिका और लसवाहिकाओं की विस्तृत स्थितियों व संबंधों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए एंव शव का अध्ययन इस को प्राप्त करने के संबंध में एक साधन मात्र है ।

(घ) शरीर की सूक्ष्म संरचनात्मक विवरणों, जिसका कि कोई नैदानिक महत्व न हो, के बोझ तले छात्रों को नहीं दबाया जाना चाहिए ।

II यद्यपि संपूर्ण शरीर का विच्छेदन छात्र को उसके नैदानिक ज्ञान अर्जन के लिए नितान्त आवश्यक है, किन्तु शव विच्छेदन का बोझ कम किया जा सकता है जिससे बहुमूल्य समय की बचत हो सकती है, यदि अंग रेखांकन वर्णनों को कम किया जाय एंव निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय:—

(1) मात्र ऐसे के विवरण जो आयुर्विज्ञान छात्रों के लिए शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक उपयोगिता रखते हों ।

(2) विच्छेदन का उद्देश्य छात्र को धरीर को उसके कार्यों को संदर्भित करते हुए समझना है, तथा विच्छेदन को इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तैयार किया जाना चाहिए ।

(3) शरीर रचना का सामान्य विकिरण (रेडिओलोजिकल) प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक प्रशिक्षण का भी भाग होना चाहिए एंव शरीर की संरचना को इसके क्रियात्मक पहलुओं से जोड़ते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(4) विच्छेदन पूर्व संबंधित अंग या तन्त्र जो विच्छेदनाधीन है, की कार्य संरचना पर संभाषण किया जाना चाहिए । इस प्रकार विद्यार्थियों को शरीर रचना व शरीर क्रिया विज्ञान संबंधित जानकारी सामुहिक रूप में दी जाए और शरीर रचना तथा शरीर क्रियाओं का समस्त पाठ्यक्रम अधिक रोचक, जीवन्त एंव व्यावहारिक अथवा नैदानिक बनाया जाए ।

(5) शरीर रचना को सैद्धान्तिक सम्भाषणों का अधिकतर भाग (ट्यूटोरियल) शिक्षकीय कक्षाओं, प्रदर्शनियों की ओर स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

(6) विद्यार्थी शारीरिक रचना के नमूनों तथा संरचनाओं जो कि विच्छेदन में प्रदर्शित हों, की पहचान कर सके ।

(7) पाठ्यक्रम के पश्चात्वर्ती भाग में नैदानिक एंव अनुप्रयुक्त धरीर रचना विज्ञान में संभाषण अथवा प्रदर्शनों की व्यवस्था की जानी चाहिए एंव इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को शारीरिक चिन्हों को शरीर रचना के आधार तथा शरीर रचना विज्ञान के मूल्यों की जानकारी देना होना चाहिए ।

(8) इन विषयों को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करने हेतु सामयिक रूप में गोष्ठियों व सामुहिक चर्चाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ।

(9) प्रदर्शनियों तथा प्रिक्षकीय पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । सामान्य शरीर रचना की स्थिती व अंतरांगों (विसरा), मासपेषियों, रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं तथा लसवाहिकाओं के व्यापक संबंधों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ।

(10) षरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव-रसायन विज्ञान विभाग के साथ सामुहिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए जो कि महिने में एक बार आयोजित हो ।

(11) स्थूल षरीर रचना विज्ञान, उत्तक विज्ञान, भ्रूण विज्ञान तथा आनुवांषिकी, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान जीव रसायन सहित का प्रिक्षण एकीकृत व सम्यक रूप में होना चाहिए ।

अ. सैद्धान्तिक :

(क) मानव शरीर रचना विज्ञान, शरीर के रचना के विभिन्न भागों के सामान्य व्यावहारिक जानकारी के साथ एक पूरा पाठ्यक्रम है ।

पाठ्यचर्चा में निम्न सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

1. सामान्य शरीर रचना विज्ञान

1.1 कोषिका एंव इसके संघटकों की आधुनिक संकल्पनाएँ, कोषिका विभाजन, प्रकार तथा उनका महत्व ।

1.2 उत्तक

1.3 आनुवांषिकी

2. पारिवर्धनजनन्य शरीर रचना विज्ञान (भ्रूण विज्ञानः)

2.1 षुक्राणु अनुवांषिकी

2.2 डिम्बजनन

2.3 षुक्राणु परतो का बनना

2.4 भ्रूण जनित डिम्ब का विकास

2.5 नाल

2.6 उदरीय अंगों का विकास

2.7 हृदय वाहिका तंत्र का विकास

2.8 तंत्रिका तंत्र का विकास

2.9 श्वास प्रणाली का विकास

2.10 घारीरिक गुहिकाओं का विकास

2.11 मूत्र-जननांग प्रणाली का विकास

3. क्षेत्रीय षरीर रचना विज्ञान

यह निम्न क्षेत्रों के अन्तर्गत पढ़ाया जाएगा :-

3.1 सिर, गर्दन तथा चेहरा, मस्तिष्क

3.2 वक्ष

3.3 उदर

3.4 उर्ध्व शाखा तथा निम्न शाखा

3.5 विषेष ज्ञानेन्द्रियाँ

उपरोक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक निम्न को सम्मिलित करेगा :—

- (अ) अस्थिप्रकरण
- (आ) संधिप्रकरण (जोड़ें)
- (इ) पैशी प्रकरण
- (ई) वाहिका प्रकरण
- (उ) तंत्रिका विज्ञान
- (ऊ) आषय प्रकरण
- (ए) पृष्ठ शरीर
- (ऐ) अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान
- (ओ) विकिरणीय धरीर रचना विज्ञान

4. ऊतक विज्ञान (सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान):

आ. प्रायोगिक:

1. संपूर्ण मानव शरीर का विच्छेदन, विच्छेदित भागों का प्रदर्शन ।
2. अंगों तथा ऊतकों के ऊतकीय स्लाइड की पहचान ।
3. छात्र प्रयोगिक अथवा नैदानिक पुस्तिका तथा विच्छेदन कार्डों का रखरखाव करेंगे ।

(इ) परीक्षायें:

1. सैद्धान्तिक:

शरीर रचना विज्ञान की परीक्षा के दो प्रब्ल पत्र होंगे:—

1.1 प्रब्ल पत्र—I

- क. सामान्य शरीर रचना विज्ञान ।
- ख. सिर, चेहरा, गर्दन, केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र, उधर्व शाखाएं तथा भ्रूण विज्ञान ।

1.2 प्रब्ल पत्र-II

- क. वक्ष, उदर, श्रोणि, निम्न शाखाएं ऊतक विज्ञान (सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान) ।

2. प्रायोगिक परीक्षा मौखिक सहित निम्न को सम्मिलित कर होगी :—

2.1 अंक : 200

2.2 अंकों का वितरण

अंक

2.2.1 विच्छेदित अंगों का ज्ञान

20

2.2.2 अंतरांग

20

2.2.3 हड्डियाँ

20

2.2.4 सतह शरीर रचना

10

2.2.5 पहचान करना (रेडियोलॉजी तथा ऊतक विज्ञान सहित) (स्पाइंग)

20

2.2.6 प्रायोगिक रिकार्ड अथवा पुस्तिकाओं का रखरखाव व विच्छेदन कार्ड का रखरखाव

10

2.2.7 मौखिक

100

कुल

200

शरीर क्रिया विज्ञान

निदेशः

- I (क) शरीर क्रिया विज्ञान संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाने का उद्देष्य विभिन्न अंगों एवं प्रणालियों के आपसी संबंध, कार्य, तथा प्रक्रियों एवं तथा रोग में सामान्य गड़बड़ियों तथा छात्र को निदान में जॉच करते समय सामान्य मानकों से भटकाव संबंधित के इलाज हेतु तैयार करना है।
- (ख) एक होम्योपैथ के लिए पूर्ण मानव शरीर तथा मस्तिष्क मानव जीव एक एकीकृत संपूर्ण शारीरिक इकाई के रूप में होता है यद्यपि जीवन में सम्मिलित रसायनिक—भौतिक प्रक्रियाएँ इसे उत्कर्ष बना देती हैं।
- (ग) मानव जीवन के चेतन में जैव शक्ति बिना किसी रोग के लक्षण प्रकट नहीं हो सकते हैं वास्तविकता में यह जैव शक्ति प्रमुखतः रोग में अस्त—व्यस्त हो जाती है।
- (घ) शरीर क्रिया विज्ञान में स्वस्थता में भौतिक प्रक्रियाओं के आधारभूत रूप के वर्णन सहित पढ़ाया जायेगा।
- (ङ) अंगों सहित प्रत्येक प्रणाली के अनुप्रयुक्त पहलु पर विषय को पढ़ाते हुए बल दिया जाएगा।
- II (क) जबकि विभिन्न प्रणालियों को पढ़ाया जा रहा हो विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग होना चाहिए।
- (ख) शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान पाठ्यक्रम को सहभागिता से दोनों विभागों को इन विषयों का अध्यापन कराना चाहिए।
- (ग) घरीर रचना विज्ञान, घरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव—रसायन विज्ञान में संभाषणों और गोष्ठियों का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए जिससे छात्रों को एकीकृत दृष्टिकोण अधिक सार्थक महसूस होने का अहसास हो।

अ. सैद्धान्तिक

पाठ्यचर्या निम्न को समाहित करेगी, अर्थात् :-

I. सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान

1. कोशिकीय शरीर क्रिया विज्ञान का परिचय
2. कोषिकीय संयोजन
3. कोषिकीय झिल्ली के माध्यम से परिवहन तथा विश्रान्ति झिल्ली सामर्थ्य
4. शारीरिक द्रव्य कक्ष
5. समस्थापन

II. शारीरिक द्रव्य

- 1 रक्त
- 2 प्लाजमा प्रोटीन
- 3 लाल रक्त कोषिकाएं
- 4 लोहित कोषिका जनन
- 5 हीमोग्लाबिन तथा आयरन चयापचय
- 6 लोहित कोषिका अवसदन दर (ESR)
- 7 ऐकड कोषिका आयतन तथा रुधिर सूचकांक
- 8 अरक्तता
- 9 रक्त संलयन तथा लाल रक्त कोषिकाओं की भंगुरता
- 10 श्वेत रक्त कणिकायें
- 11 प्रतिक्षमता / उन्मुक्ति

- 12 प्लेटेलेट्स
- 13 रक्त संभन
- 14 रक्त स्कंदन
- 15 रक्त समूह
- 16 रक्ताधान
- 17 रक्त आयतन
- 18 जालीय अतःकला प्रणाली तथा ऊतक बृहतभक्षककोषिका
- 19 लसीका तंत्र तथा लसीक
- 20 ऊतक द्रव्य तथा षोफ (एडीमा)

III. हृदयवाहिका प्रणाली

- 1 हृदयवाहिका प्रणाली का परिचय
- 2 हृदय मॉसपेषियों के गुण
- 3 हृदय चक्र
- 4 परिसंचरण के सामान्य सिद्धांत
- 5 हृदय ध्वनियां
- 6 हृदयवाहिका प्रणाली का विनियमन
- 7 सामान्य तथा असामान्य विद्युतहृद लेख (ई.सी.जी.)
- 8 हृदय उत्पादन (कार्डियक आउटपुट)
- 9 हृदयगति
- 10 धमनी रक्तचाप
- 11 रेडियल नाड़ी
- 12 क्षेत्रीय परिसंचरण —प्रमस्तिष्ठ, आषयिक संबंधित, षिरिका, त्वचीय तथा कंकालीय मॉसपेषियों परिसंचरण
- 13 व्यायाम के दौरान हृदयवाहिकाओं का समायोजन

IV. श्वसन प्रणाली तथा पर्यावरण शरीर क्रिया विज्ञान

- 1 श्वसन प्रणाली की रचना एंव कार्य
- 2 श्वसन प्रक्रिया: संवातन, गैसों का प्रसार
- 3 श्वसन गैसों का परिवहन
- 4 श्वसन का विनियमन
- 5 फेफड़ों का कार्यत्मक परीक्षण
- 6 अधिक ऊचाई तथा अंतरिक्ष शरीर क्रिया विज्ञान
- 7 समुद्र की गहराई में शरीर क्रिया विज्ञान
- 8 कृत्रिम श्वसन
- 9 व्यायाम का श्वसन पर प्रभाव

V. पाचन प्रणाली :

- 1 पाचन प्रणाली का परिचय
- 2 पाचक रसों की रचना व कार्य

- 3 आमाषय, अग्न्याषय, यकृत तथा पित्ताषय, छोटी आत्र, तथा बड़ी आत्र की शारीरिक रचना व क्रियाएं।
- 4 जठरांत्र पथ की गतिषीलता
- 5 जठरांत्र के हार्मोन
- 6 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड (वसा) का पाचन तथा अवषोषण

VII. वृक्क की क्रिया प्रणाली तथा त्वचा:

- 1 वृक्क तथा मुत्र पथ की शारीरिक रचना व क्रिया।
- 2 वृक्क संचलन
- 3 मूत्र रचना: वृक्क की निकासी, कोषिकनिस्यन्दन, नलकीय पुर्नअवषोषण, चयनात्मक स्त्राव, पुर्नअवषोषण, मूत्र साद्रता, मूत्र का अमलीकरण।
- 4 वृक्क क्रिया जॉच
- 5 मुत्रण
- 6 त्वचा
- 7 पसीना
- 8 शरीर का तापमान तथा इसका विनियमन

VIII. अन्तः स्नाविकी:

1. अन्तः स्नाविकी का परिचय
2. हार्मोन तथा अधचेतक—पीयुषिका अक्ष
3. पीयुषिका ग्रंथि
4. अवटु ग्रंथि
5. पराअवटु
6. अग्न्याषय के अंतःस्नावी कार्य
7. अधिवृक्क बाह्यक
8. अधिवृक्क मज्जा
9. अन्य अंगों के अंतःस्नावी कार्य

VIII. प्रजनन प्रणाली

- 1 पुरुष प्रजनन प्रणाली—अंडकोष तथा इसके हार्मोन, वीर्य पुटिका, पुरस्थ ग्रंथि, वीर्य
- 2 स्त्री जननांग प्रणाली का परिचय
- 3 मासिक धर्म चक्र
- 4 डिम्बरक्षण
- 5 रजोनियृति
- 6 बांझपन
- 7 गर्भावस्था तथा प्रसव
- 8 नाल
- 9 गर्भावस्था जॉच
- 10 स्तन ग्रंथि तथा स्तनपान

11 प्रजनन शवित

12 भ्रूण रक्त प्रसार

IX. केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र

1 तंत्रिका तंत्र का परिचय

2 तंत्रिका कोषिका (न्यूरॉन)

3 तंत्रिका बंध

4 रिसेप्टर

5 अन्तर्गथन

6 तंत्रिका संचारक

7 प्रतिवर्त

8 मेरुदंड

9 दैहिक संवेदी प्रणाली तथा दैहिक आज्ञावाही (मोटर) प्रणाली

10 वेदना की क्रिया

11 मस्तिष्क स्तम्भ, कर्ण कोटर उपकरण

12 प्रमस्तिष्क प्रान्तस्था

13 चैतक (थेलेमस)

14 अध्येतक (हाइपोथेलेमस)

15 आन्तरिक कैप्सूल

16 आधार कंडिका

17 सीमांत प्रणाली (लिम्बिक)

18 अनुमस्तिष्क — आसन तथा संतुलन

19 जालीदार संरचना

20 प्रग्राहक (प्रोप्रायोसेप्टरस)

21 उच्च बौद्धिक कार्य

22 विद्युत मस्तिष्क लेख (ईईजी)

23 निद्रा की क्रिया

24 प्रमस्तिष्कमेरु द्रव्य (सीएसएफ)

25 स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली

X. विषेष इंद्रियँ:

1 ऑख : दृष्टि का प्रकाषरसायन, दृश्य मार्ग, तारा प्रतिवर्तक, रंग दृष्टि, अपवर्तन की त्रुटियाँ

2 कानः श्रवण मार्ग, श्रवण तंत्र, श्रवण दोष

3 स्वाद की अनुभूति : स्वादप्रग्राहक, स्वाद मार्ग

4 गंध की अनुभूति : गंध प्रग्राहक, गंध मार्ग

5 स्पर्श की अनुभूति

XI. तंत्रिका पेषीय शरीर क्रिया विज्ञान

1 तंत्रिका पेषीयों की क्रिया के गुण

- 2 तंत्रिका तंतु — प्रकार, वर्गीकरण, कार्य, परिधीय तंत्रिका का पुनरोदय व परिधीय तंत्रिकाओं का उत्थान
- 3 तंत्रिका पेशी संधि
- 4 कंकालीय मॉसपेषियों की क्रिया
- 5 हृदय मॉसपेषियों की क्रिया
- 6 स्मूथ मॉसपेषियों की क्रिया
- 7 कंकालीय मॉसपेषियों की गड़बड़ियाँ तथा ई.एम.जी.

XII. जैव—शारीरिक विज्ञानः

- 1 निस्यंदन
- 2 अतिसूक्ष्मनिस्यंदन
- 3 परासरण
- 4 विसरण
- 5 अधिषोषण
- 6 जलानुवर्तन
- 7 कोलोआड
- 8 डोनन संतुलन
- 9 अनुज्ञापक तत्व
- 10 डाइलेसिस
- 11 अवषोषण
- 12 स्वांगीकरण
- 13 सतही तनाव

ब. प्रायोगिकः

- I. रुधिर विज्ञान
- 1 यौगिग सुक्ष्मदर्शी अध्ययन
 - 2 रुधिर विज्ञान का परिचय
 - 3 रक्त नमूनों का संग्रहण
 - 4 हिमोग्लोबिन सान्द्रता मापन
 - 5 हिमेटोक्रिट का निर्धारण
 - 6 हिमोसाइटोमीटरी
 - 7 कुल लाल रक्त कोषिकाओं की गणना
 - 8 लाल रक्त कोषिकाओं का सूचकांक
 - 9 कुल सफेद रक्त कोषिकाओं की गणना
 - 10 रक्त आलेप का बनाना तथा जॉच
 - 11 विभेदी सफेद रक्त कोषिकाओं की गणना
 - 12 एब्सोल्युट इसोनेफिल गणना
 - 13 ईरोथरोसाइट तलछटीकरण निर्धारण
 - 14 रक्त समूहों का निर्धारण

- 15 लाल कोषिकाओं की परासरणी भंगुरता
- 16 रक्त स्त्राव समय तथा जमावट समय का निर्धारण
- 17 बिम्बाणु (प्लेटेलेट) गणना
- 18 जाललोहित कोषिका (रेटिकुलोसाइट) गणना

II. मानवीय परीक्षणः

- 1 साधारण जॉच
- 2 श्वसन प्रणाली – नैदानिक परीक्षण, स्पाइरोमीटरी, स्टैथोग्राफी
- 3 जठरा ऑत प्रणाली – नैदानिक जॉच
- 4 हृदयवाहिका तंत्र – रक्त दाब मापन, बहीप्रकोष्ठिका (रेडियल) नाड़ी, ईसीजी, नैदानिक जॉच
- 5 तंत्रिका तथा मॉसपेषी क्रिया – मोसोज इरगोग्राफी, हैंडिग्रिप डाइनेमोमीटर
- 6 तंत्रिका प्रणाली – नैदानिक जॉच
- 7 विषेष इंद्रियों – नैदानिक जॉच
- 8 प्रजनन प्रणाली – गर्भावस्था का निदान

जीव रसायन

अ. सैद्धांतिकः

1	कार्बोहाइड्रेट: रसायन, चयापचय ग्याकोलाइसिस, टीसीए, एचएमपी, ग्लाइकोजैन सिंथेसिस तथा डिग्रेडेशन, रक्त शर्करा विनियमन)
2	लिपिडः (रसायन, चयापचय, ऑत्रिय ग्रहण मात्रा (अपटेक), वसा परिवहन, संग्रहित वसा की उपयोगिता, वसीयअम्ल की सक्रियता, बीटा ऑक्सिडेषन तथा वसीय अम्ल का संलेषण)
3	प्रोटीनः (रसायन, चयापचय, प्रोटीन का पाचन, ट्रांसमीषन, एमीनीहरण, अमोनिया का परिणाम, यूरिया चक्र, प्रत्येक अमिनो अम्ल तथा उनके टीसीए चक्र में प्रवेष का अंतिम परिणाम)
4	एन्जाइमः (परिभाषा, वर्गीकरण, जैविक महत्ता, निदान प्रयोग, संदर्भ)
5	विटामिन – (दैनिक आवश्यकताएँ, आहार स्रोत, रोग तथा क्रियाओं का योगदान)
6	खनिज : (दैनिक आवश्यकता, आहार स्रोत, रोग तथा क्रियाओं का योगदान)
7	अंग कार्य की जॉचें

ब. प्रायोगिकः

- 1 उपकरणों अथवा उपस्करणों के प्रयोग का प्रदर्शन
- 2 कोर्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड का गुणात्मक विष्लेषण
- 3 मूत्र का सामान्य चरित्र
- 4 मूत्र के असामान्य घटक
- 5 रक्त में शर्करा, कुल प्रोटीन, यूरिक एसिड की गुणात्मक गणना
- 6 यकृत कार्य की जॉचें
- 7 वृक्त कार्य की जॉचें
- 8 लिपिड प्रोफाइल
- 9 जैवरासायनिक जॉच के परिणामों की चर्चा तथा व्याख्या

स. परीक्षा:

1. सैद्धांतिकः

(1)	प्रज्ञ पत्रों की संख्या	—	02
(2)	अंक : प्रज्ञ पत्र I	—	100
(3)	प्रज्ञ पत्र II	—	100

1.1 अंतर्वर्स्तुः

1.1.1 प्रश्न पत्र—I:

सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान, जैव भौतिकी, शारीरिक द्रव्य, हृदयवाहिका प्रणाली, जालीय अंतःकला प्रणाली, श्वसन प्रणाली, उर्त्सर्ग प्रणाली, शारीरिक तापमान का विनियमन, त्वचा, पेशीय तंत्रिका क्रिया ।

1.1.2 प्रज्ञ पत्र—II:

अतः स्त्रीवी प्रणाली, केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली, पाचन प्रणाली एंव चयापचय, प्रजनन प्रणाली, ज्ञानेनद्रियाँ, जैव रसायन, पोषण ।

2. मौखिक सहित प्रायोगिकः

2.1 अंकः 200

2.2	अंकों का वितरण	<u>अंक</u>
2.2.1	प्रयोग	50
2.2.2	चिह्नित करना (स्पॉटिंग)	30
2.2.3	प्रायोगिक रिकार्ड / पुस्तिका का रख रखाव	20
2.2.4	मौखिक	<u>100</u>
	कुल	<u>200</u>

आर्गेनन ऑफ मेडिसन तथा होम्योपैथिक दर्शन

निर्देशः

- I (क) आर्गेनन ऑफ मेडिसन तथा होम्योपैथिक दर्शन एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि चिकित्सक को वैचारिक संकल्पनात्मक आधार प्रदान करता है ।
- (ख) यह उन सिद्धांतों को स्पष्ट करता है जिन्हें जब साम्यास में प्रयोग किया जाता है तो चिकित्सक को परिणाम प्राप्त होते हैं जिनको वह चिकित्सा साम्यास में अधिक सक्षमता से तार्किक व बुद्धिसंगत रूप से समझ सकता है ।
- (ग) ध्यान तथा प्रशिक्षण का प्रमुख ध्येय होम्योपैथिक दर्शन का संकल्पनात्मक आधार तैयार किया जाना है जिसे चिकित्सा साम्यास के लिए प्रयोग किया जा सके ।
- II होम्योपैथी को सम्पूर्ण औषध प्रणाली के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए जिसमें जीवन, स्वास्थ्य, रोग, इलाज तथा रोग मुक्ति के प्रति तार्किक, समग्र व्यैक्तिक तथा बहु आयामी दृष्टिकोण हो, एवं इसकी प्राप्ति हेतु तर्क, मनोविज्ञान तथा होम्योपैथी के मूलभूत आधारों का ध्यान में एकीकरण किया जाना आवश्यक है ।
- III (क) इस ध्येय की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि प्रेरक तथा निगमनात्मक तर्क, मनोविज्ञान तथा होम्योपैथी के मूलभूत सिद्धांतों के समझने में इनका उपयोग किया जाय ।
- (ख) उपचार में होम्योपैथी का दृष्टिकोण आध्यात्मिक समग्रतात्मक है एवं यह रोग प्रक्रिया तथा इसके कारणों के अध्ययन में, रोगी को एक व्यक्ति, स्वभाव, उसकी मानसिक तथा शरीर की स्थिति, के साथ समझ की आवश्यकता मांगती है ।

(ग) चूंकि होम्योपैथी मन की जानकारी पर अधिक बल देती है अतः मनोविज्ञान के प्राथमिक तथा आधारभूत ज्ञान एक होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए आनिवार्य हो जाता है तथा मनोविज्ञान का परिचय विद्यार्थी को इस दिषा में सैद्धांतिक ज्ञान का आधार प्रदान करने में सहायक होगा ।

IV आर्गेनन ऑफ मेडिसिन विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय करेगा जहाँ कि विद्यार्थियों को पूर्व-नैदानिक तथा नैदानिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है एवं यह न केवल अन्य संबंधित विभागों के साथ समग्रता प्रदान करेगा अपितु विद्यार्थियों में अन्य विषेषज्ञता के क्लिनिकों में भाग लेने हेतु अत्मविष्वास भी बढ़ाएगा ।

प्रथम बी0एच0एम0एस0

अ. **सैद्धांतिक:**

1. प्रारंभिक संभाषण:

- 1.1 प्राचीन आयुर्विज्ञान साम्यास का विकास (पूर्व ऐतिहासिक औषध, ग्रीक औषध, चीनी औषध, हिन्दू औषध एवं पुनर्ज्ञान) एवं प्रयोगद्वित, तर्कसंगत एवं महत्वपूर्ण ओजस्वी विचारों को खोजना ।
- 1.2 हनेमन की जीवनी, होम्योपैथी की खोज एवं उनके योगदान, होम्योपैथी की खोज को मार्गदर्शन करने की परिस्थितियों का संक्षिप्त इतिहास ।
- 1.3 होम्योपैथी के अग्रणीय नामतः सी.वी. बोनिंगहासेन, जे.टी. केन्ट, सी. हेरिंग, राजेन्द्र लाल दत्त, महेन्द्र लाल सिरकार, का लघु इतिहास व योगदान ।
- 1.4 भारत, यू.एस.ए. तथा युरोपीय देशों में होम्योपैथी का विकास तथा इतिहास ।
- 1.5 होम्योपैथी के मौलिक सिद्धांत ।
- 1.6 आधारभूत संकल्पना:
 - 1.6.1 स्वास्थ्य : हैनिमन संकल्पना तथा आधुनिक संकल्पना ।
 - 1.6.2 रोग : हैनिमन संकल्पना तथा आधुनिक संकल्पना ।
 - 1.6.3 आरोग्य
- 1.7 हनेमेन का आर्गेनन आंफ मेडिसिन, तथा इसके विभिन्न संस्करण और निर्माण ।

2. तर्क:

आर्गेनन ऑफ मेडिसिन तथा होम्योपैथिक दर्शन को समझने के लिए, यह आवश्यक है कि अगनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क के आधारों से परिचित किया जाय ।

आगनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क पर प्रारंभिक संभाषण (स्टुअर्ट क्लॉज की दर्शन शास्त्र के अध्याय 3 तथा 16 से उद्भूत)

3. मनोविज्ञान:

- 3.1 मनोविज्ञान के आधार ।
- 3.2 व्यवहार तथा बुद्धिमता का अध्ययन ।
- 3.3 संवेदनाओं की आधारभूत संकल्पना ।
- 3.4 मनोभाव, प्रेरणा, व्यक्तित्व, उत्कंठा, द्वंद्व, निराषा, हताषा, भय, मनःकायिक अभिव्यक्तियाँ ।
- 3.5 स्वज्ञ ।
4. आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के सूत्र 1 से 28
5. होम्योपैथिक प्रतिनिरोधक ।

ब. **परीक्षा:**

प्रथम बी0एच0एम0एस0 के विषय में परीक्षा नहीं होगी ।

द्वितीय बी०एच०एम०एस०

अ. सैद्धांतिकः

- 1 आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के पाद टिप्पणी सहित सूत्र 29–104 (आर. ई. डजन तथा डब्ल्यू. बोरिक द्वारा अनुवादित 5वाँ व 6ठा संस्करण)
- 2 **होम्योपैथी दर्शन :**
 - 2.1 जे.टी. केन्ट के दर्शन शास्त्र के अध्याय (अध्याय 1 से 17, 23 से 27, 31 से 33), स्टुअर्ट कलॉज (अध्याय 8, 9, 11, 12) तथा एच.ए.राबर्ट्स (अध्याय 3,4,5,6,8,9,11,17,18,19,20) आर्गेनन ऑफ मेडिसिन सूत्र 29–104 से संबंधित ।
- 2.2 **लक्षणीकी :**

लक्षणिकी के विस्तरित विवरण की समझ हेतु आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के संबंधित सूत्रों और होम्योपैथी दर्शन शास्त्र के संबंधित अध्यायों का उद्धरण दिया जाना चाहिए ।
- 2.3 **रोग कारण :**

रोग के क्रमिक विकास की पूर्ण समझ के लिए आवश्यक है, प्रवृत्ति मूलभूत, उत्तेजक तथा कायम रखने वाले कारणों को ध्यान में रखना ।
- 2.4 **रोगवृत्त लेना :**

होम्योपैथिक रोग वृत्त लेने का उद्देश्य मात्र रोगी के रोग लक्षणों को इकट्ठा करना नहीं है अपितु व्यक्ति को सम्पूर्ण तथा लक्षणों को सही गुणता से समझ पाने जो कि रोग की उत्पत्ति एवं बिमारी को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी हो । रोगवृत्त दर्ज करने के लिए हनेमन की संकल्पना जैसा कि आर्गेनन ऑफ मेडिसिन में उद्धरित है, पर बल दिया जाना चाहिए ।
- 2.5 रोगवृत्त लेने की पद्धति, जो सम्मिलित करती है,
 - (i) लक्षणों का विष्लेषण,
 - (ii) लक्षणों का मूल्यांकन,
 - (iii) मियाजमैटिक निदान,
 - (iv) लक्षणों की संपूर्णता ।

ब. प्रयोगात्मक या चिकित्सीयः

1. विद्यार्थियों की नैदानिक नियुक्ति द्वितीय बी०एच०एम०एस० से आरम्भ होगी ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम दस तीव्र (एक्यूट) रोगवृत्त रखेगा ।

स. परीक्षा:

1. **सैद्धांतिकः**

- 1.1 प्रज्ञ पत्रों की संख्या— 01
- 1.2 अंक : 100
- 1.3 अंको का वितरण:
 - 1.3.1 तर्क — 15 अंक
 - 1.3.2 मनोविज्ञान — 15 अंक
 - 1.3.3 होम्योपैथी के मौलिक सिद्धांत तथा सूत्र 1 से 104 — 50 अंक
 - 1.3.4 होम्योपैथिक दर्शन — 20 अंक

2. **प्रायोगिक मौखिक सहितः**

- 2.1 अंक: 100
- 2.2 अंको का वितरण
- 2.2.1 रोग वृत्त लेना तथा प्रसंस्करण

अंक

40

2.2.2	प्रायोगिक रिकार्ड / पुस्तिका का रखरखाव	10
2.2.4	मौखिक	<u>50</u>
	कुल	<u>100</u>

तृतीय बी0एच0एम0एस0

अ. सैद्धांतिक :

प्रथम तथा द्वितीय बी0एच0एम0एस0 में अध्ययन किये गये सूत्रों को दोहराने के अतिरिक्त निम्न का भी अध्ययन कराया जायेगा, अर्थात् :—

- 1 हनेमन के आर्गनन ऑफ मेडिसिन की प्रस्तावनाएँ और परिचय
- 2 हनेमन के आर्गनन ऑफ मेडिसिन के सूत्र 105 से 294, पाद टिप्पणियों सहित (आर. ई. डज़न तथा डब्ल्यू. बोरिक द्वारा अनुवादित 5वाँ व 6ठाँ संस्करण)
- 3 जे.टी. केन्ट के दर्शन शास्त्र के (अध्याय 28, 29, 30, 34 से 37), स्टुअर्ट क्लॉज (अध्याय 7,10, 13, 14,15) तथा एच. ए. राबर्टस (अध्याय 7,10, 12 से 19, 21, 34) आर्गनन ऑफ मेडिसिन के सूत्र 105 से 294 ।

ब. प्रायोगिक या नैदानिक :

प्रत्येक विद्यार्थी जो कि तृतीय बी0एच0एम0एस0 परीक्षा में बैठ रहा हो वह 20 रोग वृत्तों (10 तीव्र तथा 10 जीर्ण) केसों का रिकार्ड रखेगा ।

स. परीक्षा :

1.	सैद्धांतिक	
1.1	प्रज्ञ पत्रों की संख्या—01	
1.2	अंक : 100	
1.3	अंकों का वितरण:	
1.3.1	सूत्र 1 से 294 60 अंक	
1.3.2	होम्योपैथिक दर्शन 40 अंक	
2.	प्रायोगिक मौखिक सहित :	
2.1	अंक : 100	
2.2	अंकों का वितरण	<u>अंक</u>
2.2.1	रोग वृत्त लेना तथा केस प्रसंस्करण	40
2.2.2	प्रायोगिक रिकार्ड / पुस्तिका का रख रखाव	10
2.2.4	मौखिक	<u>50</u>
	कुल	<u>100</u>

चतुर्थ बी0एच0एम0एस0

अ. सैद्धांतिक :

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय बी0एच0एम0एस0 में अध्ययन किये गये सूत्रों को दोहराने के अतिरिक्त निम्न का भी अध्ययन कराया जायेगा, अर्थात् :—

1. प्राचीन आयुर्विज्ञान साम्यास का विकास (पूर्व ऐतिहासिक औषध, ग्रीक औषध, चीनी औषध, हिन्दु औषध एवं पुनर्ज्ञान) एवं प्रयोगद्वित, तर्कसंगत एवं महत्वपूर्ण ओजस्वी विचारों को खोजना ।

- 2 हनेमन के आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के सूत्र 1 से 294, पाद टिप्पियों सहित (आर.ई. डज़्न तथा डब्ल्यू बोरिक द्वारा अनुवादित 5वाँ व 6ठाँ संस्करण)
- 3 स्टुअर्ट क्लॉज का दर्षन शास्त्र (अध्याय 1, 2, 4, 5, 6, 8, 17), जे.टी. केन्ट (अध्याय 18 से 22), तथा एच.ए.राबर्टस (अध्याय 1 से 5, 20,22 से 33, 35) तथा रिचर्ड ह्यूजेज (अध्याय 1 से 10) तथा सी. डनहम (अध्याय 1 से 7)।
- 4 जीर्ण रोग
- 4.1 हनेमन का जीर्ण रोगों का सिद्धांत
- 4.2 जे एच. ऐलन का जीर्ण मियाज्म (क्रोनिक मियाज्म) – सोरा एवं सुडो सोरा, साइकोसिस ।
- (क) प्रत्येक मियाज्मैटिक स्तर का विकास तथा भिन्न स्तरों पर चारित्रिकी की अभिव्यक्ति एवं हनेमन के जीर्ण मियाज्म के सिद्धौत को अच्छे प्रकार से समझाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए ।
- (ख) औषध की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त ज्ञान के आलोक में मियाज्मों के चारित्रिकियों की व्याख्या की जानी चाहिए ।
- (ग) विष्कक साम्यास में जीर्ण मियाज्मों के उपचारार्थ प्रयुक्त सिद्धांतों को स्पष्टरूप से समझायेंगे जिससे कि प्राकृतिक रोग के क्रमिक विकास को मियाज्म के दृष्टिकोण से समझा जा सके एवं इसे अनुप्रयुक्त मेटेरिया मेडिका के साथ सहसंबंध स्थापित किया जा सके ।

ब. प्रायोगिक अथवा नैदानिक :

- (क) छात्र संलग्न अस्पताल के बाह्य विभाग एवं आंतरिक विभाग में उपचारार्थ रोगियों के प्रायोगिक रिकार्ड रखेंगे ।
- (ख) रोगवृत में निम्न पर बल दिया जायेगा, अर्थात् :-
- (1) रोग वृत्त उचित प्रकार से लेना जिससे रोगी के भावों में विकृति न हों ।
 - (2) रोग वर्गीकरण निदान ।
 - (3) लक्षणों का विष्लेषण एवं मुल्यांकन, मियाज्मैटिक निदान, तथा लक्षणों का संपूर्णता के साथ चित्रण ।
 - (4) पूर्वलक्षण, सामान्य प्रबंधन आहार, व्यक्तिगत रोगी के जीवनचर्या के आधार पर आवश्यक प्रतिबन्ध सहित सिमिलिमम ढूँढ़ने के लिए व्यक्तिकरण ।
 - (5) विस्तृत चिकित्सा योजना तैयार करने हेतु संवेदनशीलता की अवरक्षा का निर्धारण ।
 - (6) रोगी के चारित्रिक विषेषताओं का मुल्यांकन जो रेपरटोरियल सम्पूर्णता हेतु महत्वपूर्ण हो ।
 - (7) औषधी एंव खुराक का चयन ।
 - (8) द्वितीय नुस्खा प्रलेखन ।

टिप्पणी :-

- (1) प्रत्येक छात्र विस्तृत रूप से कार्य किये गये बीस रोग वृत्तों का रिकॉर्ड रखेंगे (दस जीर्ण तथा दस तीव्र)
- (2) प्रत्येक छात्र विभागीय संगौष्ठी या गौष्ठी में कम से कम एक रोग वृत्त को प्रस्तुत करेगा ।

स. परीक्षा :

1. सैद्धान्तिक :

- 1.1 प्रेज पत्रों की संख्या: 02

1.2 अंकः प्रज्ञ पत्र I: 100, प्रज्ञपत्र II: 100

1.3 अंकों का वितरणः

प्रज्ञ पत्र I:	सूत्र 1-145:-	30 अंक
	सूत्र 146-294:-	70 अंक

प्रज्ञपत्र II:	जीर्ण रोग:-	50 अंक
	होम्योपैथी दर्घनः-	50 अंक

2. प्रायोगिक मौखिक सहित :-

2.1 अंकः 100

2.2 अंकों का वितरणः

2.2.1	एक लम्बे केस का रोगवृत्त लेना एवम् केस प्रसंस्करण	30
2.2.2	एक संक्षिप्त केस का रोगवृत्त लेना एवम् केस प्रसंस्करण	10
2.2.3	प्रायोगिक रिकार्ड अथवा पुस्तिका का रखरखाव	10
2.2.4	मौखिक	50
	कुल	<u>100</u>

होम्योपैथिक भेषजी

निर्देश :-

होम्योपैथिक भेषजी में निर्देश देने हेतु ऐसी योजना बनाई जायेगी जो प्रस्तुति करें :-

- (1) होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, आर्गनन ऑफ मेडिसन, तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में होम्योपैथिक भेषजी की और साथ ही होम्योपैथिक भेषजी के विकास व अनुसंधान की महत्वता की।
- (2) होम्योपैथिक भेषजी की मौलिकता तथा विषेषज्ञता तथा इसका अन्य मान्य चिकित्सीय प्रणालियों के भेषज से संबंध।
- (3) षिक्षण के क्षेत्र इस प्रकार से होंगे कि संपूर्ण विषय उनमें सम्मिलित हो किन्तु होम्योपैथी के आधार बनने वाले विषयों पर जोर दिया जायेगा।

(अ) सैद्धान्तिकः-

I. सामान्य विचार तथा अभिविन्यासः

1. होम्योपैथिक भेषजी के उद्भव पर बल देते हुए भेषजी का इतिहास।
2. अधिकारिक होम्योपैथिक भेषज संग्रह (जर्मनी, ब्रिटेन, यू.एस.ए., भारत)।
3. महत्वपूर्ण षब्दावलियाँ जैसे कि वैज्ञानिक नाम, प्रचलित नाम, पर्यायवाची।
4. होम्योपैथिक भेषजी में परिभाषायें।
5. भेषजी के घटक।
6. वजन तथा माप।
7. होम्योपैथिक औषधियों की नाम पद्धति उनकी विसंगतियों सहित।

II. कच्चा माल – दवा तथा माध्यम (व्हीकलसः):

1. दवाओं के स्त्रोत (वर्गीकरण पद्धति, उपयोगिता के संदर्भ के साथ)।
2. औषध पदार्थों का संग्रहण।
3. माध्यम (व्हीकलस)।

4. होम्योपैथिक औषध बनाने संबंधित यन्त्र तथा उपकरण।

III. होम्योपैथी भैषजिकी:

1. मदर टिंचर तथा इसको बनाना — प्राचीन तथा नव प्रविधि ।
2. होम्योपैथिक भेषज में प्रयुक्त विभिन्न मापक ।
3. दवा षतियुक्तता या पोटेन्टाइजेषन ।
4. बाह्य प्रयोग (होम्योपैथिक चिकित्सीय द्रव्य, ग्लिस्टोल, लेप तथा मलहम के दायरे पर एकाग्रता) ।
5. सिग्नेचर का सिद्धान्त ।
6. औषध की मात्रा निर्धारण (मूलभूत सिद्धान्तों पर ध्यान, आग्रेनन आफ मेडिसिन के संबंधित सूत्रों पर ध्यान) ।
7. नुस्खा प्रलेखन (संक्षिप्तीकरण सहित) ।
8. कूटभेषज (प्लेस्बो) की अवधारणा ।
9. फार्माकोनोमी — होम्योपैथी दवा देने के रास्ते ।
10. औषध वितरण ।
11. दवा की विपरीत प्रतिक्रिया तथा औषध निगरानी ।

IV. भेषज क्रिया विज्ञान :

1. होम्योपैथिक भेषज क्रिया विज्ञान ।
2. औषध सत्यापर्ण (पूर्विंग) (आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के संबंधित सूत्र 105—145) तथा मनुष्यों तथा पशुओं पर औषध सत्यापर्ण (पूर्विंग) की योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ।
3. परिषिष्ठ—अ में सूचिगत औषधों का भेषज गुण अध्ययन ।

V. गुणवत्ता नियंत्रण :

1. होम्योपैथिक औषध, कच्चे माल तथा अन्तिम उत्पादों का मानकीकरण ।
2. उत्पादन करने के लिए अच्छे तरीके तथा औद्योगिक भेषजी ।
3. होम्योपैथिक भेषज प्रयोगषाला — औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण संबंधित कार्य एवं गतिविधियाँ ।

VI. भेषज संबंधी विधान :

1. औषध तथा प्रसाधन अधिनियम — 1940 (1940को 23वाँ) (होम्योपैथी के संबंध में)
2. औषध एवं प्रसाधन नियम, 1945 (होम्योपैथी से संबंधित)
3. विष विज्ञान अधिनियम 1919 (1919 का 12वाँ)
4. नषीली दवाओं एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61वाँ)
5. औषध तथ जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21वाँ)
6. औषधि और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद षुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16वाँ)

ब. प्रयोगात्मकः

प्रयोग

1. गोली के आकार का माप ।
2. गोलीयों का औषधीकरण तथा दुग्ध षर्करा तथा आसुत जल में खुराक को तैयार करना ।
3. दुग्ध षर्करा, आसुत जल तथा इथाइल अल्कोहल की षुद्धता की जाँच ।

4. आसुत जल तथा इथायल अल्कोहल के विषिष्ट धनत्व का निर्धारण करना ।
5. तेज अल्कोहल से तनु अल्कोहल तथा डिस्पेसिंग अल्कोहल बनाना ।
6. डेसिमल तथा सेंटीसीमल प्रत्येक पैमाने पर एक औषध का विचूर्णन ।
7. मदर टिंचर से 6X षक्ति तक डेसिमल पैमाने पर एक औषध का सक्सषन ।
8. मदर टिंचर से 3C षक्ति तक सेन्टेसिमल पैमाने पर सक्सषन ।
9. ट्राइचुरेषन का तरल षक्ति में रूपांतरणः—डेसिमल पैमाने पर 6X से 8X षक्ति ।
10. ट्राइचुरेषन का तरल षक्ति में रूपांतरणः—सेंटसिमल पैमाने पर मात्रा 3C से 4C षक्ति ।
11. 0/1 षक्ति (एल.एम. पैमाना) एक औषध तैयार करना ।
12. बाह्य अनुप्रयोगों को तैयार करना—चिकित्सीय द्रव्य, ग्लाइसरोल, लेप, मलहम ।
13. प्रयोगषाला प्रविधियाँ—सबलिमेषन, डिस्टिलेषन, डिकेंटेषन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाईजेंशन ।
14. नुस्खा प्रलेखन ।
15. दवा वितरण ।
16. बूंद लेने की प्रक्रिया ।
17. औषधों की पहचान — (परिशिष्ठ 'ब' में सूचीगत)
 - (i) औषध पदार्थों की गुरुदर्शी (मेक्रोस्कोपिक) तथा सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोपिक) चारित्रिक—न्यूनतम 05 औषध ।
 - (ii) दो दवाओं का (मात्रा 3X षक्ति तक) ट्राइचुरेषन का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन ।
18. वाटर बाथ के द्वारा नमी का अनुमानन ।
19. मेसेरेषन और परकोलेषन पद्धतियों द्वारा मदर टिंचर का बनाना ।
20. 30 औषधों का वनस्पति संग्रह करना ।
21. होम्योपैथिक औषध प्रयोगषाला का दौरा तथा होम्योपैथिक दवाओं के एक बड़े पैमाने पर निर्माण करने वाली ईकाई का दौरा (जीएमपी संतुष्टिकरण)। (छात्रों को प्रोफार्मा के अनुसार अनुलग्नक—बी के लिए विस्तृत यात्रा रिपोर्टों को रखना होगा) ।

स. प्रदर्शन

1. व्यवहारिक फार्मसी में प्रयोगात्मक व किलनिकल के लिए सामान्य निर्देष ।
2. होम्योपैथिक औषध संबंधित उपस्करों एवं उपकरणों की पहचान, उपयोग तथा साफ सफाई ।
3. वाटर बाथ के द्वारा आर्द्र पदार्थों का ऑकलन ।
4. मदर टिंचर तैयार करना — मेसेरेषन तथा परकोलेषन ।

परिशिष्ठ—अ

भेषज के पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु भेषजगुणी क्रिया के अध्ययन हेतु औषधियों की सूचीः—

1. एकोनाइटम नैपेलस
2. एडोनिस वर्नेलिस
3. एलियम सीपा
4. आरजेन्टम नाइट्रिकम
5. आर्सनिकम एल्बम
6. एट्रोपा बेलाडोना

7. कैक्टस ग्रेंडिफलोरस
8. कैन्थेरिस
9. कैनेविस इंडिका
10. कैनेविस सेटाइवा
11. सिनकोना औफिसिनेलिस
12. कौफिया क्रुडा
13. क्रेटेगस
14. क्रोटैलस होरीडस
15. जेलसेमियम सेमप्रेविरेंस
16. ग्लोनोआनम
17. हाइड्रेसटिस कैनाडेनसिस
18. हायोसाइमस नाइगर
19. काली बाइकरोमिकम
20. लेकेसिस
21. लिथियम कार्बोनिकम
22. मरक्यूरियस कोरोसिवस
23. नाजा द्राइप्युडिअन्स
24. नाइट्रिकम एसिडम
25. नक्स वोमिका
26. पैसिफ्लोरा इनकारनाटा
27. स्टैनम मैटेलिकम
28. स्ट्रैमोनियम
29. सिमफाइटम ओफिसिनेल
30. टैबैकम ।

परिशिष्ठ—ब

औषध पहचान हेतु सूची

I. वनस्पती जगत :

1. इगल फोलिया
2. एनाकारडियम ओरिएन्टेल
3. एनझोगरेफिस पेनीक्युलेटा
4. कैलेन्डुला औफिसिनेलिस
5. कैसिया सोफेरा
6. सिनकोना औफिसिनेलिस
7. कोक्युलस इंडिकस
8. कौफिया क्रुडा
9. कोलोसिनथिस

10. क्रोकस सेटाइवा
11. क्रोटोन टिगलियम
12. साइनेडोन डेकटीलोन
13. फाइक्स रेलिजियोसा
14. होलेरहेना ऐटिंडाइसॉट्रिका
15. हाइड्रोक्रोटाइल एसियाटिका
16. जसटिषिया एधाटोडा
17. लोबेलिया इनफलेटा
18. नक्स वोमिका
19. ओसिमम सेंक्टम
20. औपियम
21. राऊलफिया सरपेन्टिना
22. रिहयुम
23. सारका इंडिका
24. सेन्ना
25. स्ट्रेमोनियम
26. विनका माइनर ।

II. रासायनिक अथवा खनिजः

1. एसिटिकम एसिडम
2. एल्युमिना
3. आरजेंटम मेटालिकम
4. आरजेंटम नाइट्रीकम
5. आरसेनिकम एल्बम
6. केल्केरिया कार्ब
7. कार्बो वेजिटेबिलिस
8. ग्रेफाईटिस
9. मेगनेषियम फोसफोरिका
10. नेट्रम म्युरिएटिकम
12. सल्फर ।

III. पशु जगतः

- 1 एपिस मेलेफिका
- 2 बलाटा ओरिन्टलिस
- 3 फोरमिका रूफा
- 4 सीपिया
- 5 टेरेन्चुला क्यूबेनसिस ।

नोट: 1. प्रत्येक छात्र को प्रयोगिक या विलनिकल अभिलेख या पुस्तिका और वनस्पति संग्रहण संचिका अलग—अलग रखनी होगी ।

2. महाविद्यालय प्राधिकारी छात्रों द्वारा परिषिश्ट—सी के अनुसार अभिलेखों के रखरखाव को सुविधाजनक बनाएंगे ।

ई. परीक्षा:

1. सिद्धांत

1.1 प्रज्ञ पत्र की संख्या—01

1.2 अंक: 100

2. प्रयोगात्मक मौखिक सहितः

2.1 अंक:100

2.2 अंकों का वितरण:

	<u>अंक</u>
2.2.1 प्रयोग	15
2.2.2 चिन्हित करना(स्पाइंग)	20
2.2.3 प्रायोगिक अभिलेख अथवा पुस्तिकाओं का रखरखाव	10
2.2.4 वनस्पति संग्रहण के अभिलेख का रखरखाव	05
2.2.5 मौखिक	<u>50</u>
कुल	<u>100</u>

होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका

निर्देश:—

- I. (अ) होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का निर्माण अन्य मेटेरिया मेडिकाओं की तुलना में भिन्न प्रकार से किया गया है ।
- (ब) होम्योपैथी शरीर के प्रणालियों पर अथवा व्यक्तिगत भागों पर अथवा पशु पर या उनके अलग अंगों पर, औषधों के प्रभाव, का अध्ययन जैव क्रियाओं में आंशिक होता है तथा यह हमें पूर्ण रूप से औषध प्रदार्थों के प्रभाव के पूर्ण मूल्यांकन की और अग्रसरित नहीं करता है; अतः औषध पदार्थ पूर्णत्या दृष्टि से ओझल हो जाता है ।
- II. औषध क्रिया का पूर्ण एवं आवश्यक ज्ञान की आपूर्ति पूर्णता के साथ केवल स्वरक्ष मनुष्य पर गुणात्मक औषध प्रयोगों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है तथा मात्र यह एक औषध के ही सभी रोगलक्षणों को एक व्यक्ति के सम्पूर्णता को मनादेहिक के संदर्भ में उत्पन्न करता है तथा यह केवल ऐसे ही सम्पूर्ण व्यक्ति जिस पर कि औषध क्रिया का ज्ञान अनुप्रयोग किया जा सकता है ।
- III. (अ) होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका प्रत्येक औषध द्वारा उत्पन्न लक्षणों की ढांचागत व्यवस्था है जिसमें उनकी व्याख्या तथा अंतः संबंधों के लिए कोई स्पष्टीकरण अथवा सिद्धांतों को समाविष्ट नहीं किया जाता है ।
- (ब) प्रत्येक औषध का संब्लेषणात्मक, विल्लेषणात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, एवं प्रत्येक होम्योपैथिक छात्र को प्रत्येक औषध को अलग से तथा पूर्णता से पढ़ना होगा जो उसे अच्छा प्रलेखक बनाने में मददगार होगा ।
- IV. (अ) साधारणतया: अधिक इंगित औषधियों जोकि रोजमर्रा की बिमारियों में प्रयुक्त होती है पहले ली जानी चाहिए ताकि नैदानिक कक्षाओं अथवा बाह्य ड्यूटी (आउट डोर ड्यूटी) में छात्र उनकी अनुप्रयुक्ता से परिचित हो सके तथा उन्हें तुलनात्मक व उनके संबंध की पूर्ण जानकारी दी जाए ।
- (ब) छात्रों को उनके कार्यक्षेत्र तथा संबंधों से परिचित होना चाहिए एवं विरले ही प्रयुक्त औषधियों की रूपरेखा पढ़ायी जानी चाहिए, जिसमें उनकी प्रमुख विषेषताएं तथा लक्षणों पर बल दिया जाना चाहिए ।
- V. विज्ञानीय (ट्यूराटिल) होने चाहिए ताकि छात्र छोटे समूहों में विज्ञानीय के संपर्क में रह सकें तथा मेटेरिया मेडिका के अध्ययन व समझने में उनकी सहायता की जा सकें जो बीमारों के इलाज में उपयोगी हो ।

VI. (अ) जब चिकित्सा बास्त्र(थिरेप्युटिक्स) में विषय दिया जाए, मेटेरिया मेडिका को स्मरण अवधि करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि संबंधित औषधों के परीक्षण (प्रूफिंग) में औषधों के लक्षण नैदानिक परिस्थिती में सीधे प्रकट हो सके ।

(ब) छात्र को बहुत मेटेरिया मेडिका के स्रोतों के प्रयोग को किसी भी बीमारी की अवस्था में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए न कि केवल किसी एक विषेष बीमारी के लिए कुछ एक औषधियों को याद रखने के लिए और हनेमन की यह अवधारणा न केवल उसे लक्षणों को उचित परिपेक्ष में समझने में सहायक होगी परन्तु बीमारी की अवस्था में उनके रोगहरण मूल्यों को समझने में तथा उन्हें इस्तेमाल करने में सहायक होगी तथा उससे अभ्यार्थी पर परीक्षाओं का पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकेगा ।

(स) मेटेरिया मेडिका की प्रयुक्तता का प्रदर्शन अंतः तथा बाह्य रोगवृतों से किया जाना चाहिए ।

(द) तुलनात्मक मेटेरिया मेडिका व भेषज बास्त्र पर संभाषण व ट्युटोरियल को नैदानिक औषधि के संभाषणों के साथ एकीकृत रूप में दिया जाना चाहिए ।

VII. औषधों के विषय हेतु, विभिन्न वनस्पति संग्रह पत्तर तथा अन्य नमूने छात्रों के प्रदर्शन हेतु अनुभाग में रखें जाए एंव दृष्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग विषय व ट्रेनिंग हेतु किया जाना चाहिए ।

VIII. (अ) आजकल एक बड़ी संख्या में होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है तथा और अधिक औषधियों का प्रयोग तथा उनकी प्रूफिंग होती है और भविष्य में और औषधियां जुड़ जायेंगी एंव कुछ बहुत सामान्य रूप से प्रयुक्त होम्योपैथिक औषधियों की सूची इस पाठ्यक्रम में विस्तृत पढ़ाए जाने हेतु सम्मिलित की गयी है ।

(ब) यह आवधक है कि इस पाठ्यक्रम की समाप्ति पर प्रत्येक छात्र इतना ज्ञान अर्जन कर सके कि वह “होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का अध्ययन किस प्रकार से करें”, सीख सके एंव इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मेटेरिया मेडिका के मूलभूत तथा सामान्य विषय वस्तु विस्तृत रूप से पाठ्यचर्चा में अध्ययन किए जाने चाहिए, इन सामान्य विषयों को सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए ।

(स) औषधियों को निम्न मदों के अन्तर्गत पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थातः—

1. सामान्य नाम, प्राकृतिक क्रम, आदत, प्रयुक्त अंग, तैयार करना, संघटक (स्त्रोत सामग्री से) ।
2. प्रूफिंग ऑकड़े (डाटा) ।
3. कार्य के क्षेत्र ।
4. दवा के लक्षणों व विषिष्ट लक्षणों (मानसिक, शारीरिक व्यापक एंव विषिष्ट अंगों की अनुभूतियों सहित रूपात्मकता व सहगामी (कनकमिटेन्ट) सहित) व संघटन सहित ।
5. औषधियों का तुलनात्मक अध्ययन ।
6. चिकित्सीय अनुप्रयोग (अनुप्रयुक्त मेटेरिया मेडिका) ।

प्रथम बी0एच0एम0एस0

क. सैद्धान्तिक:

मेटेरिया मेडिका के सामान्य विषय (प्रारंभिक संभाषण सहित):—

(अ) आधारभूत मेटेरिया मेडिका

1. मेटेरिया मेडिका का मूलभूत सिद्धांत ।
2. विभिन्न मेटेरिया मेडिकाओं की बुनियादी संरचनाएं ।
3. मेटेरिया मेडिका की परिभाषा ।

(आ) होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका

1. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका की परिभाषा
2. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका की आधारभूत संकल्पना व निर्माण
3. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का वर्गीकरण
4. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के स्त्रोत

5. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के कार्यक्षेत्र व सीमाएं

नोटः—प्रथम बी0एच0एम0एस में कोई परीक्षा नहीं होगी ।

द्वितीय बी0एच0एम0एस0

अ. **सैद्धान्तिक :**

(अ). प्रथम बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम के अलावा, निम्न भी पढ़ाया जाएगा, अर्थात्:—

(i) होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का विज्ञान और दर्शन ।

(ii) होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का अध्ययन करने के विभिन्न तरीके (उदाहरणार्थ मनो-चिकित्सीय, विकृति विज्ञान, षरीर क्रिया विज्ञान, संस्लिष्ट तुलनात्मक, विष्लेषणात्मक, दवाओं का आपसी संबंध, समूह अध्ययन, रूप चित्र अध्ययन, आदि)

(iii) होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के कार्यक्षेत्र व सीमाएं ।

(iv) दवाओं का सह-संबंध व सामंजस्य ।

(v) तुलनात्मक होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, अर्थात् लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन, औषध लक्षण दवाईयों का सहसंबंध ।

(vi) डॉ० षुष्लर के द्वारा बायोकैमिक चिकित्सा प्रणाली; का इतिहास, धारणाएं तथा सिद्धांत, 12 बायोकैमिक दवाओं (ऊतक औषधि) का अध्ययन ।

(ब). द्वितीय बी0एच0एम0एस0 में पढ़ाई जाने वाली होम्योपैथिक औषधियाँ परिषिष्ठ-1 के अनुसार पढ़ायी जाएगी ।

परिषिष्ठ-1

1. एकोनाइट नैपेलस
2. एथुजा साइनैपियम
3. एलियम सीपा
4. एलोय सोकोट्रिना
5. एनटीमोनियम कुडम
6. एनटीमोनियम टारटेरिकम
7. एपिस मेलिफिका
8. आरजेंटम नाईट्रीकम
9. आर्निका मॉटाना
10. आर्सेनिकम एलबम
11. एरम ट्रीफलम
12. बेपटीषिया टिंकटोरीया
13. बेलिस पेरेनिस
14. ब्रायोनिया एलबा
15. केलकेरीया कार्बोनिका
16. केलकेरीया फलोरिका
17. केलकेरीया फोसफोरिक
18. केलकेरीया सलफयुरिका
19. कलेंडुला ओफिसिनोलिस

20. कैमोमिला
 21. सिना
 22. सिनकोना ओफिसिनालिस
 23. कोलचिकम ॲट्टमनेल
 24. कोलोसिनथिस
 25. झोसेरा
 26. डलकामारा
 27. इयूफरेषिया
 28. फेरम फोसफोरिकम
 29. जेलसीमियम
 30. हीपरसल्फ
 31. हाईपेरिकम परफोरेटम
 32. इपिकेक्युनहा
 33. काली म्युरेटिकम
 34. काली फोसफोरिकम
 35. काली सलफ्यूरिकम
 36. लीडम पलसट्री
 37. लाईकोपोडियम क्लेवेटम
 38. मेगनेषियम फोसफोरिकम
 39. नेट्रम म्युरीएटीकम
 40. नेट्रम फोसफोरिकम
 41. नेट्रम सलफ्यूरिकम
 42. नक्स वोमिका
 43. पल्साटिला
 44. रस टोक्सीकोडेन्डरोन
 45. रुटा ग्रेविओलेंस
 46. सिलिषिया
 47. सपोजिंया टोसटा
 48. सलफर
 49. सिमफाईटम ओफिसिनेल
 50. थूजा ओक्सीडेन्टालिस

ब. प्रयोगात्मक या नैदानिक:

इसमें सम्मिलित होगा:—

- (i) तीव्र व जीर्ण रोगियों के रोग वृत्त लेना ।
- (ii) लक्षणों की समग्रता, दवा के चयन, षक्ति (पोटेंसी) और पुनरावृत्ति कार्यक्रम सहित मामले प्रसंस्करण ।
प्रत्येक छात्र पांच रोगियों के अभिलेख सहित प्रयोगिक अभिलेख या पुस्तिका का रखरखाव करेगा ।

स. परीक्षा:

प्रथम बी०एच०एम०एस० व द्वितीय बी०एच०एम०एस० पाठ्यावधि में सम्मिलित पाठ्यक्रम के अनुसरण में निम्न के अनुसार है, अर्थात्:-

1. सैद्धान्तिकः

1.1 प्रज्ञ पत्रों की संख्या—01

1.2 अंक: 100

1.3 अंकों का वितरणः

1.3.1 प्रथम बी०एच०एम०एस० के विषय : 50 अंक

1.3.2 द्वितीय बी०एच०एम०एस० के विषय: 50 अंक

2. प्रयोगात्मक मौखिक सहित

2.1 अंक:100

2.2 अंकों का वितरणः

	<u>अंक</u>
2.2.1 रोगवृत व एक दीर्घ केस प्रसंस्करण	30
2.2.2 एक लघु केस रोग वृत	10
2.2.3 प्रयोगिक अभिलेख या पुस्तिका का रखरखाव	10
2.2.4 मौखिक	<u>50</u>
कुल	<u>100</u>

तृतीय बी०एच०एम०एस०

तृतीय बी०एच०एम०एस० परीक्षा में प्रथम तथा द्वितीय बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रम के विषयों एवं दवाओं (परिषिष्ठ—I) के प्रयोग सहित, निम्ननिखित अतिरिक्त विषय बिन्दु व औषध होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के पाठ्यक्रम में रहेगी ।

अ. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के सामान्य विषय—

(अ) नोसोडस की अवधारणा— नोसोडस का परिभाषा, नोसोडस के प्रकार व नोसोडस के सामान्य लक्षण ।

(ब) संरचना, स्वभाव, प्रवृत्ति अवधारणाँ—

परिभाषाएँ, विषिष्ट संरचनाओं के विभिन्न पहलू एवं उनकी विषिष्ट विषेषताएँ,

संरचना की महत्वता, स्वभाव व प्रवृत्ति और रोगियों के उपचार में उनकी उपयोगिता ।

ब. मदर टिंचर की धारणा

स. तृतीय बी०एच०एम०एस० में पढ़ाई जाने वाली होम्योपैथिक औषधियों परिषिष्ठ-II के अनुसार होंगी :—

परिषिष्ठ-II

1. एसिटिक एसिड
2. एकटिआ स्पाईकेटा
3. अगोरिकस मसकेरीयस
4. एगनस केकटस
5. एलुमिना
6. एम्ब्रा ग्रिसिआ
7. अमोनियम कारबोनिकम

8. अमोनियम म्युरेटिकम
9. अनार्काडियम आरिएन्टल
10. एपोसायनम केनेबिनम
11. आर्सनिक आयोडेटम
12. एसाफेटिडा
13. आरम मेटेलिकम
14. बेराइटा कार्बोनिकम
15. बेलाडोना
16. बेनजोईक एसिड
17. बरबरीस वलगरिस
18. बिसमथ
19. बोरेक्स
20. बोविस्टा लाईकोपरडोन
21. ब्रोमियम
22. बुफो राना
23. कैकटस ग्रेंडिफ्लोरस
24. केलेडियम सेगुइनम
25. कल्केरीया आरसेनिका
26. कैमफोरा
27. कैनाबिस इंडिका
28. कैनाबिस सेटाइवा
29. कैथेरिस वेसिकेटोरिया
30. कोर्बो वेजीटेबिलिस
31. चेलिडोनियम मैजस
32. कोनियम मैकुलेटम
33. क्रोटेलस होरीडस
34. क्रोटेलस टिगलियम
35. साईक्लेमन यूरोपीयम
36. डिजिटेलिस परप्पुरिया
37. डिओएसकोरिया विलोसा
38. ईक्यूसेटम हाईमेल
39. फरम मेटालिकम
40. ग्रेफाइटिस
41. हेलीबोरस नाईजर
42. हायोसम नाईजर
43. इगनेषिया अमारा
44. काली बाइक्रोमिकम

45. काली ब्रोमेटम
46. काली कारबोनिकम
47. क्रियोजाटम
48. लैकेसिस मुटा
49. मोसक्स
50. म्युरेक्स परप्युरिया
51. म्युरेटिक एसिड
52. नाज़ा ट्रिप्युडिअनस
53. नेट्रम कारबोनिकम
54. नाईट्रिक एसिड
55. नक्स मोसकेटा
56. ओपियम
57. आकजेलिक एसिड
58. पेट्रोलियम
59. फोसफोरिक एसिड
60. फोसफोरस
61. फाईटोलाका डिकेन्ड्रा
62. पिकरिक एसिड
63. पलेटिनम मेटेलिकम
64. पोडोफाईलम
65. सीकेल कोरनुटम
66. सेलेनियम
67. सीपिया
68. सटेफासेगरीया
69. स्ट्रेमोनियम
70. सल्फ्युरिक एसिड
71. सिफिलिनम
72. टेबेकम
73. टेरेक्सेकम ओफिसिनेल
74. टेरनटुला क्युबेनसिस
75. टेरेबिनथिना
76. थेरेडियोन
77. थलास्पी बरसा पेस्टोरिस
78. विरेट्रम एलबम

सामुहिक अध्ययन

एसिड समूह

कार्बन समूह
काली समूह
ओफिडीया समूह
मरक्युरियस समूह
स्पाईडर समूह

द. प्रायोगिक या नैदानिकः

- (1) इसमें सम्मिलित होंगे :
- (अ) तीव्र व जीर्ण रोगवृत लेना ।
 - (स) औषध का चुनना, पोटेन्सी और पुनरावृत्ति अनुसूची सहित रोग वृत का प्रसंस्करण ।

य. परीक्षा:

1. सैद्धान्तिकः

1.1 प्रज्ञ पत्रों की संख्या—01

1.2 अंक: 100

1.3 अंकों का वितरणः

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1.3.1 द्वितीय बी0एच0एम0एस0 के विषय | : 50 अंक |
| 1.3.2 तृतीय बी0एच0एम0एस0 के विषय | : 50 अंक |

2. प्रयोगात्मक मौखिक सहितः

2.1 अंक: 100

2.2 अंकों का वितरणः

	अंक
2.2.1 रोग वृत व एक दीर्घ कैस प्रसंस्करण	30
2.2.2 एक लघु रोगवृत	10
2.2.3 प्रायोगिक अभिलेख या पुस्तिका का रखरखाव	10
2.2.4 मौखिक	<u>50</u>
कुल	<u>100</u>

चतुर्थ बी0एच0एम0एस0

चतुर्थ बी0एच0एम0एस0 परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय बी0एच0एम0एस0 परिषिष्ठ—I व II के पाठ्यक्रम व औषध के साथ चतुर्थ बी0एच0एम0एस0 परीक्षा के लिए निम्ननिखित अतिरिक्त पाठ्य बिन्दु व औषध पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहेंगा ।

- अ. होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के सामान्य विषय—सारकोड—परिभाषा व सामान्य संकेत ।
ब. परिषिष्ठ—III में दी गयी औषधियों को परिषिष्ठ—I व II के संबंध में जहाँ आवश्यक हो पढ़ाया जाएगा ।

परिषिष्ठ—III

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. एबीस कैनाडेनिस | 7. हाईड्रासटिस कैनाडेनसिस |
| 2. एबीस नाईग्रा | 8. रेफेनस सेटाइव्स |
| 3. कारबो एनिमलीस | 9. मैग्नीषिया कारबोनिका |
| 4. कारबोलिक एसिड | 10. मैग्नीषिया म्युरिएटिका |
| 5. कोडुरेगों | 11. एन्थ्रासिनम |
| 6. फलोरिकम एसिडम | 12. बेसीलिनम |

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 13. लैक कैनीनम | 49. सिकूटा विरोसा |
| 14. लैक डिफलोरैटम | 50. रेननकुलस बलबोसस |
| 15. लायसिन | 51. रोडोडेनझोन काईसेनथम |
| 16. मेडोरहिनम | 52. कलिमेटिस इरेकटा |
| 17. सोरिनम | 53. सबल सेरुलेटा |
| 18. पायरोजिनम | 54. सरसपेरिला ओफिसिनेलिस |
| 19. वैकिसनम | 55. कोफिया क्रूडा |
| 20. वैरियोलिनम | 56. ग्लोनाईन |
| 21. हाईझोकोटल एसिएटिका | 57. मेलीलोटास |
| 22. मेजेरियम | 58. मिलिफोलियम |
| 23. रेडियम ब्रोमेटम | 59. सेंगुइनेरीया कैनाडेनसिस |
| 24. अरटीका यूरेंस | 60. सपाईजेलीया |
| 25. विनका माईनर | 61. वेरेट्रम विरिड |
| 26. एबरोटेनम | 62. कैपसीकम |
| 27. रियुम पालमेटम | 63. सेझोन |
| 28. सेनिकुला एकुवा | 64. इयूपेटोरीयम परफोलिटम |
| 29. एकेलिफा इंडिका | 65. एब्रोमा अगस्ता |
| 30. कोरेलियम रूबरम | 66. केलोट्रोपिस गिगेन्टिआ |
| 31. लोबेलिया इनफलेटा | 67. कैरिका पपाया |
| 32. मेफाईटिस प्युटोरियस | 68. केसीया सोफेरा |
| 33. रुमेक्स क्रिसपस | 69. फिकस रेलीजीयोसा |
| 34. सेबाडीला ओफिसिनोलिस | 70. जोनासिया असोका |
| 35. सेमब्युक्स नाईग्रा | 71. जस्टीषिया अधाटोडा |
| 36. स्कुयिला मैरीटीमा | 72. ओसिमम सैनकटम |
| 37. बेराइटा म्युरेटिका | 73. सिजेजीयम जम्बोलेनम |
| 38. केटिगस ओक्सीकेन्था | 74. रेटनहीया पेर्लेविएना |
| 39. लिथीयम कारबोनिकम | 75. कोलीनसोनिया कैनाडेनसिस |
| 40. रावलफिया सरपेंटीना | 76. एनटीमोनियम आरसेनिकोसम |
| 41. कोलोफाइलम | 77. स्टिकटा पलमोनारीया |
| 42. कोकुलस इंडिकस | 78. एसटेरीयास रूबेंस |
| 43. क्रोकस सटिवा | 79. आयोडम |
| 44. हेलोनियस डियोइका | 80. थाइरायडिनम |
| 45. लिलियम टिग्रीनम | 81. अरजेंटम मेटालिकाम |
| 46. सेबाईना | 82. क्युपरम मेटालिकम |
| 47. ट्रिलीयम पेंडुलम | 83. पलमबम मेटालिकम |
| 48. वाईबरनम ओपुलस | 84. जिकम मेटालिकाम |

85. एडोनिस वरनालिस	103. आरटीमेषिया वलगेरिस
86. कालमीया लैटाफोलिया	104. एविना सटाईवा
87. फाईसोसटिगमा वेनेनोसम	105. बलाटा ओरियनटालिस
88. मरक्युरियस कोरोसिवस	106. कारसीनोसिन
89. मरक्युरियस सायानेट्स	107. कारदुअस मेरीअनस
90. मरक्युरियस डलसिस	108. सिआनोथस
91. मरक्युरियस सोल्यबिलिस	109. चिनिनम आरसेनिकोसम
92. मरक्युरियस सलफ्युरिकस	110. कोलेस्टेरिनम
93. कोसटीकम	111. कोका ईरोथ्रोजायलोन
94. बेसिलस नं.7	112. डिफथेरिनम
95. डाईसेन्ट्री को	113. ईरीजेरोन केनाडेनसिस
96. गारटनर	114. मेलानझीनम
97. मोरगन प्योर	115. मेनईयानथिस
98. मोरगन गारटनर	116. ओनोसमोडियम
99. प्राटियस बेसिलस	117. पेसिफलोरा ईनकारनाटा
100. साइकोटिक बेसिलस	118. उसटीलागो मेडिस
अतिरिक्त औषधियाँ	
101. एसक्युलस हिप्पोकास्टेनम	119. स्टैनम मेटालिकम
102. एड्रिनेलिनम	120. वेलेरियाना ओफिसिनेलिस
	121. एक्स-रे

क्रम सं.	समूह में अध्ययन
1.	बेराइटा समूह
2.	केलकेरिया समूह
3.	मेगनीषिया समूह
4.	नेट्रम समूह
5.	कोमपोजिट परिवार
6.	रेननकुलस परिवार
7.	सोलोनेसी परिवार

स. प्रायोगिक या नैदानिक :

प्रत्येक छात्र को दस तीव्र व दस जीर्ण रोगवृत का अभिलेख रखना होगा ।

द. परीक्षा:

1. सैद्धान्तिक:

1.1 प्रेज पत्रों की संख्या-02

2.1 अंक: 200

2.1.1 अंकों का वितरण:

- 2.1.2 प्रबन्धपत्र—I: प्रथम व द्वितीय बी0एच0एम0एस0 के विषयः 100 अंक
 2.1.3 प्रबन्धपत्र-II: चतुर्थ बी0एच0एम0एस0 के विषयः 100 अंक

2. व्यावहारिक एवम् मौखिकः

2.1 अंकः 200

2.2 अंकों का वितरणः

	<u>अंक</u>
2.2.1 रोग वृत व एक दीर्घ केस प्रसंस्करण	60
2.2.2 एक लघु केस रोग वृत	20
2.2.3 प्रयोगिक अभिलेख या पुस्तिका का रख—रखाव	20
2.2.4 मौखिक	<u>100</u>
कुल	<u>200</u>

विकृति विज्ञान

निर्देशः :

- I (अ) विकृति विज्ञान एंव सूक्ष्म जीव विज्ञान का षिक्षण मियाज्मस की संकल्पना है जिसको डॉ हनेमन ने प्रारंभ किया तथा उसके पश्चात जे.टी. केन्ट, एच.ए.रार्बट, जे.एच. एलन तथा अन्य विद्वजनों ने इसका विकास किया। कोक्स की अभिधारणा के संदर्भ में, प्रतिरक्षा, संवेदनशीलता की संकल्पना तथा तत्पश्चात् रोग के विकास व उपचार की होम्योपैथिक संकल्पना के साथ पढ़ाया जाएगा।
- (आ) निम्न बिन्दुओं पर विषेष ध्यान दिया जाएगा, अर्थातः—
- (1) विकृति विज्ञान एंव होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के संबंध।
 - (2) मियाज्म तथा विकृति विज्ञान का सह—संबंध।
 - (3) प्रत्येक मियाज्म का चरित्रजगत प्रकटीकरण।
 - (4) विकृति विज्ञान के अनुसार लक्षणों तथा रोगों का वर्गीकरण।
 - (5) रोगों की विकृति विज्ञानिक जांचों की व्याख्या, सहसंबंध तथा होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा रोगी के प्रबंधन में इनकी उपयोगिता।
- (इ) संक्षेप में इसी प्रकार सामान्य तथा प्रणालीगत विकृति विज्ञान तथा सूक्ष्म—जीव—विज्ञान के सभी विषयों का होम्योपैथी सिद्धान्तों के साथ प्रत्येक मौके पर समायोजन किया जाना चाहिए ताकि छात्रों द्वारा होम्योपैथी पद्धति में विकृति विज्ञान के महत्व को समझा जा सके।

अ. सैद्धान्तिकः

- (अ) सामान्य विकृति विज्ञान
1. कोषकीय अभिधात तथा कोषकीय अनुकूलन
 2. सूजन तथा मरम्मत (उपचार)
 3. प्रतिरक्षा
 4. अपविकास
 5. घनास्त्रता और अन्तष्टल्यता
 6. षोफ
 7. चयापचय की गड़बड़ी
 8. हाइपरप्लेसिया तथा अतिवृद्धि
 9. अविकसन
 10. इतर विकसन
 11. स्थानिक अरक्तता

12. रक्तश्वाव
13. सदमा
14. अपुष्टि
15. पुनरुत्पादन
16. अतिरक्तता
17. संक्रमण
18. ज्वर
19. ऊतकक्षय
20. गेय्रीन
21. रोगगलन
22. ऐमाइलायडोसिस
23. हाइपरलिपिडेमिया तथा लिपिडोसिस
24. रंजकता की गड़बड़ी
25. लस जालिका (परिभाषा, कोषिका वृद्धि मे परिवर्तन, नामकरण पद्धति तथा वर्गीकरण, लस जालिकाओं की चारित्रिकी, कारण तथा रोग उत्पत्ति विज्ञान, क्रमांकन तथा मचन, नैदानिक दृष्टिकोण, ट्यूमर तथा मेजबान के अंत संबंध, दिष्या तथा प्रबंधन) ।
26. कैल्सीकरण
27. रेडिएशन के प्रभाव
28. अस्पतालों का संक्रमण

ब. वर्गीकृत विकृति विज्ञान:

प्रत्येक पद्धति में महत्वपूर्ण तथा सामान्य रोगों को उनके विकास कारकविकृति जनित प्रदर्शित करने के ढंग, प्रगति एवं विकास के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात् :-

1. कुपोषण तथा न्यूनता संबंधी रोग
2. हृदय वाहिका संबंधी रोग
3. रक्त वाहिकाओं एवं लहसिकाओं संबंधी रोग
4. वृक्क एवं निचले मूत्र नलिका संबंधी रोग
5. पुरुष जननांग एवं प्रोस्टेट संबंधी रोग
6. स्त्री जननांग एवं स्तन संबंधी रोग
7. आँख, कान, नाक तथा गला संबंधी रोग
8. घ्वसन तंत्र संबंधी रोग
9. मुख, गुहा एवं लार ग्रथी संबंधी रोग
10. जी0आई0(जठरांत) संबंधी रोग
11. यकृत, पित्ताषय एवं पित्त नलिका संबंधी रोग
12. अग्नाषय (मधुमेह संबंधी रोग सहित)
13. रक्तोत्पत्ति, अस्थि मज्जा एवं रक्त संबंधी रोग
14. ग्रंथि – थाइमस, पिच्युटरी, थाइराइड एवं पेराथाईराइड, अधिवृक्क, कर्णपूर्व (पैरोटिड) संबंधी रोग ।
15. त्वचा एवं सापट उत्तक संबंधी रोग

16. पेशी कंकाली तंत्र संबंधी रोग
17. तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग
18. कुष्ट रोग

सूक्ष्म जीव विज्ञान

(अ) सामान्य विषयः

1. प्रस्तावना
2. चिकित्सीय सूक्ष्म विज्ञान का इतिहास व कार्यक्षेत्र
3. सामान्य बैक्टीरीया पलोरा
4. सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग जनकता
5. सूक्ष्म जीव विज्ञान निदान

(ब) प्रतिरक्षा विज्ञानः

1. प्रतिरक्षा तंत्र का विकास
2. जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र
3. मेजबान की गैर विषिष्ट रक्षा
4. उपार्जित प्रतिरक्षा
5. प्रतिरक्षा तंत्र की कोषिकाएँ :—ठी कोषिकाएँ तथा कोषिका माध्यम से प्रतिरक्षा; बी कोषिकाएँ तथा त्रिदोष संबंधित प्रतिरक्षा
6. पूरक तंत्र
7. एन्टीजन; एंटीबोडी (रोगों से लड़ने की क्षमता वाले रक्त में पदार्थ), एंटीजन—एंडीबोडी (एनाफाइलेक्टिक तथा एटोपिक) क्रियाएँ, औषध एलर्जी
8. अति—संवेदनशीलता
9. प्रतिरक्षाहीनता
10. स्वतः प्रतिरक्षा (ऑटो—इम्युनिटि)
11. प्रतिरोपण
12. रक्त समूह एन्टीजन
13. प्रतिरक्षा—विकृति विज्ञान का नैदानिक पहलू

(इ) जीवाणु विज्ञानः

1. जीवाणु की संरचना, विकास तथा चयापचय
2. जीवाणु अनुवांशिकी तथा जीवाणुभोजी
3. जीवाणु की पहचान तथा सर्वार्थन
4. ग्राम सकारात्मक एरोबिक एवं संकायिक एनारोबिक कोकाइ उदाहरण स्ट्रोप्टोकोकाइ न्यूमो कोकाई।
5. ग्राम सकारात्मक एनारोबिक कोकई उदाहरण पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई
6. ग्राम नकारात्मक एरोबिक कोकई उदाहरण निसेरिया, मोरेक्सेला, किंगजेला
7. ग्राम सकारात्मक एरोबिक जीवाणु उदाहरण कोरनीबैक्टीरियम, आसीलिस एंथ्रैक्स, सेरस सबटाइटिस, माइकोबैक्ट्रियम, ट्युबरक्युलोसिस, माइकोबैक्ट्रियम लेपरी, एसीटीनोमायोसीटस, नोकार्डिया, ऑत्र जीवाणु समूह के जीवाणु
8. ग्राम सकारात्मक एरोबिक जीवाणु, उदाहरण जीनस—क्लॉस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसीलैस
9. ग्राम नकारात्मक एरोबिक जीवाणु उदाहरण बैक्टीरायडस, फैगिलस, फ्युसोबैक्ट्रीयम

10. अन्य जैसे कोलेरी विबरियो, स्पाईरोकिट्स, लैप्टोस्पाइरी, माइकोप्लाजमा, कलेमाइडी, रिकेटेसी, येरसिनिआ, एवं पास्चरेला ।

(iv) कवक तथा परजीवी:

- (1) कवक – (1) सही रोगजनक (त्वचीय, उपत्वचीय तथा प्रणालीगत संक्रामक पदार्थ), (2) अवसरवादी रोगजनक ।
- (2) प्रोटोजोआ (1) आंतों के (एन्टाएमीबा हिस्टोलिटिका, जिआरडिया लेम्बलिया, क्रिप्टोस्पोरिडम पारवम) (2) मूत्र-प्रजन्न (ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस) (3) रक्त तथा ऊतक (प्लासमोडियम-प्रजातियाँ (टोक्सोप्लाजमा गोन्डाइ ट्रिजोसोमा प्रजातियाँ, लीजमेनिया प्रजातियाँ)
- (3) कृमि – (1) सेसटोडस (फीता कृमि)-इकिनोकोकस ग्रैनुलोसस, टीनिआ सोलियम, टीनिआ सेजीनाटा (2) ट्रिमेटोडस (पर्णकृमि): पारागोनिमस वेस्टरमनी, सिकस्टोसोमा मानसोनी, सिकस्टोसोमा हिमेटोबियम, (3) नेमाटोडस-एनकापिलोस्टोमा डुयडिनेल, एस्केरिस लुम्बरीकायडस, एन्टारोबियस वर्मीक्युलेरिस, स्ट्रान्जीलायडस, टरकोरेलिस द्रिचुरीस द्रिचुरा, बुग्रिया मलाई, ड्रेकुन्कुलस मेडीनेनसिस लोआ लोआ, ओन्कोसेरका वालव्युलस, व्युचेरिया, बैन्क्रोफटी)

(v) विषाणु विज्ञान— (1) प्रस्तावना:

- (2) विषाणुओं की प्रकृति तथा वर्गीकरण
- (3) विषाणुओं की आकारिकी तथा प्रतिकृति,
- (4) डी०एन०ए० विषाणु
 - (i) पारवो विषाणु
 - (ii) हरपीस वायरस, वेरीसेला वायरस, सीएमवी, ईबीवी
 - (iii) हैपेदना वायरस (हैपेटाइटिस वायरस)
 - (iv) पैपोवा वायरस
 - (v) एडिनो वायरस
 - (vi) पाक्स वायरस-वैरियोला वायरस, वैक्सीनिया वायरस, मोलास्कम कौटेजेसियम इत्यादि
- (5) आर.एन.ए. वायरसः
 - (अ) ओरथोमिक्सोवाइरसिसः
 - (i) एनटेरोवायरस
 - (ii) रहिनो वायरस
 - (iii) हैपेटो वायरस
 - (आ) पैरामिक्सो वायरस— रुबेला वायरस, कनफडे वायरस, इन्फलुएंजावायरस इत्यादि
 - (इ) फॉब्डो वायरस
 - (ई) रुबेला वायरस (जर्मन खसरा)
 - (उ) कोरोना वायरस
 - (ऊ) रेट्रो वायरस
 - (झ) पीत ज्वर विषाणु
 - (ई) डेंगी, चिकिनगुनिया वायरस
 - (उ) विविध विषाणु

(5) आर.एन.ए. वायरसः

(अ) ओरथोमिक्सोवाइरसिसः

(i) एनटेरोवायरस

(ii) रहिनो वायरस

(iii) हैपेटो वायरस

(आ) पैरामिक्सो वायरस— रुबेला वायरस, कनफडे वायरस, इन्फलुएंजावायरस इत्यादि

(इ) फॉब्डो वायरस

(ई) रुबेला वायरस (जर्मन खसरा)

(उ) कोरोना वायरस

(ऊ) रेट्रो वायरस

(झ) पीत ज्वर विषाणु

(ई) डेंगी, चिकिनगुनिया वायरस

(उ) विविध विषाणु

- (i) एरिनावायरस
- (ii) कोरोना वायरस
- (iii) रोटा वायरस
- (iv) जीवाणुभोजी

- (VI) नैदानिक सूक्ष्मजीवी विज्ञानः (1) नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवी (2) प्रतिरक्षा रोगनिरोधक (3) एन्टीबायोटिक संवेदनशीलता जॉच (एबीएसटी)
- (VII) सूक्ष्मजीवी विज्ञान में नैदानिक प्रक्रियाएः (1) रक्त तथा मल की जांच (2) प्रतिरक्षा जांचें (3) कल्वरल प्रविधियां, (4) पषु निरोपण ।
- (VIII) संक्रमण तथा रोगः (1) विकृति रोग जनकता, तंत्र तथा नियंत्रण (2) विसंक्रमण तथा निर्जीवाणुकरण (3) एन्टीमायक्रोबियल कीमोथिरेपी (4) सूक्ष्मजीव विकृति रोग—जनकता ।

(द) ऊतक विज्ञानः

- (1) प्रत्येक प्रणाली से विकृति विज्ञानी परिस्थितियों के स्लाइडों की सहायता ऊतक विज्ञानी विषेषताओं के विश्लेषण हेतु ली जानी चाहिए ।
- (2) प्रत्येक प्रणाली के लिए समग्र विकृति विज्ञानी नमूनों का विश्लेषण ।
- (3) ऊतक—विकृति—विज्ञान तकनीकें जैसे कि नियतन, एम्बेडिंग, सामान्य डाई तथा स्टेन के द्वारा सेक्षनिंग स्टेनिंग ।
- (4) जमे सेक्षन तथा इसकी उयोगिता ।
- (5) इलैक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी, फेस कान्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी

ब. प्रायोगिक अथवा नैदानिकः

- (1) नैदानिक तथा रसायनिक विकृति विज्ञानः हीमोग्लोबिन का मापन (एसीडोमीटर द्वारा), लाल रक्त कणिकाओं तथा घेत रक्त कणिकाओं का गणन, रक्तस्राव समय, रक्त आतंच समय, रक्त समुह, पतली तथा मोटी फिल्मों की स्टेनिंग, अन्तरात्मक गणना । परजीवियों के लिए रक्त की जांच । इरिथ्रोसाइट सेडीमेटेषन दर ।
- (2) मूत्र की जॉच—भौतिक, रसायनिक, सूक्ष्मदर्शी, एल्ब्युमिन तथा षर्करा की मात्रा ।
- (3) मल की जॉच —भौतिक, रसायनिक {अप्रत्यक्ष रक्त} तथा प्रोटोजोआ व अन्डे के लिए सूक्ष्मदर्शीय ।
- (4) विसंक्रमण की प्रविधियों माध्यम बनाना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग, ग्राम तथा क्षारीय त्वरित स्टेन । मोटिलीटी का बनाना, ग्राम घनात्मक तथा ऋणात्मक, कोकाई तथा बैसिलाई । मवाद तथा थूक के श्वारीय एंव कोरिनीबैक्टिरियम ग्राम के वर्ग के विषेष अभिरंजक (5) सामान्य कल्वर माध्यम का बनाना:— न्युट्रिन्ट अगार, रक्त अगार, रोब्टसंस तैयार भोजन माध्यम(आरसीएम) तथा मैक्रोकान्कीज माध्यम ।
- (6) विडाल की जॉच का प्रदर्शन ।
- (7) आधुनिक उपकरणों जैसे कि—आटो एनालाइजर, कोषिका गणक, ग्लुकोमीटर की अभिज्ञता ।
- (8) ऊतक विज्ञानः

- (अ) प्रत्येक प्रणाली से सामान्य स्लाइडों का प्रदर्शन ।
- (आ) समग्र विकृति विज्ञानी नमूनों का प्रदर्शन ।
- (इ) ऊतक—विकृति—विज्ञान तकनीकों का प्रयोगात्मक एवं नैदानिक प्रदर्शन जैसे कि फिक्सेषन, एम्बेडिंग ।
- (ई) सामान्य डाई तथा स्टेन के द्वारा स्टेनिंग, सेक्षनिंग(फ्रोजन सेक्षन तथा उसका महत्व ।

(उ) इलैक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी प्रावस्था कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी ।

स. परीक्षा:-

1	सैद्धान्तिक			
1.1	प्रज्ञ पत्रों की संख्या -02			
1.2	अंक: प्रज्ञपत्र 1— 100, प्रज्ञपत्र 2— 100			
1.3	विषय वस्तु :			
1.3.1	प्रज्ञपत्र 1—भाग — अ	सामान्य विकृति विज्ञान	—	50 अंक
	भाग — ब	दैहिक विकृति विज्ञान	—	50 अंक
1.3.2	प्रज्ञपत्र —2 भाग —अ	•जीवाणु विज्ञान •कवक तथा परजीवी भाग — ब •वायरस विज्ञान •नैदानिक सूक्ष्म जीवविज्ञान तथा निदानिक प्रक्रियाएँ •सूक्ष्म जीवविज्ञानी नियंत्रण तथा रोगजनकता की प्रक्रिया •सामान्य विषय तथा प्रतिरक्षा विकृति विज्ञान —	— — — — — — — — —	25 अंक 25 अंक 20 अंक 10 अंक 10 अंक
2.	प्रयोगात्मक मौखिक सहित:			
2.1	अंक —100			
2.2	अंकों का वितरण		अंक	
2.2.1	प्रयोगात्मक	—	15	
2.2.2	चिह्नित(स्पाइटिंग)	—	20 (4चिह्नित करना)	
2.2.3	उतक—विकृति स्लाइड	—	10 (2 स्लाइड)	
2.2.4	प्रयोगात्मक अभिलेख या पुस्तिका	—	05	
2.2.5	मौखिक	—	50	
	(सामान्य विकृति विज्ञानी रिपोर्ट की व्याख्या के 5 अंक सहित)			
	कुल		100	

न्यायिक औषध एंव विज्ञान

निर्देश:-

(अ) वर्तमान में चिकित्सा साम्यास में बढ़ते हुए उपभोक्तावाद को दृष्टिगत रखते हुए, चाहे वह निजी साम्यास करता हो या सरकारी नौकरी में हो, प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक के लिए विधि औषध परीक्षा एक विधिक कर्तव्य है इसीलिए न्यायिक औषध एंव विषविज्ञान की विकास छात्रों के लिए बहुत जरूरी है ।

(ब) यह विकास छात्र को विधि औषध संबंधित जिम्मेदारी का चिकित्सा साम्यास में बोध कराएगी एंव आपराधिक मामलों तथा संबंधित विधि औषध मामलों के संबंध में वह तार्किक दृष्टि से उपयुक्त निष्कर्षों एंव टिप्पणीयों सही तरीके से करने के लायक हो पाएगा ।

(स) छात्र चिकित्सा साम्यास, चिकित्सीय असावधानी तथा चिकित्सा संबंधित नैतिकता के मूल्यों के संदर्भ में भी ज्ञान प्राप्त करेगा तथा वे सामान्य विषाक्ताओं में उनकी जीर्ण व तीव्र स्तरों के आधार पर पहचान, निदान तथा उपचार करने में सक्षम होगा तथा उनके विधि औषध के आधार पर निष्पादन कर पाएगा ।

(द) इन प्रयोजनों के लिए, छात्रों को जिला न्यायालयों तथा अस्पतालों के दौरा पर ले जाना होगा ताकि वे न्यायालयी कार्रवाई तथा पोस्ट—मॉर्टम परिषिष्ठ—‘ब’ के अनुसार अवलोकन कर पाएं।

I. न्यायिक औषध

अ. सैद्धान्तिकः

1. प्रस्तावना

- (अ) न्यायिक औषध की परिभाषा ।
- (ब) भारत में न्यायिक औषध का इतिहास ।
- (स) चिकित्सा आचार और षिष्टाचार ।
- (द) पंजीकृत चिकित्सक का विधिक औषध मामलों में कर्तव्य ।

2. न्यायिक प्रक्रिया:

- (अ) अन्वेषण, भारत में न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया ।
- (ब) न्यायालयों में चिकित्सीय साक्ष्य, मृत्यु पूर्व घोषणा, मरते समय बयान, चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित तथा न्यायिक औषध प्रतिवेदन ।

3. व्यक्तिगत पहचान :

- (अ) जीवित एंव मृत की आयु तथा लिंग, प्रजाती व धर्म का निर्धारण ।
- (ब) अंगुली चिन्ह अध्ययन, अंगुली डीएनए का मुद्रण, पैरों के निषान ।
- (स) हड्डीयों, दाग, दाँतों, गोदने के निषान, हस्तिलिखावट, मानवमिति ज्ञान की औषध न्यायिक महत्वता ।
- (द) जैविक दागों तथा बालों का परीक्षण ।

4. मृत्यु एंव इसका विधि औषध महत्वः

- (अ) मृत्यु एंव उसके प्रकार, उनका विधि औषध महत्व
- (ब) मृत्यु के लक्षण, (1) तुरन्त, (2) पूर्व, (3) देर व उनके विधि औषध महत्व
- (स) घास अवरोध मृत्यु (यांत्रिक घास अवरोध तथा डूबने से)
- (द) भुखमरी, ठंड और गर्मी इत्यादी से मौतें ।

5. चोट व इसके विधि औषध महत्वः

यांत्रिकी, उष्णीय, आग्नेयास्त्र, क्षेत्रीय, परिवहन तथा यातायात संबंधित चोटें; रेडियेशन से, करंट लगना एंव बिजली गिरना ।

6. न्यायिक मनोवृतः

- (अ) परिभाषा: विभ्रम, चितविभ्रम, माया, मतिभ्रम; प्रोत्तेजना व उन्माद; पागलपन का वर्गीकरण ।
- (ब) पागलपन का विकास, निदान, पागलखाने में दाखिल करना ।

7. पोस्ट मॉर्टम जाँच (षव परीक्षण):

- (अ) उद्देष्य, प्रक्रिया, कानूनी बाध्यताएँ, विकृति विज्ञानी तथा विधि औषध षव परीक्षणों में भेद ।
- (ब) वयस्क, भ्रूण तथा कंकालीय अवषेषों की बाह्य तथा आन्तरिक जाँच ।

8. नपुंसकता व बांझपनः

नपुंसकता, बांझपन, बंध्याकरण, कृत्रिम गर्भाधान, परखनली षिषु, प्रतिनियुक्त (सेरोगेट) माँ ।

9. कौमार्य, कौमार्यहरण, गर्भावस्था व प्रसव ।

10. गर्भपात व षिषु हत्या:

- (अ) गर्भपात : विभिन्न प्रविधियाँ, जटिलताएं, आपराधिक गर्भपात पञ्चात् दुर्घटनाएं, चिकित्सीय गर्भपात ।
- (ब) षिषु मृत्यु, कानूनी परिभाषा, बैटरर्ड बेबी सिंड्रोम, चारपाई मृत्यु, वैधता ।

11. यौन अपराध :

बलात्कार, अनाचार, गुदामैथुन, परपीड़न, स्वपीड़ाषवित्त, परस्पर, स्त्री—मैथुन, वहशीता, मुख मैथुन व अन्य यौन विकृतियां।

II. विष विज्ञानः

1. सामान्य विष विज्ञान

- (अ) न्यायिक औषध विज्ञान व विष
- (ब) जीवित व मृत में विषकतता का निदान
- (स) विषकतता प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत
- (द) विष के विधि औषध पहलु
- (य) विषहर एंव प्रकार

2. नैदानिक विष विज्ञान

(अ) विषों के प्रकार :

- (i) संक्षारक विष (खनिज अम्ल, कास्टिक अलकलिस, कार्बनिक अम्ल, वनस्पती अम्ल)
- (ii) उत्तेजक विष (जैविक विष—वनस्पती व पषु; अकार्बनिक विष—धातुयी और अधातुयी; यांत्रिक विष)
- (iii) घास अवरोधक विष (कार्बन मोनोक्साईड; कार्बन डाइओक्साईड; हार्ड्ह्रोजन सल्फाईड तथा कुछ युद्ध में प्रयुक्त गैसें)
- (iv) तंत्रिका विष (अफीम, नक्स वोमिका, एल्कोहल, ईंधन जैसेकि कैरेसिन तथा पेट्रोलियम उत्पाद, भांग (कैनाबिस इंडिका), धतुरा, चेतना हरण घामक एंव निद्राकारी, एग्रोकेमिकल यौग, बेलोडोना, हायोसाईमस, क्युरारे, कोनियम)
- (v) हृदय विष (डिजिटेलिस परप्युरा, ओलियंडर, एकोनाईट, निकोटिन)
- (vi) विविध विष (दर्दनाशक व ज्वरहारक, एन्टीहिस्टामिनिकस, ट्रेनकुइलाईजर्स, अवसादरोधी, उत्तेजक, विप्रमकारी, सङ्कछाप औषध आदि)

III. आयुर्विज्ञानी व्यवसाय से संबंधित विधान :

- (क) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59वां);
- (ख) उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 68वां);
- (ग) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8वां);
- (घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34वां);
- (ङ) चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 (1971 का 34वां);
- (च) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14वां);
- (छ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1ला);
- (ज) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6वां);
- (झ) व्यक्तिगत दुर्घटना अधिनियम, 1963 (1963 का 37वां);
- (ज) औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23वां) तथा उसके अधीन बने नियम;
- (ट) औषध और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954(1954 का 21वां);
- (ठ) मानव अंगो प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42वां);
- (ड) गर्भधारण—पूर्व और प्रसवपूर्व निदान—तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57वां);

- (द) होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी (वृत्तिक आचरण, षष्ठाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 1982;
- (ग) औषध नियंत्रण अधिनियम, 1950 (1950 का 26वां);
- (त) चिकित्सा और प्रसाधन निर्मितियॉ (उत्पाद बुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16वां);
- (थ) भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45वां) तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1974 का 2रा) (संबंधित प्रावधान)
- (द) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार और पूर्ण भागीदारी संरक्षण) अधिनियम, 1995 (1996 का 1ला)
- (घ) नैदानिक स्थापन (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23वां)।

ब. प्रयोगात्मकः

1. प्रदर्शनः

- (अ) हथियार
- (ब) जैविक और अजैविक विष
- (स) विषेले पादप
- (द) चार्ट, रेखांकन, छायाचित्र, मॉडल, न्यायिक औषध महत्व की एक्स-रे फिल्में
- (य) समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं में प्रकाषित दुर्घटना संबंधित अभिलेख तथा उनके न्यायिक औषध महत्व की व्याख्या।
- (य) दस न्यायिक औषध षव परीक्षण प्रदर्शनों में भाग लेना।

2. प्रमाण पत्र प्रलेखनः

विभिन्न प्रमाण—पत्र जैसे कि रोग प्रमाण—पत्र, वारीरिक योग्यता प्रमाण—पत्र, जन्म प्रमाण—पत्र, मृत्यु प्रमाण—पत्र, जर्ख प्रमाण—पत्र, बलात्कार प्रमाण—पत्र, रासायनिक विष्लेषक (क्षेत्रीय न्यायिक प्रयोगषाला), घराब उपभोग प्रमाण—पत्र, षव परीक्षण जांच की रिपोर्ट लिखना।

स. परीक्षा:

1. सैद्धान्तिकः

- 1.1 प्रघ पत्रों की संख्या –01
- 1.2 अंकः 100

2. प्रायोगिक मौखिक संहितः

2.1	अंक –100	
2.2	अंकों का वितरण	<u>अंक</u>
2.2.1	4 नमूनों का न्यायिक औषध पहलू	40
2.2.2	प्रायोगिक अभिलेख अथवा पुस्तिका	10
2.2.3	मौखिक	<u>50</u>
	कुल	<u>100</u>

रेपर्टरी

प्रस्तावना:

- I (अ) रेपर्टरीकरण अन्त नहीं है अपितु दार्शनिक सिद्धांतों के बहुत ज्ञान के आधार पर मेटेरिया मेडिका के साथ समतुल्य तक पहुंचने का माध्यम है।
 (आ) होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका लक्षणों का एक ज्ञान कोष है। कोई भी मस्तिष्क सभी लक्षणों या सभी औषधियों को उनके चारित्रिक वर्गीकरण के आधार पर स्मरण नहीं कर सकता।
 (इ) रेपर्टरी मेटेरिया मेडिका के लक्षणों की एक सूचक और सारणी है, जो कि प्रयोगात्मक या निदानिक रूप में स्वच्छता से संकलित किए गए हैं, तथा दवाओं के अपेक्षिक वर्गीकरण को इंगित भी करती है तथा यह इंगित औषधि के त्वरित निर्वाचन को सुगम करती है। अतः बिना रेपर्टरियों की सहायता के होम्योपैथी साम्यास करना कठिन है।
- II (अ) प्रत्येक रेपर्टरी निष्प्रित दार्शनिक आधार पर संकलित की गई है जोकि इसकी संरचना निर्धारित करती है।
 (आ) प्रत्येक रेपर्टरी के पूर्ण खोज ज्ञान प्राप्त करने हेतु इसके संकल्पनात्मक आधार तथा संरचना का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। इससे छात्र को प्रत्येक रेपर्टरी के क्षेत्र, सीमायें तथा सुग्राहयता समझने में सहायता मिलेगी।

तृतीय बी०एच०एम०एस०

अ. सैद्धांतिक

1. रेपर्टरी : परिभाषा, आव्याकता, संभावनायें तथा सीमायें।
2. रेपर्टरियों का श्रेणीकरण।
3. विभिन्न रेपर्टरियों का अध्ययन (केन्ट, बोइंगिंहासेन, बोगर—बोइंगिंहासेन)
 - (अ) इतिहास
 - (ब) दार्शनिक पृष्ठभूमि
 - (स) संरचना
 - (द) रेपर्टरी की अवधारणा
 - (य) अनुकूलनषीलता
 - (र) क्षेत्र
 - (ल) सीमा(ए)
4. विभिन्न लेखकों द्वारा औषधियों का वर्गीकरण
5. रेपर्टरीकरण की प्रवीधि व तकनीके। रेपर्टरीकरण के चरण।
6. रेपर्टरी (रुब्रिक) की भाषा एंव षब्दावली व दूसरी रेपर्टरियों एंव मेटेरिया मेडिका में प्रति संदर्भ।
7. विभिन्न रेपर्टरियों के प्रयोग से लक्षणों का रूबिक्स में रूपांतरण तथा रेपर्टराईजेषन।
8. रेपर्टरी—इसके ऑगेनन ॲफ मेडिसन व मेटेरिया मेडिका से संबंध।
9. रोगवृत तथा संबंधित विषय
 - (अ) रोगवृत लेना।
 - (ब) रोगवृत लेने में आने वाली कठिनाई, विषेषकर एक जीर्ण रोगी में।
 - (स) लक्षणों के प्रकार, उनकी समझ तथा महत्व।
 - (द) रेपर्टरी के अध्ययन के संदर्भ में व्यक्तिकरण तथा रोग निदान में विकृति विज्ञान का महत्व।

10. रोगवृत्त प्रक्रिया :

- (अ) लक्षणों का विष्लेषण व मूल्यांकन
- (ब) मियाजमेटिक आंकलन
- (स) लक्षणों की समग्रता या रोगी की वैचारिक छवि
- (द) रेपर्टोरियल समग्रता
- (य) रुब्रिकों का चयन
- (र) रेपर्टोरियल तकनीक व परिणाम
- (ल) रेपर्टोरियल विष्लेषण

ब. प्रायोगिक अथवा नैदानिक:

1. केन्ट रेपर्टरी के उपयोग से षल्य चिकित्सा, स्त्री रोग और प्रसूति के प्रत्येक के पाँच रोग वृत्त अभिलेख ।
2. केन्ट व बोइनिंगहासेन रेपर्टरियों से रुब्रिक खोज ।

नोट:- तृतीय बी०एच०एम०एस० में इस विषय की कोई परीक्षा नहीं होगी ।

चतुर्थ बी०एच०एम०एस०

अ. सैद्धांतिक:

1. विभिन्न रेपर्टरियों (जैसे कि केन्ट रेपर्टरी, बोइनिंगहासेन की थेरेप्युटिक पाकेट पुस्तक तथा बोगर – बोइनिंगहासेन की चारित्रिक रेपर्टरिया) – का तुलनात्मक अध्ययन ।
मेटेरिया मेडिका हेतु संक्षिप्त कुंजी (सिनोप्टिक जी) ।
2. कार्ड रेपर्टरियाँ तथा अन्य यांत्रिक सहायता प्राप्त रेपर्टरियाँ – इतिहास, प्रकार, प्रयोग ।
3. कोनकोरडेन्स रेपर्टरियाँ (जेंटरी तथा नॅर)
4. नैदानिक रेपर्टरियाँ (विलियम बोरिक इत्यादि)
5. आधुनिक विषयगत रेपर्टरियों का परिचय (सिंथेटिक, सिनथेसिस, तथा कम्प्लीट रेपर्टरी तथा मर्फी की रेपर्टरी) ।
6. क्षेत्रीय रेपर्टरी
7. रेपर्टरीजेशन में कंप्युटरों की भूमिका तथा विभिन्न साप्टवेयर ।

(ब) प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक:

1. केन्ट रेपर्टरी का प्रयोग करते हुए, शल्यक्रिया, स्त्रीरोग तथा प्रसूती प्रत्येक के पाँच तीव्र एवं पाँच दीर्घ केसों का अभिलेख रखना ।
2. बोइनिंगहासेन थेरेप्युटिक पाकेट बुक का प्रयोग करते हुए औषध से संबंधित पाँच केस ।
3. बोगर–बोइनिंगहासेन चारित्रिक रेपर्टरी का प्रयोग करते हुए पाँच केस (औषध से संबंधित)
4. रेपर्टरी पर होम्योपैथी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए पाँच केसों की जांच ।

स. परीक्षा:

केवल चतुर्थ बी०एच०एम०एस० में रेपर्टरी की परीक्षा होगी (तृतीय बी०एच०एम०एस० में नहीं) ।

1. सैद्धांतिक:

- 1.1 प्रग्न पत्रों की संख्या –01
- 1.2 अंक: 100

2. प्रायोगिक मौखिक सहितः

2.1	अंक —100	
2.2	अंकों का वितरण	<u>अंक</u>
2.2.1	एक दीर्घ केस	30
2.2.2	एक लघु केस	10
2.2.3	प्रयोगिक अभिलेख व पुस्तिका	10
2.2.4	मौखिक	<u>50</u>
	कुल	<u>100</u>

स्त्री रोग एवं प्रसूति

निदेशः

I (अ) होम्योपैथी इस विषय के लिए वही दृष्टिकोण रखती है जो कि धन्य क्रिया तथा औषध अभ्यास के लिए है, किन्तु स्त्री रोग और प्रसूती रोगियों के लिए एक होम्योपैथिक चिकित्सक को स्थानीय परिस्थितियों तथा व्यक्तिक रोगियों के निदान के लिए विषिष्ट नैदानिक प्रविधियों में प्रक्षिप्त अवध्य दिया जाना चाहिए, पश्यक्रिया हेतु दखल या तो जीवन रक्षा हेतु होना चाहिए अथवा किसी यांत्रिक बाधा को हटाने के लिए, यदि आवध्य हो तो किया जाना चाहिए तथा उनका प्रबंधन, होम्योपैथिक औषध— प्रयोग तथा अन्य सहायक उपचार प्रविधियों द्वारा किया जाना चाहिए।

(ब) गर्भावास्था स्त्रियों में आनुवांशिक विकृतियों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम समय है तथा इस पर विषेष जोर दिया जाना चाहिए । नवजात षिषु की देख भाल हेतु छात्रों को निदेश दिये जाने चाहिए ।

(स) वास्तविकता में माँ और षिषु एक जैविक इकाई बनाते हैं तथा यह अद्भुत घनिष्ठ धरीर क्रियात्मक रिष्टा षिषु जीवन के प्रारंभिक दो वर्षों तक कम से कम कायम रहता है, अतः इस पर विषेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

II पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक रूप में स्त्रीरोग एवं प्रसूती तथा षिषु स्वच्छता तथा देखभाल, गर्भ, प्रसूति तथा अनुप्रयुक्त धरीर रचना एवं धरीर क्रिया विज्ञान सहित पर निदेश दिए जाने चाहिए ।

III स्त्रीरोग तथा प्रसूती में परीक्षण तथा जाँचों पर जोर दिया जाना चाहिए तथा इस विषय में होम्योपैथी का कार्यक्षेत्र विस्तार से बताया जाना चाहिए ।

IV अध्ययन द्वितीय बी०एच०एम०एस० से आंरम्भ होगा तथा तृतीय बी०एच०एम०एस० में पूर्ण होगा एवं परीक्षा तृतीय बी०एच०एम०एस० में होगी तथा निम्न विषय पढ़ाये जाएंगे, अर्थातः—

द्वितीय बी०एच०एम०एस०

क. सैद्धान्तिक

1. स्त्रीरोगः

- (अ) स्त्री प्रजनन प्रणालियों की अनुप्रयुक्त धरीर रचना विज्ञान की समीक्षा, विकास एवं कुरचनाएं ।
- (ब) स्त्री प्रजनन प्रणालियों की अनुप्रयुक्त धरीर क्रिया विज्ञान की समीक्षा, यौवन, ऋतुस्त्राव तथा रजोनिवृत्ति ।
- (स) स्त्रीरोग विज्ञान संबंधी परीक्षण एवं निदान ।
- (द) विकासील असमानतायें
- (य) गर्भाषय विस्थापन
- (र) लिंग तथा उभयलिंगता
- (ल) स्त्रीरोग विज्ञान में उपरोक्त सूचीबद्ध विषयों में सामान्य प्रबंधन तथा औषध—षास्त्र ।

2. प्रसूति—विज्ञानः

- (अ) प्रजनन की प्रमुख बातें

- (ब) अन्तःगर्भाषय गर्भावस्था का विकास – नाल तथा गर्भ
- (स) गर्भावस्था का निदान – परीक्षण व जॉचें
- (द) प्रसव पूर्व देखभाल
- (य) गर्भावस्था में वमन
- (र) समय पूर्व प्रसव, प्रसूत काल
- (ल) सामान्य प्रसव – तथा सूतिकावस्था
- (व) प्रसव के बाद जच्चा की देखभाल
- (ष) नवजात की देखभाल
- (ष) प्रसूती विज्ञान में उपरोक्त सूचीबद्ध विषयों पर प्रबंधन तथा औषध षास्त्र ।

तृतीय बी०एच०एम०एस०

1. स्त्रीरोग

- (अ) स्त्री जननांग में संक्रमण व छाले
- (ब) जननांग मार्ग में चोटें
- (स) मासिक धर्म के विकार
- (द) अत्यार्तव तथा गर्भाषय रक्तस्त्राव दुष्क्रिया ।
- (य) स्त्री जननांग मार्ग के विकार
- (र) स्तनों के रोग
- (ल) यौन संचारित रोग
- (व) अंतर्गभाषय—अस्थानता ग्रंथिपेष्ठबुदता
- (ष) बांझपन और बंध्यता
- (ष) अदुर्दम विकास
- (स) दुर्दम
- (ह) कीमोथेरेपी से उत्पन्न जटिलताएं
- (क्ष) स्त्रीरोग में उक्त सूचीकृत विषयों पर प्रबंधन तथा औषध—तंत्र ।

2. प्रसूति—विज्ञान

- (अ) उच्च जोखिम गर्भावस्था: असामान्य स्थितियाँ तथा असामान्य प्रस्तुतियाँ, जुड़वा, नाल तथा अंगों का भ्रंष, की गर्भाषय की क्रिया में असमान्यताएं, संकुचित श्रोणी, मुलायम भाग की असमान्य हालत, बाधित प्रसव, प्रसव की तीसरी अवस्था में कठिनाईयाँ, जननमार्ग में चोटें, गर्भ में विसंगतियाँ ।
- (ब) असामान्य गर्भावस्थाएं— गर्भपात, मोलर गर्भावस्था, नाल व झिल्लियों के रोग, गर्भावस्था की विषरक्तता, प्रसव पूर्व रक्तस्त्राव, बहु—गर्भ, दीर्घ सगर्भता, मन्द सगर्भता, अन्तः गर्भाषय वृद्धि मन्दता, आर.एच.नेगेटिव स्त्रियों में गर्भावस्था, अन्तःगर्भाषय भ्रूण की मृत्यु, मृत षिषु जन्म ।
- (स) गर्भावस्था से जुड़े प्रणालीगत रोग व सामान्य विसंगतियाँ ।
- (द) गर्भधारण पूर्व निदान तकनीक (विनियम तथा दुरुप्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
- (य) सामान्य प्रसूति ॲपरेषन—चिकित्सीय गर्भपात, अपराधिक गर्भपात, सीजेरियन सेक्षन, भगछेदन
- (र) आपातकालीन प्रसूति देखभाल
- (ल) जनसंख्या गतिषीलता और गर्भधारण का नियन्त्रण

(व) षिषु देखभालः— नवजात स्वास्थ्य, स्तनपान, कृत्रिम भोजन, समय पूर्व जन्मे बच्चे की देखभाल, अवासावरोध, जन्म चोटें, नवजात की सामान्य विसंगतियाँ ।

(ष) प्रजनन तथा षिषु स्वास्थ्य की देखभाल (अ) सुरक्षित मातृत्व तथा षिषु जीविता (आ) जोखिम की धारणा—मातृ—षिषु स्वास्थ्य देखभाल (इ) मातृ मृत्युदर तथा रुग्णता दर (ई) प्रसव पूर्व मृत्यु दर तथा रुग्णता दर (उ) भ्रुण तथा नवजात के रोग ।

(८) प्रसूति में न्यायिक औषध के पहलु

(स) प्रसूति की उपरोक्त सूचीगत नैदानिक स्थितियों में प्रबंधन तथा औषध तंत्र ।

ब. प्रयोगात्मक या नैदानिकः

द्वितीय एवं तृतीय बी०एच०एम०एस० में प्रयोगात्मक व नैदानिक कक्षाएँ दोनों विषयों पर ली जाएँगी

(अ) स्त्रीरोगों के रोग वृत ।

(ब) प्रसूति के रोग वृत ।

(स) रोगी की स्त्रीरोग संबंधित जांच

(द) प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर, और प्रसव अंत सहित रोगी की प्रसूति परीक्षा

(य) ऐच्या के समीप प्रषिक्षण

(र) प्रबंधन एवं होम्योपैथी के सिद्धांतों पर उपयुक्त पकड़

(ल) यंत्र एवं मॉडलों की पहचान

स्त्री रोग और प्रसूति प्रत्येक के दस रोग वृत के अभिलेख रखने हैं ।

स. परीक्षा:

1. सैद्धान्तिकः

1.1 प्रज्ञ पत्रों की संख्या —02

1.2 अंकः प्रज्ञपत्र I: 100; प्रज्ञपत्र II: 100

1.3 विषय—वस्तुः

1.3.1 प्रज्ञपत्र I: स्त्रीरोग तथा होम्योपैथिक औषध तंत्र

1.3.2 प्रज्ञपत्र II: प्रसूति—विज्ञान; षिषु देखभाल व होम्योपैथिक औषध तंत्र

2. मौखिक सहित प्रायोगिक

2.1 अंक —200

2.2 अंकों का वितरण

अंक

2.2.1 एक दीर्घ केस 30

2.2.2 प्रायोगिक अभिलेख, रोग वृत अभिलेख अथवा पुस्तिका 30

2.2.3 यंत्रों, मॉडलों, व नमूनों की पहचान 40

2.2.4 मौखिक 100

कुल 200

सामुदायिक औषध

निदेशः

I (अ) चिकित्सक का कार्य रोगहर प्रयोजनों के लिए होम्योपैथी औषधियों के नुस्खे को निष्प्रित करने मात्र तक सीमित न होकर समाज में एक व्यापक भूमिका अदा करना भी है ।

(आ) उसे ग्रामीण और घटी क्षेत्रों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह न केवल रोगहरण वरन् परिवार कल्याण सहित निरोधक और सामाजिक आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में भी, कारगर भूमिका निभाने का दायित्व संभाल सके ।

II यह विषय सर्वोत्तम महत्व का है और आयुर्विज्ञान-अध्ययन के दौरान विद्यार्थी का ध्यान, निरोधक आयुर्विज्ञान के महत्व और सकारात्मक स्वास्थ्य के प्रोन्नयन के लिए उपायों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए ।

III (अ) षिक्षण के दौरान सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान संबंधी सिद्धांतों की प्रस्तावना, का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, रोगी की सामाजिक समस्याएँ एवं रोगों के सामाजिक कारण, स्वास्थ्य और रुग्णता के संदर्भ में आर्थिक कारकों और पर्यावरण के संबंध से परिचित कराना ।

(आ) इस पाठ्यक्रम में षिक्षण व्याख्यानों, प्रयोगों, सेमिनारों, सामूहिक वार्ताओं, प्रदर्शनों और क्षेत्र अध्ययन के द्वारा दिया जाएगा ।

तृतीय बी०एच०एम०एस०

अ. सैद्धान्तिक:

1. मनुष्य तथा औषधि
2. होम्योपैथी और परंपरागत चिकित्सा में स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा
3. पोषण और स्वास्थ्य
 - (अ) भोजन और पोषण
 - (ब) स्वास्थ्य और रोग के संबंध में भोजन
 - (स) संतुलित आहार
 - (द) पोषण तत्वों की कमी, और पोषण सर्वेक्षण
 - (य) खाद्य प्रसंस्करण
 - (र) दूध का पाष्ठ्यरिकृत
 - (ल) भोजन में मिलावट
 - (व) भोजन विषाक्ता
4. पर्यावरण और स्वास्थ्य
 - (अ) वायु, प्रकाष, एवं धूप, विकिरण
 - (ब) जलवायु का प्रभाव
 - (स) सुविधा क्षेत्र
 - (द) व्यक्तिगत स्वच्छता
 - (य) धारीरिक व्यायाम
 - (र) मेलों और त्यौहारों में साफ सफाई
 - (ल) कीटाणुषोधन और निर्जीवाणुकरण
 - (व) वायुमण्डलीय प्रदूषण और वायु की शुद्धि
 - (ष) वायु मंडल जनित रोग
5. जल
 - (अ) जल वितरण; प्रयोग; अषुद्धियाँ व षुद्धी
 - (ब) पेयजल के मानक
 - (स) जलजनित रोग
 - (द) मलमूत्र निष्पादन

- (य) मृत का निष्पादन
- (र) कचरे का निष्पादन
- (ल) चिकित्सा कीटविज्ञान—कीटनाशक, कीटाणुषोधन, रोग के सदर्भ में कीटाणु, कीटाणु नियंत्रण ।
- (व) व्यावसायिक स्वास्थ्य
- (ष) बाल रोग और वृद्धावस्था में निवारक औषध

चतुर्थ बी०एच०एम०एस०

अ. सैद्धान्तिकः

1. जानपदिक रोग विज्ञान
 - (अ) जानपदिक रोग विज्ञान के सिद्धांत एवं विधियाँ
 - (ब) संकामक रोगों का जानपदिक रोग विज्ञान
 - संचारी रोगों का निवारण तथा नियंत्रण के सामान्य सिद्धांत
 - (स) संचारी रोग: उनका विविरण, विस्तारण के तरीके तथा रोकथाम की प्रविधि
 - (द) प्रोटोजोआ और कृमी संक्रमण —प्रोटोजोआ व कृमिओं का जीवन चक्र, उनसे बचाव
 - (य) गैर संचारी रोगों का जनपदिक रोग विज्ञान—सामान्य सिद्धांत तथा गैर संचारी रोगों का नियंत्रण ।
 - (र) बीमारियों की छानबीन ।
2. जैविक आंकड़े:
 - (अ) औषध में जैविक आंकड़ों की आवश्यकता
 - (ब) प्राथमिक आंकड़े की प्रविधियाँ
 - (स) आकार गणना का नमूना
 - (द) नमूने लेने की प्रविधियाँ
 - (य) आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण
 - (र) महत्वपूर्ण आंकड़े
3. जनसांख्यिकी और परिवार नियोजन; जनसंख्या नियंत्रण; गर्भनिरोधक साम्यास; राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम ।
4. स्वास्थ्य प्रिक्षा तथा स्वास्थ्य संचार ।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य की देखभाल ।
6. अर्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य ।
7. मानसिक स्वास्थ्य ।
8. मातृ व षिषु स्वास्थ्य ।
9. विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं ।
10. भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल चिकित्सा कार्यक्रम सहित
11. अस्पताल कचरा प्रबंधन ।
12. आपदा प्रबंधन ।
13. ऑर्गेनन ॲफ मेडिसन के सूत्रों तथा अन्य होम्योपैथिक साहित्यों का अध्ययन जोकि उपरोक्त विषयों रोगनिरोधन सहित, से संबंधित हो ।

ब. प्रायोगिकः

1. खाद्य योजक; खाद्य प्रबलीकरण; खाद्य मिलावट; खाद्य विषाक्त ।
2. संतुलित भोजन ।
3. विद्यालय जाने वाले बच्चों में पोषण स्थिति का स्तर, प्रदूषण तथा जल षुद्धिकरण का सर्वेक्षण ।
4. कीटविज्ञान का आयुर्विज्ञान
5. परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोधक
6. जनसांख्यिकी
7. कीटाणुषोधन
8. कीटनाशक

क्षेत्रों का दौरा

1. दुग्ध डेरी
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
3. संक्रामक रोग अस्पताल
4. औद्योगिक ईकाई
5. मलजल शोधन प्लान्ट
6. जल शोधन प्लान्ट

टिप्पणी : 1 क्षेत्रों के दौरों के लिए परिषिष्ठ—‘ब’ को ध्यान में रखा जाए ।

- 2 छात्रों को उक्त क्षेत्रों के दौरों का व्यावहारिक अभिलेख अथवा पुस्तिकाएं रखना हैं ।
- 3 उपरोक्त क्षेत्रों के दौरों के अभिलेख छात्रों द्वारा रखे जाएंगे ।
- 4 प्रत्येक छात्र कम से कम 10 संचारी रोगों के अभिलेख रखेगा ।

स. परीक्षा :

परीक्षा केवल चतुर्थ बी.एच.एम.एस. में होगी (न कि तृतीय बी.एच.एम.एस. में) । सैद्धांतिक परीक्षा के अतिरिक्त प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक परीक्षा मौखिक सहित निम्न अंकों के आधार पर होगी –

सैद्धांतिकः

- 1.1 प्रज्ञ पत्रों की संख्या—01
- 1.2 अंक—100

प्रायोगिक मौखिक सहितः

2.1	अंक —100	
2.2	अंकों का वितरण	<u>अंक</u>
2.2.1	चिह्नित करना (स्पाइंग)	30
2.2.2	प्रायोगिक अभिलेख अथवा पुस्तिका (क्षेत्रीय दौरों के रिकार्ड सहित)	20
2.2.3	मौखिक	50
	कुल	<u>100</u>

शल्य क्रिया

निर्देशः

- I (अ) होम्योपैथी विज्ञान होने के नाते चिकित्सक से अपेक्षा करती है कि वह रोगी को रोग से मुक्त कर, स्वस्थ करने के लिए उचित निर्णय ले ।
- (आ) होम्योपैथिक चिकित्सक को षल्यक्रियात्मक बाधाओं के ज्ञान की इतनी जानकारी ग्रहण करनी चाहिए जिससे वह योग्य हो –
- (1) सामान्य षल्य चिकित्सा रोगों के निदान
 - (2) जहां संभव हो होम्योपैथिक चिकित्सा उपचार स्थापित करे
 - (3) षल्य चिकित्सक की सहमति से शल्य प्रक्रिया के साथ आपरेषन पूर्व तथा पश्चात् होम्योपैथिक औषधियों द्वारा देखभाल करे ।
- II. उपर्युक्त संकल्पना की स्पष्टता के लिए एवं उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए षल्य-चिकित्सकों तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों के बीच एक प्रभावशाली समन्वयता बनाने की आवश्यकता है जिससे रोगी की समग्र देखभाल संभव हो सके, यह चिकित्सक को होम्योपैथी से इलाज व प्रबंधन के लिए रोगी के व्यक्तिकरण करने में भी सहायक होगा ।
- III. अध्ययन द्वितीय बी.एच.एम.एस. में आरंभ होकर तृतीय बी.एच.एम.एस. में पूरा होगा तथा परीक्षा तृतीय बी.एच.एम.एस. में होगी ।
- IV (क) निम्न योजना उपर्युक्त की प्राप्ति के लिए है एवं इसमें द्वितीय तथा तृतीय वर्ष का बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम तथा विकास के क्रमिक स्तरों को ध्यान में रखा जाएगा ।
- (ख) अध्ययन के पूर्ण अन्तराल में, छात्रों के ध्यान को इस विषय के विशेष इसके निरोधक पहलुओं पर केन्द्रित करेंगे ।
- V. समय-समय पर अंतर-विभागीय गोष्ठीयाँ, छात्रों के कौशल व दक्षता को बेहतर बनाने के लिए आयोजित की जाएंगी तथा अध्ययन के लिए प्रशिक्षण में सम्मिलित होगा,—
- (अ) षल्य चिकित्सा के सिद्धान्त
 - (ब) षल्य चिकित्सीय समस्याओं वाले एक रोगी की जाँच के सिद्धान्त ।
 - (स) एक रोगी की परीक्षा के लिए सामान्य उपकरणों का उपयोग ।
 - (द) भौतिक-चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) के उपाय
 - (य) रेडियो नैदानिक का अनुप्रयुक्त अध्ययन
 - (र) रोग कारकों का ज्ञान, अभिव्यक्ति, और षल्य विकारों का पूर्वानुमान एवं प्रबंधन,
 - (ल) षल्य विकारों की मियाजमैटिक पृष्ठभूमि, जहां भी लागू हो,
 - (व) ऐच्या के समीप नैदानिक प्रक्रियाँ
 - (ष) अनुप्रयुक्त पहलुओं के आपसी संबंध, उन कारकों सहित जो बीमारी की रूपरेखा को बदल सकते हैं, औषधीय और गैर-औषधीय उपायों के इस्तेमाल सहित ।
 - (ष) छद्म षल्य चिकित्सा, होम्योपैथिक उपचार की भूमिका तथा यथार्थ षल्य रोग ।

द्वितीय बी.एच.एम.एस.

अ सेव्हान्तिकः

(क) सामान्य षल्य चिकित्सा:-

1. षल्य चिकित्सा और बुनियादी षल्य चिकित्सा के सिद्धान्तों का परिचय
2. द्रव्य, खनिज तथा अम्ल-लवण संतुलन
3. रक्त-स्त्राव, रक्त-स्तम्भन तथा रक्त आधान
4. फोड़ा (बायल), फोड़ा (एबसेस), रक्तमणि (कारबन्कल) सेल्युलाइटिस, विसर्प तथा विद्रधि

5. तीव्र और जीर्ण संकमण, ट्यूमर, छाला, षिरानाल, नासूर ।
6. अनेक प्रकार के घावः सिर पर चोट का प्रारंभिक प्रबंधन ।
7. घाव, उत्तक मरम्मत, निषान, घाव संकमण ।
8. विषेष संकमण (क्षय रोग, उपदंष, एक्वायर्ड इम्फूनो सिंड्रोम, किरण रोग, कुष्ठ)
9. जलना
10. सदमा
11. पोषण
12. आपरेशन पूर्व और पञ्चात् की देखभाल
13. सामान्य प्रबंधन, षल्य चिकित्सीय प्रबंधन और उपरोक्त विषयों में होम्योपैथिक औषध तन्त्र को सम्मिलित किया जाएगा ।

परीक्षा : द्वितीय बी.एच.एम.एस. में विषय में कोई परीक्षा नहीं होगी ।

तृतीय बी.एच.एम.एस.

अ. सैद्धान्तिकः

(क) प्रणालीगत षल्य किया:-

1. रक्त वाहिकाओं के रोग, लहसिकाएं तथा परिधाय तंत्रिकाएं
2. ग्रंथिरोग
3. हाथ—पैर के रोग
4. छाती और पेट के रोग
5. पाचन तंत्र के रोग
6. यकृत, तिल्ली, पित्ताषय और पित्त नलिका के रोग
7. उदर भित्ति, नाभी, आंत उत्तरने के रोग
8. हृदय और हृदवयकोष के रोग
9. मूत्रजननांगी प्रणाली के रोग
10. हड्डियों, खोपड़ी, रीढ़, के रोग व अस्थीभंग तथा स्थान भ्रष्टथा (डिस्लोकेशन)
11. जोड़ों के रोग
12. मांसपेशियां, नस, प्रावरणी के रोग

ब. कानः

1. कान की अनुप्रयुक्त षरीर रचना विज्ञान, षरीर किया विज्ञान
2. कान का परीक्षण
3. बाह्य, मध्य, व आंतरिक कान के रोग

स. नाकः

1. नाक तथा परानासा षिरानाल की अनुप्रयुक्त षरीर रचना तथा षरीर किया विज्ञान
2. नाक तथा परानासा षिरानाल की जांच
3. नाक तथा परानासा षिरानाल के रोग

द. गला

1. ग्रसनी, कंठ, कंठष्वसन नलीकिय जाल, ग्रासनली का अनुप्रयुक्त षरीर रचना व किया विज्ञान
2. ग्रसनी, कंठ, कंठष्वसन नलीकिय जाल, ग्रासनली का परीक्षण

- 3. गले के रोग (बाह्य व आन्तरक)
- 4. ग्रासनली के रोग
- य. नेत्र विज्ञान
 - 1. नेत्र की अनुप्रयुक्त धरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान
 - 2. नेत्र का परीक्षण
 - 3. पलकों, भोहों तथा अश्व निकासी व्यवस्था के रोग
 - 4. नेत्रों के रोग चोटों से संबंधित समस्याओं सहित
- र. दंत चिकित्सा
 - 1. दांतों व मसूड़ों की अनुप्रयुक्त धारीरिक रचना व क्रिया विज्ञान
 - 2. दाँत निकलने के विभिन्न चरण
 - 3. मुख गुहा की परीक्षा
 - 4. मसूड़ों के रोग
 - 5. दांतों के रोग
 - 6. दाँत निकलने की समस्याएं

उपयुक्त विषयों के सामान्य प्रबंधन, शल्य क्रिया प्रबंधन, तथा होम्योपैथिक औषध शास्त्र सम्मिलित किया जायेगा।

प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक

(द्वितीय तथा तृतीय बी.एच.एम.एस. में अध्ययन कराया जायेगा)

- 1 प्रत्येक छात्र 20 शल्य चिकित्सा रोगियों के पूर्ण रोग वृत्त तैयार कर प्रस्तुत करेगा, क्रमसः प्रत्येक 10 द्वितीय तथा तृतीय बी.एच.एम.एस. कक्षाओं में।
- 2 सर्जिकल उपकरण, एक्स—रे, नमूने इत्यादि।
- 3 शल्य क्रिया में नैदानिक परीक्षण
- 4 सामान्य सर्जिकल प्रक्रियाओं तथा आपातकालीन प्रक्रियाओं में निम्नानुसार प्रबंधन :—
 - (अ) घाव
 - (आ) फोड़े : चीरा तथा निकास
 - (इ) ड्रेसिंग एवं प्लास्टर
 - (ई) विभिन्न प्रकार के टांके
 - (उ) आपरेशन पूर्व तथा आपरेशन पश्चात् देखभाल
 - (ऊ) आघात का प्रबंधन
 - (ए) तीव्र रक्त स्राव का प्रबंधन
 - (ऐ) तीव्र चोटों के रोगियों का प्रबंधन
 - (ओ) सिर की चोटों का प्राथमिक उपचार

परीक्षा :

यह तृतीय बी.एच.एम.एस. में होंगी (द्वितीय बी.एच.एम.एस. में नहीं)।

सैद्धांतिक:

- 1.1 प्रज्ञ पत्रों की संख्या—02
- 1.2 अंक: प्रज्ञ पत्र I—100, प्रज्ञ पत्र II—100

1.3 विषय वस्तु -

1.3.1 प्रज्ञ पत्र-I

भाग -1 सामान्य शल्यक्रिया	50 अंक
---------------------------	--------

भाग-2

होम्योपैथिक औषध शास्त्र सामान्य शल्य क्रिया के संबंध में	50 अंक
--	--------

1.3.2 प्रज्ञ पत्र-II

भाग-1 प्रणालीगत शल्य क्रिया	25 अंक
-----------------------------	--------

(i) कंठ नासा कर्ण	10 अंक
-------------------	--------

(ii) नेत्र चिकित्सा	10 अंक
---------------------	--------

(iii) दंत चिकित्सा	05 अंक
--------------------	--------

भाग-2 प्रणालीगत शल्यक्रिया में होम्योपैथिक औषध-शास्त्र	25 अंक
--	--------

(i) कंठ नासा कर्ण में होम्योपैथिक औषध-शास्त्र	10 अंक
---	--------

(ii) नेत्र चिकित्सा में होम्योपैथिक औषध-शास्त्र	10 अंक
---	--------

(iii) दंत चिकित्सा में होम्योपैथिक औषध-शास्त्र	05 अंक
--	--------

2. प्रायोगिक मौखिक सहित:

2.1	अंक -200
-----	----------

2.2	<u>अंको का वितरण</u>
-----	----------------------

2.2.1	एक दीर्घ केस
-------	--------------

40

2.2.2	उपकरणों, एक्स-रे की पहचान
-------	---------------------------

30

2.2.3	प्रयोगिक अभिलेख, रोग वृत्त अभिलेख अथवा पुस्तिका
-------	---

30

2.2.4	<u>मौखिक</u>
-------	--------------

100

कुल	<u>200</u>
-----	------------

आयुर्विज्ञान साम्यास (प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन)

निदेशः

I (अ) होम्योपैथी का रोग के प्रति विषिष्ट दृष्टिकोण है।

(आ) यह एक बिमार व्यक्ति को उसकी सम्पूर्णता का अध्ययन करते हुए पहचान करती है न कि बीमार भागों के रूप में एंव इसमें व्यक्ति के अध्ययन, उसके स्वास्थ्य की दषा, बीमारी की दषा के अध्ययन पर बल दिया जाता है।

II व्यक्तिकरण के उपयुक्त अध्ययन के लिए निम्न परिपेक्ष की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति के प्रमुख पहलूओं को, रोग स्थिति के क्रमशः सामान्य चित्रण की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो सके, अर्थातः-

- 1 रोग की परिस्थितियों का षरीर रचना, षरीर क्रिया तथा जैव रसायन विज्ञान तथा विकृति विज्ञान के साथ सह संबंध ।
- 2 रोगों के कारणों, अभिव्यक्तियों, निदान (विभेदक निदान सहित), पूर्वानुमान तथा प्रबंधन ।
- 3 रोग परिस्थितियों से निपटने के लिए आर्गेनन ऑफ मेडिसिन तथा होम्योपैथिक दर्शन के ज्ञान का प्रयोग ।
- 4 परियुक्त विषयों का परिज्ञान ।

5 ऐच्या के समीप तर्कसंगत नैदानिक प्रषिक्षण जिससे सटीकता के साथ अर्जित ज्ञान व कौशल का प्रयोग किया जा सके ।

6 तर्कसंगत नैदानिक जॉच का प्रयोग सुनिष्चित करने हेतु समुचित ज्ञान ।

III (अ) मानव के स्वास्थ्य, स्वभाव, प्रवृत्ति, रोग, पूर्ववृत्ति तथा प्रेरित करने वाले कारक, बनाये रखने वाले कारकों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जायेगा ।

(आ) हनेमन का जीर्ण मियाजम का सिद्धान्त, जीर्ण रोगों की विकासवादी समझ हमें देता हैः जीर्ण रोगों के तीव्र अभिव्यक्तियाँ, सोरा, साइकोसिस, सिफलिस तथा प्राकृतिक रोगों का विकास, जीर्ण रोगों के सिद्धान्त की दृष्टि से व्यापक रूप में समझाया जाएगा ।

IV (अ) शिक्षण में सभी विषयों तथा रोगी को संपूर्णता में, की जॉच के नैदानिक प्रविधियों, देखभाल तथा होम्योपैथिक औषध षास्त्र के अध्ययन पर बल दिया जाएगा ।

(आ) उपरोक्त क्षेत्रों का गहन अध्ययन एंव होम्योपैथिक चिकित्सक को आयुर्विज्ञान साभ्यास के प्रायोगिक पहलुओं को समझाने योग्य बनाएगा ।

(इ) वह एक समग्र चिकित्सक के रूप में प्रषिक्षित होगा जिसमें आधुनिकतम तकनीकों जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, ई.सी.जी., एंव अन्य सामान्य प्रयोगषाला में होने वाली जॉचों की मदद से भिन्नतों को समझने की काबिलियत, सही अनुमान तथा रोगों की आधारात्मक स्पष्टता होगी ।

(ई) विभिन्न रोगों की स्थितियों के सामान्य प्रबंधन एंव पूर्वानुमान के तर्कसंगत मूल्यांकन को केन्द्रित करना होगा ।

V विषय अध्ययनः—विषय अध्ययन तृतीय बी.एच.एम.एस. तथा चतुर्थ बी.एच.एम.एस. दो वर्षों में होगा किन्तु परीक्षा चतुर्थ बी.एच.एम.एस. के अंत में आयोजित की जायेगी ।

तृतीय बी.एच.एम.एस.

सैद्धांतिकः

1. क्रमशः प्रणाली के संदर्भ में अनुप्रयुक्त घरीर रचना विज्ञान तथा अनुप्रयुक्त घरीर क्रिया विज्ञानः—
2. घसनी रोग ।
3. पाचन तंत्र तथा पेरीटोनियम (पर्युदर्या) के रोग ।
4. यकृत, पित्ताष्य तथा अग्नाष्य संबंधित रोग ।
5. आनुवांशिक कारक (चिरकालिक मियाजम की संकल्पना से रोगों की सह—संबंधिता) ।
6. रोगों में प्रतिरक्षात्मक कारक, संवेदनशीलता (एच.आई.वी., हैपेटाइटिस बी सहित) की धारणा सहित ।
7. रासायनिक तथा भौतिकी कारक तथा वातावर्णिक तथा पर्यावर्णीय कारकों से उत्पन्न रोग ।
8. विभिन्न प्रणालियों में नैदानिक जॉच का ज्ञान ।
9. जल तथा लवणिय संतुलन के रोग ।

चतुर्थ बी.एच.एम.एस.

सिद्धांतः

- 1 पोषण तथा उपापचयी रोग
- 2 रक्तोत्पादक प्रणाली के रोग
- 3 अन्तःस्त्रावी रोग
- 4 संक्रामक रोग
- 5 हृदय वाहिका तंत्र के रोग
- 6 मूत्रप्रजनन मार्ग के रोग
- 7 केन्द्रीय तन्त्रिका तंत्र तथा परिसरीय तन्त्रिका तंत्र के रोग
- 8 मानसिक रोग (मनोविकार रोग)

- 9 गतिषीलता तंत्र के रोग (संयोजक कोषिका, हड्डियों तथा जोड़ो के विकार)
- 10 चर्म रोग तथा यौन संचारित रोग
- 11 उष्ण कटिबंधीय रोग
- 12 पिषु रोग
- 13 वृद्धावस्था रोग
- 14 विषेष रोगों से संबंधित विभिन्न अगों तथा प्रणालियों के संदर्भ में अनुप्रयुक्त षरीर रचना विज्ञान तथा षरीर क्रिया विज्ञान
- 15 विभिन्न प्रणालियों की नैदानिक जाँचों का ज्ञान
- (अ) सभी विषयों के सामान्य प्रबंधन तथा होम्योपैथिक औषध तन्त्र को तृतीय बी.एच.एम.एस. तथा चतुर्थ बी.एच.एम.एस. में साथ साथ पढ़ाया जायेगा तथा स्वास्थ्य, प्रवृत्ति, रोग की प्रवृत्ति मनोवृत्ति, सभी पूर्व मनोवृत्तियां तथा उत्तेजक कारकों अर्थात् मूलभूत कारणों, रोगों के कारण तथा उत्तेजनात्मक कारणों को ध्यान में रखते हुए मानव के अध्ययन पर बल दिया जाएगा ।
- (आ) चिकित्सा-षास्त्र का अध्ययन नैदानिक परिस्थितियों में निर्दिष्ट दवाओं की सूची नहीं है अपितु अनुप्रयुक्त मेटेरिया मेडिका का शिक्षण भी है जिस पर बल दिया जाएगा ।

प्रयोगात्मक या नैदानिक :

(अ) प्रत्येक अभ्यार्थी 20 पूर्ण रोग वृत्त अभिलेख जमा करेगा (10 तृतीय बी.एच.एम.एस. में तथा 10 चतुर्थ बी.एच.एम.एस. में) ।

(आ) परीक्षा प्रणाली के दौरान एक दीर्घ तथा एक लघु रोग वृत्त सम्मिलित होगा । प्रत्येक छात्र को नैदानिक प्रशिक्षण के दौरान निम्न पर अधिक बल दिया जाएगा:-

1. हनेमन के निदेषों का अनुपालन करते हुए विस्तृत विवरण रोग वृत्त दर्ज करना ।
2. षारीरिक जांच (सामान्य, प्रणालीगत तथा क्षेत्रीय) ।
3. रोग परिस्थितियों के निदान हेतु वांछित प्रयोगिक नैदानिक जाँचें ।
4. विभेदक निदान, अनन्तिम निदान तथा जांच रिपोर्टों की व्याख्या ।
5. सामान्य प्रबंधन तथा सिमिलिमम का चयन ।

ब. परीक्षायें :

1. सैद्धांतिक

- 1.1 प्रज्ञ पत्रों की संख्या-02
- 1.2 प्रज्ञ पत्र: I-100, प्रज्ञ पत्र II-100
- 1.3 विषय वस्तु :

- 1.3.1 प्रज्ञ पत्र-1: होम्योपैथिक चिकित्सा षास्त्र सहित तृतीय बी.एच.एम.एस. के विषय
- 1.3.2 प्रज्ञ पत्र-2: होम्योपैथिक चिकित्सा षास्त्र सहित चतुर्थ बी.एच.एम.एस. के विषय

2. प्रायोगिक मौखिक सहित :

2.1	अंक – 200	
2.2	अंकों का वितरण	<u>अंक</u>
2.2.1	एक दीर्घ केस	20
2.2.2	एक लघु केस	20
2.2.3	प्रयोगिक अभिलेख, रोग वृत्त अभिलेख, पुस्तिका	30
2.2.4	नमूनों की पहचान	30

(एक्स—रे, ई.सी.जी. इत्यादि)

2.2.5 मौखिक	<u>100</u>
कुल	<u>200</u>

टिप्पणी: पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा लिए रोग वृत्त प्रतिवेदनों को मौखिक परीक्षा के दौरान भी मौखिक परीक्षा हेतु विचारार्थ लिए जाएगा ।

9. मूल विनियमों में, विनियम 7 के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“7. प्रथम बी.एच.एम.एस. परीक्षा :—(i) किसी भी छात्र को प्रथम बी.एच.एम.एस. परीक्षा में तभी प्रवेष दिया जाएगा जबकि वह विनियम 13 के खण्ड (iii) के अनुसार महाविद्यालय के प्रमुख की संतुष्टि के अनुसार वांछित उपस्थिति दर्ज करवाएगा ।

(ii) प्रथम बी.एच.एम.एस. की परीक्षा प्रवेष के 12वें महीने में होगी ।

(iii) विषयों में संभाषण, (षिक्षणीय) ट्यूटोरियल, प्रदर्शन अथवा प्रायोगिक कक्षाओं तथा गोष्ठियों के घन्टों की न्यूनतम संख्या निम्न होगी :—

क्र.सं.	विषय	सैद्धान्तिक संभाषण (घण्टों में)	प्रयोगात्मक अथवा ट्यूटोरियल अथवा सेमिनार (घण्टों में)
1	होम्योपैथी दर्शन सहित ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन	35 (10 घंटे तर्क के लिए)	
2	षरीर रचना विज्ञान	200 (ऊतक विज्ञान तथा भ्रुण विज्ञान प्रत्येक के लिए 10 घंटे सहित)	275 (ऊतक विज्ञान तथा भ्रुण विज्ञान के लिए 30 घन्टों सहित)
3	षरीर क्रिया विज्ञान	200 (जैव रसायन के लिए 50 घंटे सहित)	275 (जैव रसायन के लिए 50 घंटे सहित)
4	होम्योपैथिक भेषजी	100	70
5	होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका	35	—

(iv) प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक तथा प्रथम बी.एच.एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक निम्न होंगे, अर्थात् :—

विषय	लिखित		प्रयोगात्मक (मौखिक सहित)		कुल	
	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
होम्योपैथिक भेषजी	100	50	100	50	200	100
षरीर रचना विज्ञान	200	100	200	100	400	200
षरीर क्रिया विज्ञान	200	100	200	100	400	200

10. मूल विनियमों में, विनियम 7 के पश्चात्, निम्न विनियम को जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“7.अ. प्रत्येक महाविद्यालय सभी छात्रों को सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक के लिए सभी कक्षाओं में षिक्षकीय तथा सेमिनार सहित कम से कम 7 कार्य घण्टे प्रति कार्य दिवस (आधे घण्टे का भोजन अवकाश सहित) षिक्षण तथा प्रषिक्षण देंगा” ।

11. मूल विनियमों में, विनियम 8 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

‘8. द्वितीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा :— विनियम 11 के खण्ड (iii) के उपखण्ड '(इ)' के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अभ्यार्थी को द्वितीय बी.एच.एम.एस. परीक्षाओं में तभी प्रवेष दिया जाएगा जबकि वह प्रथम बी.

एच.एम.एस. परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो एंव विनियम 13 के खण्ड (iii) के अनुसार होम्योपैथिक महाविद्यालय के प्रमुख की संतुष्टि के अनुसार आवश्यक उपस्थिति दर्ज हो ।

(ii) द्वितीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा, प्रथम बी.एच.एम.एस. में प्रवेष के 24वें महीने में होगी ।

(iii) विषयों में संभाषण, (षिक्षकीय) ट्यूटोरियल, प्रदर्शन अथवा प्रायोगिक कक्षाओं तथा गोष्ठियों के घन्टों की न्यूनतम संख्या निम्न होगी:—

क्र.सं.	विषय	सैद्धान्तिक संभाषण (घण्टों में)	प्रयोगात्मक अथवा ट्यूटोरियल अथवा सेमिनार (घण्टों में)
1.	विकृति विज्ञान	200	80
2.	न्यायिक औषध तथा विष विज्ञान	80	40
3.	होम्योपैथी दर्शन सहित आर्गनन ऑफ मेडिसन	160	60
4.	होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका	160	60
5.	षल्य चिकित्सा	80	60(षल्य चिकित्सा वार्ड तथा बाह्य रोगी विभाग में तीन महीने की एक अवधि)
6.	स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति	40 तथा 40=80	60 (स्त्री रोग वार्ड तथा प्रसूति तथा बाह्य रोगी विभाग में तीन महीने की एक अवधि)

(iv) द्वितीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु, एक अभ्यार्थी को परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना है ।

(v) प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक तथा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक निम्न प्रकार से होंगे, अर्थात् :—

विषय	लिखित		प्रयोगात्मक या नैदानिक (मौखिक सहित)		कुल	
	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
विकृति विज्ञान	200	100	100	50	300	150
न्यायिक औषध तथा विष विज्ञान	100	50	100	50	200	100
होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका	100	50	100	50	200	100
आर्गनन ऑफ मेडिसन	100	50	100	50	200	100

12. मूल विनियमों में, विनियम 9 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“9. तृतीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा:— विनियम 11 के खण्ड (iii) के उपखण्ड ‘(इ)’ के प्रावधानों के अनुसार कोई भी अभ्यार्थी तृतीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा में तभी प्रवेष पाएगा जबकि उसने द्वितीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं विनियम 13 के खण्ड (iii) के अनुसार होम्योपैथिक महाविद्यालय के प्रमुख की संतुष्टि के अनुसार आवश्यक उपस्थिति दर्ज हों ।

(ii) तृतीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा, प्रथम बी.एच.एम.एस. में प्रवेष के 36वें महीने में होगी ।

(iii) विषयों में संभाषण(षिक्षकीय) ट्र्यूटोरियल, प्रदर्शन अथवा प्रायोगिक कक्षाओं तथा गोष्ठियों के घन्टों की न्यूनतम संख्या निम्न होगी:-

क्र.सं.	विषय	सैद्धान्तिक संभाषण (घण्टों में)	प्रयोगात्मक अथवा ट्र्यूटोरियल अथवा सेमिनार (घण्टों में)
1.	औषध साम्यास तथा होम्योपैथिक औषध षास्त्र	50} 75 25}	75 अन्तः रोगी विभाग तथा बाह्य रोगी विभाग प्रत्येक में तीन महीने की एक अवधि
2.	कर्ण, नासा व कंठ, नेत्र विज्ञान तथा दन्त सहित षल्य चिकित्सा व होम्योपैथी औषध षास्त्र	100} 150 50}	75 अन्तः रोगी विभाग तथा बाह्य रोगी विभाग प्रत्येक में तीन महीने की एक अवधि
3.	स्त्री रोग व प्रसूति तथा षिषु देखभाल व होम्योपैथिक औषध षास्त्र	100 }150 50 }	75 स्त्री अन्तः रोगी विभाग व प्रसूति तथा बाह्य रोगी विभाग में तीन महीने की एक अवधि
4.	होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका	100	75
5.	आर्गनन ऑफ मेडिसिन	100	75
6.	रेपटरी	50	25
7.	सामुदायिक औषध	35	15

(iv) तृतीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु एक अभ्यार्थी को सभी विषयों में उत्तीर्ण होना है।

(v) प्रत्येक विषयों के लिए पूर्णांक तथा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक निम्न प्रकार से होंगे, अर्थातः-

विषय	लिखित		प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक मौखिक सहित		कुल	
	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
षल्य क्रिया	200	100	200	100	400	200
स्त्री रोग व प्रसूति	200	100	200	100	400	200
होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका	100	50	100	50	200	100
आर्गनन ऑफ मेडिसिन	100	50	100	50	200	100

13. मूल विनियमों में, विनियम 10 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

“10. चतुर्थ बी.एच.एम.एस. परीक्षा:- विनियम 11 के खण्ड (iii) के उपखण्ड '(इ)' के प्रावधानों के अनुसार कोई भी अभ्यार्थी चतुर्थ बी.एच.एम.एस. परीक्षा में तभी प्रवेष पाएगा जबकि उसने तृतीय बी.एच.एम.एस.परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं विनियम 13 के खण्ड (iii) के अनुसार होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रमुख की संतुष्टि के अनुसार आवश्यक उपस्थिति दर्ज हो ।

(ii) चतुर्थ बी.एच.एम.एस. परीक्षा प्रथम बी.एच.एम.एस. में प्रवेष के 54वें महीने में होगी ।

(iii) विषयों में संभाषण, शिक्षकीय (ट्यूटोरियल), प्रदर्शन अथवा प्रायोगिक कक्षाओं तथा गोष्ठियों के घट्टों की न्यूनतम संख्या निम्न होगी:-

विषय	सैद्धान्तिक सभाषण (घट्टों में)	प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक अथवा ट्यूटोरियल कक्षाएं (घट्टों में)
औषध साम्यास	120 } 180 60	अन्तः रोगी विभाग तथा बाह्य रोगी विभाग प्रत्येक में तीन महीने की एक अवधि । रोग-वृत्, विष्लेषण, मूल्यांकण तथा अनंतिम प्रलेखन 10 रोगियों के प्रति माह रोग वृत् प्रदर्शन हेतु कार्य के लिए
होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका	180	
आर्गनन ऑफ मेडिसिन तथा होम्योपैथिक दर्शन	180	
रेपर्टरी	100	
सामुदायिक औषध	100	100

(iv) तृतीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा पास करने हेतु, एक अभ्यार्थी को परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना है ।

(v) प्रत्येक विषय में पूर्णक तथा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक निम्न प्रकार से होंगे, अर्थात्:-

विषय	लिखित		प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक मौखिक सहित		कुल	
	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
औषध साम्यास	200	100	200	100	400	200
होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका	200	100	200	100	400	200
होम्योपैथिक दर्शन के साथ आर्गनन ऑफ मेडिसिन	200	100	100	50	300	150
रेपर्टरी	100	50	100	50	200	100
सामुदायिक औषध	100	50	100	50	200	100

14. मूल विनियमों में, विनियम 11 में –

(अ) खण्ड (i) के लिए, निम्न खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(i) परीक्षक मण्डल सुनिष्चित करेगा कि परीक्षा-फल परीक्षा की अन्तिम तिथि से अधिकतम एक माह के अन्दर प्रकाशित हो जिससे छात्र पाठ्यक्रम प्रवेष के $5\frac{1}{2}$ वर्षों में ही पूर्ण कर सके ।"

(आ) खण्ड (iii) में, उप-खण्ड (इ) के लिए निम्न उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(इ) अभ्यार्थी द्वितीय बी.एच.एम.एस.परीक्षा में प्रवेष की अनुमति से कम से कम एक अवधि (6 माह) पूर्व प्रथम बी.एच.एम.एस. परीक्षा सभी विषयों में पूर्ण उत्तीर्ण करें यद्यपि द्वितीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा में बैठने की अनुमती उसे तब ही मिलेगी जबकि वह षरीर रचना विज्ञान एंव षरीर क्रिया विज्ञान (जैव रसायन विज्ञान सहित) से (12 माह) दो अवधि पहले पास करेगा" ।

(इ) खण्ड (iv) के लिए, निम्न खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) एक अभ्यार्थी जो प्रथम बी.एच.एम.एस. परीक्षा, द्वितीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा, तृतीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा अथवा चतुर्थ बी.एच.एम.एस. परीक्षा में प्रवेष लेता हो किन्तु वह किसी विषय अथवा विषयों में अनुर्त्तीर्ण होता

है, को उस विषय अथवा उन विषयों में अगली परीक्षा में पुनः प्रवेष दिया जाएगा जिनमें कि वह (सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक मौखिक सहित अथवा प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक जिसमें वह अनुर्तीर्ण हुआ हो)।”

(ई) खण्ड (viii) के लिए, निम्न खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(vii) विष्वविद्यालय अथवा परीक्षा प्राधिकारी किसी अभ्यार्थी को जो कि एक विषय या अधिक विषयों में अनुर्तीर्ण हो, को अपने विवेक से अधिकतम 10 अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा।”

15. मूल विनियमों में, विनियम 12 के लिए, निम्न विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् –

“12. परीक्षकः— (i) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 (समय समय पर संबोधित) में विकास कर्मचारीवृन्द के लिए निर्दिष्ट योग्यता धारक अतिरिक्त कोई व्यक्ति बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु आंतरिक अथवा बाह्य परीक्षक अथवा प्राणिक अथवा निर्णायक नहीं होगा।

परन्तु कि

(अ) कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी डिग्री स्तर के होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में कम से कम तीन वर्षों का नियमित विकास अनुभव न हो तो वह परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(आ) आन्तरिक परीक्षक उसी महाविद्यालय के विकास कर्मचारीवृन्द से नियुक्त किया जाएगा जहाँ से अभ्यार्थी अथवा छात्र संबंध रखता हो।

(ii) अध्यक्ष या प्राणिक या निर्णायक को नियुक्त करने का मापदण्ड निम्न होगा, अर्थात्:-

(1) अध्यक्ष: सैद्धान्तिक एंव मौखिक अथवा प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक परीक्षाओं हेतु नियुक्त किए गये परीक्षकों अथवा प्राणिकों में से जो वरिष्ठ होगा उसे अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा तथा अध्यक्ष की अर्हता वही होगी जो होम्योपैथिक विषयों के प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए है।

(2) निर्णायक: एक प्रोफेसर अथवा एक एसोसिएट प्रोफेसर अथवा रीडर निर्णायक नियुक्त किए जाने हेतु योग्य होगा।

परन्तु एक सहायक प्रोफेसर अथवा लेक्चरर जिसे एक परीक्षक के रूप में 5 वर्षों का अनुभव हो, को निर्णायक की नियुक्ति हेतु योग्य माना जा सकता है।

(3) प्राणिक: एक प्रोफेसर अथवा सह प्रोफेसर अथवा रीडर को प्राणिक नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु एक सहायक प्रोफेसर अथवा लेक्चरर को प्राणिक नियुक्त हेतु योग्य माना जा सकता है यदि उसे परीक्षक का तीन वर्षों का अनुभव हो।

16. मूल विनियमों में, विनियम 13 में

(अ) खण्ड (iii) के लिए, निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(iii) विषयों में प्रत्येक में (सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक नैदानिक सहित में) विष्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम पचहत्तर प्रतिष्ठातः उपस्थिति अनिवार्य होगी।”

(आ) खण्ड (vii) तथा (viii) के लिए, निम्न खण्डों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(vii) प्रत्येक वर्ष में एक नियमित तथा एक पूरक परीक्षा होगी तथा पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो माह (अंक तालिका जारी करने सहित) के अन्दर आयोजित की जाएगी।

(viii) किसी भी कारण से परीक्षा में नहीं बैठने के कारण, अभ्यार्थी को परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अवसर देने की छूट नहीं होगी।”

17. मूल विनियमों में, विनियम 14 में, खण्ड (v) के लिए निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(v) एक महाविद्यालय से छात्रों का दूसरे में स्थानान्तरण:

(क) एक महाविद्यालय से दूसरे में स्थानान्तरण छात्र का हक नहीं होगा।

(ख) केवल विषेष परिस्थितियों में ही भारत में एक होम्योपैथिक महाविद्यालय से दूसरे होम्योपैथिक महाविद्यालय में स्थानान्तरण पर केवल केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा ही असाधारण मामलों में अनुकर्म्मा के

आधार पर ही विचार किया जायेगा यदि निम्न पात्रताएँ पूर्ण की जाती हैं। सामान्यता स्थानांतरण अन्य आधारों पर मान्य नहीं होगा।

- (ग) दोनों महाविद्यालय अर्थात् जिसमें वर्तमान में छात्र पढ़ रहा हो तथा जहाँ वह स्थानांतरण चाहता है, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त हों।
- (घ) अभ्यार्थी ने प्रथम बी.एच.एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (ड.) अभ्यार्थी स्थानान्तरण हेतु अपना आवेदन पत्र संलग्न फार्मेट में पूर्ण रूप से भर कर, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी के प्रथम व्यावसायिक (बी.एच.एम.एस.) परीक्षा उत्तीर्ण करने (परिणाम जारी होने) के एक माह के अन्दर जमा करवाएगा।
- (च) अभ्यार्थी एक षपथ पत्र देगा जिसमें वह द्वितीय व्यावसायिक बी.एच.एम.एस.परीक्षा में प्रवेष से पूर्व 12 माह का निर्दिष्ट अध्ययन उस महाविद्यालय में पूरा करेगा जहाँ वह स्थानांतरण चाहता है, जिसे सम्बन्धित विष्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जहाँ वह स्थानांतरण चाहता है, द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और स्थानांतरण षपथ पत्र की प्राप्ति के बाद से ही लागू होगा।
- (छ) गृह षिक्षुता (इर्चनषिप) के दौरान स्थानांतरण अव्यंत विकट परिस्थितियों में अनुकम्पा के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा, परन्तु स्थानांतरण केवल दोनों महाविद्यालयों के आपसी सहमति अर्थात् जहाँ पर अभ्यार्थी वर्तमान में षिक्षा ग्रहण कर रहा हो तथा जिस महाविद्यालय में स्थानांतरण चाहता हो तथा जोकि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त हो, में प्रदान की जा सकेगी।

टिप्पणी 1:

- (अ) स्थानांतरण हेतु सभी आवेदन पत्र महाविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को प्रेषित किए जाएंगे। कोई भी संस्थान या विष्वविद्यालय केन्द्रीय परिषद् के मंजूरी के बिना कोई भी स्थानांतरण को सीधे अनुमति नहीं देगा।
 - (आ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को किसी भी आवेदन को, जो निम्न अनुकम्पा के आधारों के अतिरिक्त हो, निरस्त करने का अधिकार है:—
 - (i) सहारा देने वाले एक अभिभावक की मृत्यु;
 - (ii) मान्यता प्राप्त अस्पताल से अभ्यार्थी की बीमारी के कारण हुई विकलांगता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र;
 - (iii) जहाँ पर महाविद्यालय स्थित हो संबंधित सरकार द्वारा उस क्षेत्र में गड़बड़ परिस्थितियों की घोषणा की हो।
 - (इ) अनुकम्पा के आधार पर अभ्यार्थी 'प्रारूप -1' में पूर्ण रूप से भरकर वांछित कागजातों के साथ आवेदन करेगा।
18. मूल विनियमों में, परिषिष्ठ 'अ' में,
- (अ) पैरा 1 में, उप—पैरा (v) को हटा दिया जाएगा;
 - (आ) पैरा 2 में,—
 - (क) उप—पैरा (ii) के लिए, निम्न उप—पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(ii)(अ) गृह षिक्षुता प्रबिक्षण में होम्योपैथी सिद्धांतों के अनुरूप रोग वृत्, लक्षणों के विष्लेषण, रोग वर्गीकरण विज्ञान तथा मियाजमैटिक निदान, लक्षणों की संपूर्णता, रेपर्टरीकरण तथा बीमार व्यक्तियों के प्रबंधन पर बल दिया जायेगा।

(ख) प्रधानाचार्य अथवा महाविद्यालय के प्रमुख, सम्बन्धित क्लिनिकल विभागों के प्रमुखों (आर्गनन ऑफ मेडिसिन, मेटेरिया मेडिका तथा रेपर्टरी सहित) संबंधित विभागों के षिक्षण संकायों के साथ विचार विमर्श कर आयुर्विज्ञानी ईकाईयों का गठन करेगा जिससे प्रत्येक छात्र की गृह-षिक्षुता प्रबिक्षण को विनियमित किया जा सके।

(ग) साप्ताहिक गोष्ठियों को आयोजित किया जाएगा जिसमें कि गृहषिक्षुतों को क्रमवार अपने रोगवृतों को विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करने का मौका दिया जायगा, और, संबंधित षिक्षक प्रत्येक गृहषिक्षुता की योग्यता को जाँचेगे ।

(घ) साप्ताहिक गोष्ठियों के संचालन के संबंध में षिक्षकों के साथ निवासी चिकित्सा अधिकारी समन्वय करेगा ।

(ङ) उप-पैरा (viii) को हटा दिया जाएगा ।

19. मूल विनियमों में, परिषिष्ठ 'अ' के पछात्, निम्न परिषिष्ठ 'ब' तथा प्रारूप 1 क्रमसः जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“परिषिष्ठ —ब”

(विनियम 6 देखें)

शैक्षिक भ्रमण

घटकः—

छात्रों की संख्या:

छात्रों के साथ गये षिक्षकों के नामः

भ्रमण का प्रयोजन, सिंहावलोकन

पूर्व—आव्यक्ताएं — भ्रमण पर जाने से पूर्व छात्रों को क्या ज्ञान होना चाहिए

किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा:

षिक्षण या सीखने और मूल्यांकन करने के लिए दृष्टिकोण

लक्ष्य और उद्देश्यः—

1. छात्रों को भेषजी/न्यायिक औषध एंव विष विज्ञान/सामुदायिक औषध के प्रयोगात्मक पहलुओं की मूलभूत जानकारी देने के लिए भेषजी प्रयोगषालाओं तथा एच.पी.एल./जिला न्यायालय/अस्पतालों/दुग्ध डेरीयों/पी.एच.सी./संक्रमण रोग अस्पतालों/औद्योगिक ईकाईओं/गंदे पानी के प्रबंधन प्लांटों/जल धोधन प्लांटों जैसा भी मामला हो, ले जाया जाएगा ।
2. छात्रों को उपरोक्त षिक्षण भ्रमणों के दौरान संबंधित प्रक्रियाओं के ज्ञान में उनकी भागीदारी हेतु प्रेरित करना ।
3. विचार विमर्श प्रक्रिया द्वारा उनके कौषल तथा ज्ञान के विकास हेतु आधार तैयार करना ।
4. छात्रों में होम्योपैथी के विषय में, इसके भविष्य, व उनके पेषे के बारे में आत्मविष्वास पैदा करना ।
5. छात्रों के बीच विचार विमर्श, निर्णय लेने के कौषल का विकास तथा उनके भविष्य के बारे में अच्छे दृष्टिकोण के लिए प्रेरणा देना ।
6. संज्ञानात्मक कौषल का विकास (विचार तथा विष्लेषण)
7. वाक चातुर्य कौषल का विकास (व्यक्तिगत तथा षैक्षिक)

जानकारी के परिणामः—

1. एक इच्छा सूची उद्देश्यों से अधिक होना, यथार्थवादी, व्यावहारिक, समझने योग्य है और प्राप्त करने योग्य हो ।
2. छात्र क्या करने में सक्षम हो जाएगा, पर केन्द्रित होना चाहिए या वे किस प्रकार प्रकट करेंगे कि उन्हें पता है और यह उनके पेषे और व्यक्तिगत विकास में कैसे मदद करेगा ।
3. पाठ्यक्रम के अंत में हम छात्रों को जो ज्ञान देना चाहते हैं ।
4. पाठ्यक्रम के अंत में जिन कौषलों में छात्रों को महारथ हम प्रदान करना चाहते हैं ।
5. पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों से जो हम प्रदर्शित करवाना चाहते हैं ।

टिप्पणी:-यह विषय की प्रायोगिक पुस्तिका का अनिवार्य हिस्सा हो जाएगा जिस के संदर्भ में मौखिक भी रखा जाएगा ।

संसाधनः—

1. आवधक और अनुषंसित पाठ्य पुस्तकें ।
2. पत्रिकाएं और अन्य पठन ।
3. उपकरण और यंत्र ।

यात्रा अभिलेखः—

1. भ्रमणित स्थान चित्रों के साथ
2. दौरों के दौरान आयोजित कार्यक्रम
3. सारांश

परियोजना अभिलेख अथवा स्वत्वार्पणः—

1. स्वत्वार्पणों का विवरण
2. स्वत्वार्पणों की नियत दिनांक
3. परियोजना अभिलेख तैयार करने की विधि
 - (i) उद्देश्य
 - (ii) कार्यक्रम
 - (iii) भ्रमणित स्थान
 - (iv) दौरों का विवरण
 - (v) उपलब्धियों का सारांश अथवा जानकारियाँ

प्रारूप-1

(विनियम 14(v) देखें)

श्री/कुमारी.....का स्थानांतरण.....होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान
महाविद्यालयसेहोम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

1. प्रथम बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेष की तिथि
2. विष्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम बी0एच0एम0एस0
परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि
3. आवेदन की तिथि
4. छोड़े जाने वाले महाविद्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (संलग्न) — हाँ/नहीं
5. छोड़े जाने वाले विष्वविद्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (संलग्न) — हाँ/नहीं
6. प्राप्तकर्ता महाविद्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (संलग्न) — हाँ/नहीं
7. प्राप्तकर्ता विष्वविद्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (संलग्न) — हाँ/नहीं
8. राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जहाँ छोड़े जाने वाला कालेज — हाँ/नहीं
विद्यमान है —
9. शपथ पत्र, जिसमें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सम्मुख शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो "मैं बी.एच.एम.एस.
पाठ्यक्रम वर्तमान कक्षा में पूरे बारह माह का अध्ययन IIसरे व्यावसायिक विष्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेष
पूर्व स्थान्तरित महाविद्यालय में करूँगा (संलग्न) हाँ/नहीं

10. स्थानान्तरण के कारण संक्षेप में (कृप्या सबूत की प्रति संलग्न करें) — हाँ / नहीं
 11. स्थायी पता —

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 147 / 15 (133)]

डॉ. ललित वर्मा, सचिव

नोट : मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग-III, खण्ड 4 में संख्या 7-1/83/के.हो.प. के द्वारा दिनांक 11 मई, 1983 को प्रकाशित किया गया तथा तत्पश्चात संषोधन किए गए :—

- 1 12-13/87-के.हो.प. (भाग-II) दिनांक 24 सितंबर, 2003; तथा
 2 12-4/2000-के.हो.प. (भाग-I) दिनांक 13 जून, 2005।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2015

F. No.12-13/2006-CCH (Pt. V).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 and sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Homoeopathy (Degree Course) Amendment Regulations, 2015.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 2. Application.— These regulations shall apply to students who shall be admitted for B.H.M.S (Degree Course) from the commencement of the academic session (2015-2016).
 3. In the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2,-
 (a) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—
 ‘(ia) “clinical work” means case taking and treatment of patients in the hospital;’;
 (b) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—
 ‘(iia) “demonstration” means an educational activity conducted to explain by way of experimentation to show practically or clinically, the process of explaining whatever taught in the class;’;
 (c) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:—
 ‘(via) “local body” means the development authority, municipal committee, municipal corporation and panchayat;’;
 (d) after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:—
 ‘(viiia) “seminar” means a session or sessions of discussion on a particular topic or topics related to the course involving interaction amongst the teaching faculty and the students;’;
 (e) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely:—
 ‘(xa) “tutorial” means a regular meeting in which a teacher and a small group of students discuss a topic as a part of the course;’;
4. In the principal regulations, in regulation 3, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—
 “(iv) Every candidate shall complete the course including the passing of examination in all subjects and complete the compulsory internship training within a period of eleven years from the date of admission in First B.H.M.S Degree Course in the college concerned, failing which his name shall be removed from the rolls of the college.”.

5. In the principal regulations, for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely:—

“4. Eligibility criteria.— (i) No candidate shall be admitted to B.H.M.S Degree Course unless he has passed —

- (a) the higher secondary examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher Secondary Examination after a period of twelve years' study, the last two years of study comprising of Physics, Chemistry, Biology with Mathematics or any other elective subjects with English at a level not less than core course of English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after the introduction of the 10+2+3 years educational structure as recommended by the National Committee on Education;

or

- (b) the intermediate examination in science of an Indian University or Board or other recognised examining body with Physics, Chemistry and Biology which shall include a practical test in these subjects and also English as a compulsory subject;

or

- (c) the pre-professional or pre-medical examination with Physics, Chemistry and Biology, after passing either the higher secondary school examination, or the pre-university or an equivalent Examination, which shall include a practical test in Physics, Chemistry and Biology and also English as a compulsory subject;

or

- (d) the first year of the three years' degree course of a recognised University, with Physics, Chemistry and Biology including a practical test in these subjects provided the examination is a University Examination and candidate has passed 10+2 with English at a level not less than a core course;

or

- (e) any other examination which, in scope and standard is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian University or Board, taking Physics, Chemistry and Biology including practical test in each of these subjects and English as a compulsory subject;

(ii) No candidate shall be admitted to B.H.M.S Degree Course unless he has attained the age of 17 years' on or before 31st December of the year of his admission to the first year of the course.

(iii) No candidate shall be admitted to B.H.M.S Degree Course if he is blind (including colour blindness), deaf, dumb, deaf and dumb.”.

6. In the principal regulations, after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely:-

“4A. Criteria for selection of students.— (i) The selection of students to the college shall be based solely on merit of the candidate and for determination of merit, the following criteria be adopted uniformly throughout the country, namely:-

(a) In States, having only one Medical College and one University or examining body conducting the competitive examination, marks obtained at such qualifying examination shall be taken into consideration.

(b) In states, having more than one University or examining body conducting the competitive examination or where there is more than one medical college under the administrative control of one authority, a competitive examination shall be held so as to achieve a uniform evaluation.

(c) Where there are more than one college in a State and only one University or examining Board conducting the competitive examination, then a joint selection board consisting of the Principals of all the colleges and a representative from the faculty of University or examining Body, as the case may be, shall be constituted by the State Government for all colleges to achieve a uniform method of competitive examination.

(d) The Central Government itself or any other agency notified by it shall conduct a competitive examination in the case of institutions of an all India character.

(ii) A candidate shall be eligible for the competitive examination if he has passed any of the qualifying examinations specified under regulation 4:

Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination the result of which has not been declared, he may be provisionally permitted to take up the competitive examination and in case of selection for admission to the B.H.M.S Degree Course, he shall not be admitted to that course until he fulfils the eligibility criteria under regulation 4.”.

7. In the principal regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely:—

“5. Subjects.—Subjects for study and examination for the B.H.M.S (Degree) Course shall be as under, namely:—

Sl.No	Name of the Subject	Subject taught during	Holding of examination
1.	Anatomy	First B.H.M.S.	At the end of First B.H.M.S.
2.	Physiology	First B.H.M.S.	At the end of First B.H.M.S.
3.	Organon of Medicine with Homoeopathic Philosophy	First B.H.M.S., Second B.H.M.S, Third B.H.M.S and Fourth B.H.M.S.	At the end of Second, Third and Fourth B.H.M.S.
4.	Homoeopathic Pharmacy	First B.H.M.S.	At the end of First B.H.M.S.
5.	Homoeopathic Materia Medica	First B.H.M.S., Second B.H.M.S, Third B.H.M.S and Fourth B.H.M.S.	At the end of Second, Third and Fourth B.H.M.S.
6.	Pathology	Second B.H.M.S.	At the end of Second B.H.M.S.
7.	Forensic Medicine and Toxicology	Second B.H.M.S.	At the end of Second B.H.M.S.
8.	Practice of Medicine	Third B.H.M.S and Fourth B.H.M.S.	At the end of Fourth B.H.M.S.
9.	Surgery	Second B.H.M.S. and Third B.H.M.S.	At the end of Third B.H.M.S.
10.	Gynecology and Obstetrics	Second B.H.M.S. and Third B.H.M.S.	At the end of Third B.H.M.S.
11.	Community Medicine	Third B.H.M.S and Fourth B.H.M.S.	At the end of Fourth B.H.M.S.
12.	Repertory	Third B.H.M.S and Fourth B.H.M.S.	At the end of Fourth B.H.M.S.”.

8. In the principal regulations, for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely:—

“6. Syllabus for degree course. – The following shall be the syllabus for B.H.M.S (Degree) Course.

ANATOMY

Instructions:

I (a) Instructions in anatomy should be so planned as to present a general working knowledge of the structure of the human body;

(b) The amount of detail which a student is required to memorise should be reduced to the minimum;

(c) Major emphasis should be laid on functional anatomy of the living subject rather than on the static structures of the cadaver, and on general anatomical positions and broad relations of the viscera, muscles, blood-vessels, nerves and lymphatics and study of the cadaver is the only means to achieve this;

(d) Students should not be burdened with minute anatomical details which have no clinical significance.

II Though dissection of the entire body is essential for the preparation of the student of his clinical studies, the burden of dissection can be reduced and much saving of time can be effected, if considerable reduction of the amount of topographical details is made and the following points are kept in view:-

(1) Only such details as have professional or general educational value for the medical students.

(2) The purpose of dissection is to give the student an understanding of the body in relation to its function, and the dissection should be designed to achieve this goal.

(3) Normal radiological anatomy may also form part of practical or clinical training and the structure of the body should be presented linking functional aspects.

- (4) Dissection should be preceded by a course of lectures on the general structure of the organ or the system under discussion and then its function. In this way anatomical and physiological knowledge can be presented to students in an integrated form and the instruction of the whole course of anatomy and physiology and more interesting, lively and practical or clinical.
- (5) A good part of the theoretical lectures on anatomy can be transferred to tutorial classes with the demonstrations.
- (6) Students should be able to identify anatomical specimens and structures displayed in the dissections.
- (7) Lectures or demonstrations on the clinical and applied anatomy should be arranged in the later part of the course and it should aim at demonstrating the anatomical basis of physical signs and the value of anatomical knowledge to the students.
- (8) Seminars and group discussions to be arranged periodically with a view of presenting these subjects in an integrated manner.
- (9) More stress on demonstrations and tutorials should be given. Emphasis should be laid down on the general anatomical positions and broad relations of the viscera, muscles, blood vessels, nerves and lymphatics.
- (10) There should be joint seminars with the departments of Physiology and Bio-Chemistry which should be organised once a month.
- (11) There should be a close correlation in the teaching of gross Anatomy, Histology, Embryology and Genetics and the teaching of Anatomy, Physiology including Bio-chemistry shall be integrated.

A. Theory:

- (a) A complete course of human anatomy with general working knowledge of different anatomical parts of the body.

The curriculum includes the following, namely:-

1. General Anatomy:

- 1.1. Modern concepts of cell and its components; cell division, types with their significance.
- 1.2. Tissues.
- 1.3. Genetics.

2. Developmental anatomy (Embryology):

- 2.1. Spermatogenesis
- 2.2. Oogenesis
- 2.3. Formation of germ layers
- 2.4. Development of embryogenic disk
- 2.5. Placenta
- 2.6. Development of abdominal organs
- 2.7. Development of cardio vascular system
- 2.8. Development of nervous system
- 2.9. Development of respiratory system
- 2.10. Development of body cavities
- 2.11. Development of uro-genital system

3. Regional anatomy:

This will be taught under the following regions:-

- 3.1. Head, Neck and Face, Brain
- 3.2. Thorax
- 3.3. Abdomen
- 3.4. Upper and Lower Extremities
- 3.5. Special Senses

Each of the above areas will cover,-

- (a) osteology
- (b) syndesmology (joints)
- (c) myology
- (d) angiology
- (e) neurology
- (f) splanchnolgy (viscera and organs)
- (g) surface anatomy
- (h) applied anatomy
- (i) radiographic anatomy

4. Histology (Microanatomy):

B. Practical -

1. Dissection of the whole human body, demonstration of dissected parts.
2. Identification of histological slides related to tissues and organs.
3. Students shall maintain practical or clinical journals and dissection cards.

C. Examination:

1. Theory:

The written papers in anatomy shall be in two papers, namely:-

1.1. Paper-I

- a. General Anatomy,
- b. Head, face and neck, Central nervous System, upper extremities and Embryology.

1.2. Paper-II

- a. Thorax, abdomen, pelvis, lower extremities and Histology (micro-anatomy).

2. The Practical including viva voce or oral examination includes the following:-

2.1. Marks: 200

2.2. Distribution of marks-	<u>Marks</u>
2.2.1. Knowledge of dissected parts-	20
2.2.2. Viscera	20
2.2.3. Bones	20
2.2.4. Surface Anatomy	10
2.2.5. Spotting(including Radiology and Histology)	20
2.2.6. Maintenance of Practical record or journal and dissection card	10
2.2.7. Viva Voce (Oral)	100
Total	<u>200</u>

PHYSIOLOGY

Instructions:

I (a) The purpose of a course in physiology is to teach the functions, processes and inter-relationship of the different organs and systems of the normal disturbance in disease and to equip the student with normal standards of reference for use while diagnosing and treating deviations from the normal;

(b) To a Homoeopath the human organism is an integrated whole of body life and mind and though life includes all the chemico-physical processes it transcends them;

(c) There can be no symptoms of disease without vital force animating the human organism and it is primarily the vital force which is deranged in disease;

(d) Physiology shall be taught from the stand point of describing physical processes underlying them in health;

(e) Applied aspect of every system including the organs is to be stressed upon while teaching the subject.

II (a) There should be close co-operation between the various departments while teaching the different systems;

(b) There should be joint courses between the two departments of anatomy and physiology so that there is maximum co-ordination in the teaching of these subjects;

(c) Seminars should be arranged periodically and lecturers of anatomy, physiology and bio-chemistry should bring home the point to the students that the integrated approach is more meaningful.

A. Theory:

The curriculum includes the following, namely:-

I. General physiology:

1. Introduction to cellular physiology
2. Cell Junctions
3. Transport through cell membrane and resting membrane potential
4. Body fluids compartments
5. Homeostasis

II. Body fluids:

1. Blood
2. Plasma Proteins
3. Red Blood Cells
4. Erythropoiesis
5. Haemoglobin and Iron Metabolism
6. Erythrocyte Sedimentation Rate
7. Packed Cell Volume and Blood Indices
8. Anaemia
9. Haemolysis and Fragility of Red Blood Cells
10. White Blood Cell
11. Immunity
12. Platelets
13. Haemostasis
14. Coagulation of Blood
15. Blood groups
16. Blood Transfusion
17. Blood volume
18. Reticulo-endothelial System and Tissue Macrophage
19. Lymphatic System and Lymph
20. Tissue Fluid and Oedema

III. Cardio-vascular system:

1. Introduction to cardiovascular system
2. Properties of cardiac muscle
3. Cardiac cycle

4. General principles of circulation
5. Heart sounds
6. Regulation of cardiovascular system
7. Normal and abnormal Electrocardiogram (ECG)
8. Cardiac output
9. Heart rate
10. Arterial blood pressure
11. Radial Pulse
12. Regional circulation- Cerebral, Splanchnic, Capillary, Cutaneous & skeletal muscle circulation
13. Cardiovascular adjustments during exercise

IV. Respiratory system and environmental physiology:

1. Physiological anatomy of respiratory tract
2. Mechanism of respiration : Ventilation, diffusion of gases
3. Transport of respiratory gases
4. Regulation of respiration
5. Pulmonary function tests
6. High altitude and space physiology
7. Deep sea physiology
8. Artificial respiration
9. Effects of exercise on respiration

V. Digestive system:

1. Introduction to digestive system
2. Composition and functions of digestive juices
3. Physiological anatomy of Stomach, Pancreas, Liver and Gall bladder, Small intestine, Large intestine
4. Movements of gastrointestinal tract
5. Gastrointestinal hormones
6. Digestion and absorption of carbohydrates, proteins and lipids

VI. Renal physiology and skin:

1. Physiological anatomy of kidneys and urinary tract
2. Renal circulation
3. Urine formation : Renal clearance, glomerular filtration, tubular reabsorption, selective secretion, concentration of urine, acidification of urine
4. Renal function tests
5. Micturition
6. Skin
7. Sweat
8. Body temperature and its regulation

VII. Endocrinology:

1. Introduction to endocrinology
2. Hormones and hypothalamo-hypophyseal axis
3. Pituitary gland
4. Thyroid gland

5. Parathyroid
6. Endocrine functions of pancreas
7. Adrenal cortex
8. Adrenal medulla
9. Endocrine functions of other organs

VIII. Reproducative system:

1. Male reproductive system- testis and its hormones; seminal vesicles, prostate gland, semen.
2. Introduction to female reproductive system
3. Menstrual cycle
4. Ovulation
5. Menopause
6. Infertility
7. Pregnancy and parturition
8. Placenta
9. Pregnancy tests
10. Mammary glands and lactation
11. Fertility
12. Foetal circulation

IX. Central nervous system:

1. Introduction to nervous system
2. Neuron
3. Neuroglia
4. Receptors
5. Synapse
6. Neurotransmitters
7. Reflex
8. Spinal cord
9. Somato-sensory system and somato-motor system
10. Physiology of pain
11. Brainstem, Vestibular apparatus
12. Cerebral cortex
13. Thalamus
14. Hypothalamus
15. Internal capsule
16. Basal ganglia
17. Limbic system
18. Cerebellum – Posture and equilibrium
19. Reticular formation
20. Proprioceptors
21. Higher intellectual function
22. Electroencephalogram (EEG)

23. Physiology of sleep
24. Cerebro-spinal fluid (CSF)
25. Autonomic Nervous System (ANS)

X. Special senses:

- Eye : Photochemistry of vision, Visual pathway, Pupillary reflexes, Colour vision, Errors of refraction
1. Ear: Auditory pathway, Mechanism of hearing, Auditory defects
 3. Sensation of taste : Taste receptors, Taste pathways
 4. Sensation of smell : Olfactory receptors, olfactory pathways
 5. Sensation of touch

XI. Nerve muscle physiology:

1. Physiological properties of nerve fibres
2. Nerve fibre- types, classification, function, Degeneration and regeneration of peripheral nerves
3. Neuro-Muscular junction
4. Physiology of Skeletal muscle
5. Physiology of Cardiac muscle
6. Physiology of Smooth muscle
7. EMG and disorders of skeletal muscles

XII. Bio-physical sciences:

1. Filtration
2. Ultra filtration
3. Osmosis
4. Diffusion
5. Adsorption
6. Hydrotropy
7. Colloid
8. Donnan Equilibrium
9. Tracer elements
10. Dialysis
11. Absorption
12. Assimilation
13. Surface tension

B. Practical:

I. Haematology:

1. Study of the Compound Microscope
2. Introduction to haematology
3. Collection of Blood samples.
4. Estimation of Haemoglobin Concentration
5. Determination of Haematocrit
6. Haemocytometry
7. Total RBC count
8. Determination of RBC indices

9. Total Leucocytes Count (TLC)
10. Preparation and examination of Blood Smear
11. Differential Leucocyte Count (DLC)
12. Absolute Eosinophil Count
13. Determination of Erythrocyte Sedimentation Rate
14. Determination of Blood Groups
15. Osmotic fragility of Red cells
16. Determination of Bleeding Time and Coagulation Time
17. Platelet Count
18. Reticulocyte Count

II. Human experiments:

1. General Examination
2. Respiratory System- Clinical examination, Spirometry, Stethography
3. Gastrointestinal System- Clinical examination
4. Cardiovascular System- Blood pressure recording, Radial pulse, ECG, Clinical examination
5. Nerve and Muscle Physiology- Mosso's Ergography, Handgrip Dynamometer
6. Nervous System- Clinical examination
7. Special Senses- Clinical examination
8. Reproductive System- Diagnosis of pregnancy

BIO-CHEMISTRY

A. Theory:

1. Carbohydrates: (Chemistry, Metabolism, Glycolysis, TCA, HMP, Glycogen synthesis and degradation, Blood glucose regulation)
2. Lipids: (Chemistry, Metabolism, Intestinal uptake, Fat transport, Utilisation of stored fat, Activation of fatty acids, Beta oxidation and synthesis of fatty acids)
3. Proteins: (Chemistry, Metabolism, Digestion of protein, Transamination, Deamination, Fate of Ammonia, Urea cycle, End products of each amino acid and their entry into TCA cycle)
4. Enzymes: (Definition, Classification, Biological Importance, Diagnostic use, Inhibition)
5. Vitamins: (Daily requirements, Dietary source, Disorders and physiological role)
6. Minerals (Daily requirement, Dietary Sources, Disorders and physiological role)
7. Organ function tests

B. Practical:

1. Demonstration of uses of instruments or equipment
2. Qualitative analysis of carbohydrates, proteins and lipids
3. Normal characteristics of urine
4. Abnormal constituents of urine
5. Quantitative estimation of glucose, total proteins, uric acid in blood
6. Liver function tests
7. Kidney function tests

8. Lipid profile
9. Interpretation and discussion of results of biochemical tests.

C. Examination:

1. Theory:

- (1) No. of Papers- 02
- (2) Marks: Paper I- 100
- (3) Paper II- 100

1.1. Contents:

1.1.1. Paper-I:

General Physiology, Biophysics, Body fluids, Cardiovascular system, Reticuloendothelial system, Respiratory system, Excretory system, Regulation of body temperature, Skin, Nerve Muscle physiology

1.1.2. Paper-II:

Endocrine system, Central Nervous System, Digestive system and metabolism, Reproductive system, Sense organs, Biochemistry, Nutrition.

2. Practical Including viva voce or oral:

2.1. Marks; 200

2.2. Distribution of marks;	Marks
2.2.1. Experiments	50
2.2.2. Spotting	30
2.2.3. Maintenance of Practical record/Journal	20
2.2.4. Viva Voce (Oral)	100

Total	<u>200</u>

ORGANON OF MEDICINE WITH HOMOEOPATHIC PHILOSOPHY

Instructions:

I (a) Organon of Medicine with Homoeopathic Philosophy is a vital subject which builds up the conceptual base of the physician;

(b) It illustrates those principles which when applied in practice enable the physician to achieve results, which he can explain logically and rationally in medical practice with greater competence;

(c) Focus of the education and training should be to build up the conceptual base of Homoeopathic Philosophy for use in medical practice.

II Homoeopathy should be taught as a complete system of medicine with logical rationality of its holistic, individualistic and dynamistic approach to life, health, disease, remedy and cure and in order to achieve this, integration in the study of logic, psychology and the fundamentals of Homoeopathy becomes necessary.

III (a) It is imperative to have clear grasp of inductive and deductive logic, and its application and understanding of the fundamentals of Homoeopathy;

(b) Homoeopathic approach in therapeutics is a holistic approach and it demands a comprehension of patient as a person, disposition, state of his mind and body, along with the study of the disease process and its causes;

(c) Since Homoeopathy lays great emphasis on knowing the mind, preliminary and basic knowledge of the psychology becomes imperative for a homoeopathic physician and introduction to psychology will assist the student in building up his conceptual base in this direction.

IV The department of organon of medicine shall co-ordinate with other departments where students are sent for the pre-clinical and clinical training and this will not only facilitate integration with other related departments, but also enhance the confidence of the students when they will be attending specialty clinics.

FIRST B.H.M.S.

A. Theory:

1. Introductory lectures

- 1.1. Evolution of medical practice of the ancients (Prehistoric Medicine, Greek Medicine, Chinese medicine, Hindu medicine and Renaissance) and tracing the empirical, rationalistic and vitalistic thoughts.
- 1.2. Short history of Hahnemann's life, his contributions, and discovery of Homoeopathy, situation leading to discovery of Homoeopathy
- 1.3. Brief life history and contributions of early pioneers of homoeopathy like C.V. Boenninghausen, J.T. Kent, C. Hering, Rajendra Lal Dutta, M.L. Sircar
- 1.4. History and Development of Homoeopathy in India, U.S.A. and European countries
- 1.5. Fundamental Principles of Homoeopathy.
- 1.6. Basic concept of:
 - 1.6.1. Health: Hahnemann's concept and modern concept.
 - 1.6.2. Disease: Hahnemann's concept and modern concept.
 - 1.6.3. Cure.
- 1.7. Different editions and constructions of Hahnemann's Organon of Medicine.

2. Logic

To understand organon of medicine and homoeopathic philosophy, it is essential to be acquainted with the basics of LOGIC to grasp inductive and deductive reasonings.

Preliminary lectures on inductive and deductive logic (with reference to philosophy book of Stuart Close Chapter 3 and 16).

3. Psychology

- 3.1. Basics of Psychology.
- 3.2. Study of behavior and intelligence.
- 3.3. Basic concepts of Sensations.
- 3.4. Emotion, Motivation, Personality, Anxiety, Conflict, Frustration, Depression, Fear, Psychosomatic Manifestations
- 3.5 Dreams.

4. Aphorisms 1 to 28 of organon of medicine

5. Homoeopathic Prophylaxis

B. Examination: There shall be no examination in the subject in First B.H.M.S.

SECOND B.H.M.S.

A. Theory:

1. Aphorisms 29-104 including foot notes of Organon of Medicine (5th & 6th Editions translated by R.E. Dudgeon and W. Boericke).
2. Homoeopathic philosophy:
 - 2.1. Chapters of Philosophy books of J.T. Kent (Chapters 1 to 17, 23 to 27, 31 to 33), Stuart Close (Chapters- 8, 9, 11, 12) and H.A. Roberts (Chapters 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20), related to Aphorisms 29-104 of Organon of Medicine
 - 2.2. Symptomatology:

Details regarding Symptomatology are to be comprehended by referring to the relevant aphorisms of organon of medicine and chapters of the books on homoeopathic philosophy.
 - 2.3. Causations:

Thorough comprehension of the evolution of disease, taking into account pre-disposing, fundamental, exciting and maintaining causes.

2.4. Case taking:

The purpose of homoeopathic case taking is not merely collection of the disease symptoms from the patient, but comprehending the patient as a whole with the correct appreciation of the factors responsible for the genesis and maintenance of illness. Hahnemann's concept and method of case taking, as stated in his Organon of Medicine is to be stressed upon.

2.5. Case processing: This includes,

- (i) Analysis of Symptoms,
- (ii) Evaluation of Symptoms,
- (iii) Miasmatic diagnosis,
- (iv) Totality of symptoms

B. Parctical or clinical:

1. Clinical posting of students shall be started from Second B.H.M.S onwards.
2. Each student shall maintain case records of at least ten acute cases

C. Examination:

1. Theory

- 1.1.** No. of papers -01
- 1.2.** Marks: 100
- 1.3.** Distribution of marks:
 - 1.3.1. Logic – 15 marks
 - 1.3.2. Psychology – 15 marks
 - 1.3.3. Fundamentals of homoeopathy and aphorisms 1 to 104 – 50 marks
 - 1.3.4. Homoeopathic philosophy – 20 marks

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks: 100	
2.2. Distribution of marks:	<u>Marks</u>
2.2.1. Case taking and Case processing	40
2.2.2. Maintenance of practical record or journal	10
2.2.4. Viva voce (oral)	50

Total	<u>100</u>

THIRD B.H.M.S.

A. Theory:

In addition to revision of Aphorisms studied in First B.H.M.S and Second B.H.M.S, the following shall be covered, namely:-

1. Hahnemann's Prefaces and Introduction to Organon of Medicine.
2. Aphorisms 105 to 294 of Hahnemann's Organon of Medicine, including foot notes (5th and 6th Editions translated by R.E. Dudgeon and W. Boericke)
3. Chapters of Philosophy books of J.T. Kent (Chapters- 28, 29, 30, 34 to 37), Stuart Close (Chapters- 7, 10, 13, 14, 15) & H.A. Roberts (Chapters- 7, 10, 12 to 19, 21, 34) related to 105-294 Aphorisms of Organon of Medicine.

B. Practical or clinical:

Each student appearing for Third B.H.M.S examination shall maintain records of 20 cases (10 acute and 10 chronic cases).

C. Examination:

1. Theory:

1.1. Number of papers - 01

1.2. Marks: 100

1.3. Distribution of Marks:

1.3.1. Aphorisms 1 to 294	:	60 marks
1.3.2. Homoeopathic philosophy:		40 marks

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks: 100

2.2. Distribution of marks;

Marks

2.2.1. Case taking and case processing	40
2.2.3. Maintenance of practical record or journal	10
2.2.4. Viva voce (oral)	50

Total	100

FOURTH B.H.M.S.

A. Theory:

In addition to the syllabus of First B.H.M.S, Second B.H.M.S and Third B.H.M.S, the following shall be covered, namely:-

- Evolution of medical practice of the ancients (Prehistoric Medicine, Greek Medicine, Chinese medicine, Hindu medicine and Renaissance) and tracing the empirical, rationalistic and vitalistic thoughts.
- Revision of Hahnemann's Organon of Medicine (Aphorisms 1-294) including footnotes (5th & 6th Editions translated by R.E. Dudgeon and W. Boericke).
- Homoeopathic Philosophy:

Philosophy books of Stuart Close (Chapters- 1, 2, 4, 5, 6, 8, 17), J.T. Kent (Chapters - 18 to 22) and H.A. Roberts (Chapters- 1 to 5, 20, 22 to 33, 35), Richard Hughes (Chapters- 1 to 10) and C. Dunham (Chapters- 1 to 7).

4. Chronic Diseases:

4.1. Hahnemann's Theory of Chronic Diseases.

4.2. J.H. Allen's The Chronic Miasms – Psora and Pseudo-psora; Sycosis

- (a) Emphasis should be given on the way in which each miasmatic state evolves and the characteristic expressions are manifested at various levels and attempt should be made to impart a clear understanding of Hahnemann's theory of chronic miasms.
- (b) The characteristics of the miasms need to be explained in the light of knowledge acquired from different branches of medicine.
- (c) Teacher should explain clearly therapeutic implications of theory of chronic miasms in practice and this will entail a comprehension of evolution of natural disease from miasmatic angle, and it shall be correlated with applied *materia medica*.

B. Practical or clinical:

- (a) The students shall maintain practical records of patients treated in the out patient department and inpatient department of the attached hospital.

(b) The following shall be stressed upon in the case records, namely:—

- (1) receiving the case properly (case taking) without distortion of the patient's expressions;
- (2) nosological diagnosis;
- (3) analysis and evaluation of the symptoms, miasmatic diagnosis and portraying the totality of symptoms;
- (4) individualisation of the case for determination of the simillimum, prognosis, general management including diet and necessary restrictions on mode of life of the individual patients;
- (5) state of susceptibility to formulate comprehensive plan of treatment;.
- (6) order of evaluation of the characteristic features of the case would become stepping stone for the repertorial totality;
- (7) remedy selection and posology;
- (8) second prescription.

Note: (1) Each student has to maintain records of twenty thoroughly worked out cases (ten chronic and ten acute cases).

(2) Each student shall present at least one case in the departmental symposium or seminar.

C. Examination:

1. Theory:

1.1 Number of papers - 02

1.2 Marks: Paper I: 100, Paper II: 100

1.3 Distribution of marks:

Paper I: Aphorisms 1-145:- 30 marks

Aphorisms 146-294:- 70 marks

Paper II: Chronic diseases – 50 marks

Homoeopathic philosophy – 50 marks

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks: 100

2.2. Distribution of marks:

Marks

2.2.1. Case taking and case processing of a long case	30
2.2.2. Case taking and case processing of a short case	10
2.2.3. Maintenance of practical record or journal	10
2.2.4. Viva Voce (oral)	50

Total 100

HOMOEOPATHIC PHARMACY

Instructions:

Instruction in Homoeopathic Pharmacy shall be so planned as to present,—

- (1) importance of homoeopathic pharmacy in relation to study of homoeopathic materia medica, organon of medicine and national economy as well as growth of homoeopathic pharmacy and research;
- (2) originality and speciality of homoeopathic pharmacy and its relation to pharmacy of other recognised systems of medicine;
- (3) the areas of teaching shall encompass the entire subject but stress shall be laid on the fundamental topics that form the basis of homoeopathy.

A. Theory:

I. General concepts and orientation:

1. History of pharmacy with emphasis on emergence of Homoeopathic Pharmacy.
2. Official Homoeopathic Pharmacopoeia (Germany, Britain, U.S.A., India).
3. Important terminologies like scientific names, common names, synonyms.
4. Definitions in homoeopathic pharmacy.
5. Components of Pharmacy.
6. Weights and measurements.
7. Nomenclature of homoeopathic drugs with their anomalies.

II. Raw Material: drugs and vehicles

1. Sources of drugs (taxonomic classification, with reference to utility).
2. Collection of drug substances.
3. Vehicles.
4. Homoeopathic Pharmaceutical Instruments and appliances.

III. Homoeopathic Pharmaceutics:

1. Mother tincture and its preparation – old and new methods.
2. Various scales used in homoeopathic pharmacy.
3. Drug dynamisation or potentisation.
4. External applications (focus on scope of Homoeopathic lotion, glycerol, liniment and ointment).
5. Doctrine of signature.
6. Posology (focus on basic principles; related aphorisms of organon of medicine).
7. Prescription (including abbreviations).
8. Concept of placebo.
9. Pharmaconomy – routes of homoeopathic drug administration.
10. Dispensing of medicines.
11. Basics of adverse drug reactions and pharmaco-vigilance.

IV. Pharmacodynamics:

1. Homoeopathic Pharmacodynamics
2. Drug Proving (related aphorisms 105 – 145 of organon of medicine) and merits and de-merits of Drug Proving on Humans and Animals.
3. Pharmacological study of drugs listed in Appendix -A

V. Quality Control:

1. Standardisation of homoeopathic medicines, raw materials and finished products.
2. Good manufacturing practices; industrial pharmacy.
3. Homoeopathic pharmacopoeia laboratory – functions and activities, relating to quality control of drugs.

VI. Legislations pertaining to pharmacy:

1. The Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) {in relation to Homoeopathy};
2. Drugs and Cosmetics Rules, 1945 {in relation to Homoeopathy} ;
3. Poisons Act, 1919 (12 of 1919);
4. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
5. Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (21 of 1954);
6. Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955).

B. Practical:**Experiments**

1. Estimation of size of globules.
2. Medication of globules and preparation of doses with sugar of milk and distilled water.
3. Purity test of sugar of milk, distilled water and ethyl alcohol.
4. Determination of specific gravity of distilled water and ethyl alcohol.
5. Preparation of dispensing alcohol and dilute alcohol from strong alcohol.
6. Trituration of one drug each in decimal and centesimal scale.
7. Succussion in decimal scale from Mother Tincture to 6X potency.
8. Succussion in centesimal scale from Mother Tincture to 3C potency.
9. Conversion of Trituration to liquid potency: Decimal scale 6X to 8X potency.
10. Conversion of Trituration to liquid potency: Centesimal scale 3C to 4C potency.
11. Preparation of 0/1 potency (LM scale) of 1 Drug.
12. Preparation of external applications – lotion, glycerol, liniment, ointment.
13. Laboratory methods – sublimation, distillation, decantation, filtration, crystallisation.
14. Writing of prescription.
15. Dispensing of medicines.
16. Process of taking minims.
17. Identification of drugs (listed in Appendix B)-
 - (i) Macroscopic and Microscopic characteristic of drug substances- minimum 05 drugs;
 - (ii) Microscopic study of trituration of two drugs (up to 3X potency).
18. Estimation of moisture content using water bath.
19. Preparation of mother tincture – maceration and percolation.
20. Collection of 30 drugs for herbarium.
21. Visit to homoeopathic pharmacopoeia laboratory and visit to a large scale manufacturing unit of homoeopathic medicines (GMP compliant). (Students shall keep detailed visit reports as per proforma at Annexure- ‘B’).

C. Demonstration

1. General instructions for practical or clinical in pharmacy.
2. Identification and use of homoeopathic pharmaceutical instruments and appliances and their cleaning.
3. Estimation of moisture content using water bath.
4. Preparation of mother tincture – maceration and percolation.

APPENDIX-A

List of drugs included in the syllabus of pharmacy for study of pharmacological action:-

1. Aconitum napellus
2. Adonis vernalis
3. Allium cepa
4. Argentum nitricum
5. Arsenicum album
6. Atropa Belladonna
7. Cactus grandiflorus
8. Cantharis vesicatoria

9. *Cannabis indica*
10. *Cannabis sativa*
11. *Cinchona officinalis*
12. *Coffea cruda*
13. *Crataegus oxyacantha*
14. *Crotalus horridus*
15. *Gelsemium sempervirens*
16. *Glonoinum*
17. *Hydrastis canadensis*
18. *Hyoscyamus niger*
19. *Kali bichromicum*
20. *Lachesis*
21. *Lithium carbonicum*
22. *Mercurius corrosivus*
23. *Naja tripudians*
24. *Nitricum acidum*
25. *Nux vomica*
26. *Passiflora incarnata*
27. *Stannum metallicum*
28. *Stramonium*
29. *Symphytum officinale*
30. *Tabacum*

APPENDIX-B

List of drugs for identification

I. Vegetable Kinngdom

1. *Aegle folia*
2. *Anacardium orientale*
3. *Andrographis paniculata*
4. *Calendula officinalis*
5. *Cassia sophera*
6. *Cinchona officinalis*
7. *Cocculus indicus*
8. *Coffea cruda*
9. *Colocynthis*
10. *Crocus sativa*
11. *Croton tiglium*
12. *Cynodon dactylon*
13. *Ficus religiosa*
14. *Holarrhena antidysenterica*
15. *Hydrocotyle asiatica*
16. *Justicia adhatoda*

17. *Lobelia inflata*
18. *Nux vomica*
19. *Ocimum sanctum*
20. *Opium*
21. *Rauwolfia serpentina*
22. *Rheum*
23. *Saraca indica*
24. *Senna*
25. *Stramonium*
26. *Vinca minor*

II. Chemicals or Minerals

1. *Aceticum acidum*
2. *Alumina*
3. *Argentum metallicum*
4. *Argentum nitricum*
5. *Arsenicum album*
6. *Calcarea carbonica*
7. *Carbo vegetabilis*
8. *Graphites*
9. *Magnesium phosphorica*
10. *Natrum muriaticum*
11. *Sulphur*

III. Animal kingdom

1. *Apis mellifica*
2. *Blatta orientalis*
3. *Formica rufa*
4. *Sepia*
5. *Tarentula cubensis*

Note:

1. Each student shall maintain practical or clinical record or journal and herbarium file separately.
2. College authority shall facilitate the students in maintaining record as per Appendix-C.

E. Examination:

1. Theory

1.1 Number of paper - 01

1.2 Marks: 100

2. Practical including viva voce or oral

2.1. Marks: 100

2.2. Distribution of marks;	<u>Marks</u>
2.2.1. Experiments	15
2.2.2. Spotting	20
2.2.3. Maintenance of practical records or journal	10

2.2.4. Maintenance of herbarium record	05
2.2.5. Viva voce (oral)	50

Total	<u>100</u>

HOMOEOPATHIC MATERIA MEDICA

Instructions:

- I (a) Homoeopathic Materia Medica is differently constructed as compared to other Materia Medicas;
- (b) Homoeopathy considers that study of the action of drugs on individual parts or systems of the body or on animal or their isolated organs is only a partial study of life processes under such action and that it does not lead us to a full appreciation of the action of the medicinal substance, the drug substance as a whole is lost sight of.
- II Essential and complete knowledge of the drug action as a whole can be ascertained only by qualitative drug proving on healthy persons and this alone can make it possible to elicit all the symptoms of a drug with reference to the psychosomatic whole of a person and it is just such a person as a whole to whom the knowledge of drug action is to be applied.
- III (a) The Homoeopathic Materia Medica consists of a schematic arrangement of symptoms produced by each drug, incorporating no theories for explanations about their interpretation or inter-relationship;
- (b) Each drug should be studied synthetically, analytically and comparatively, and this alone would enable a Homoeopathic student to study each drug individually and as a whole and help him to be a good prescriber.
- IV (a) The most commonly indicated drugs for day to day ailments should be taken up first so that in the clinical classes or outdoor duties the students become familiar with their applications and they should be thoroughly dealt with explaining all comparisons and relationship;
- (b) Students should be conversant with their sphere of action and family relationships and the rarely used drugs should be taught in outline, emphasizing only their most salient features and symptoms.
- (V) Tutorials must be introduced so that students in small numbers can be in close touch with teachers and can be helped to study and understand Materia Medica in relation to its application in the treatment of the sick.
- (VI) (a) While teaching therapeutics an attempt should be made to recall the Materia Medica so that indications for drugs in a clinical condition can directly flow out from the proving of the drugs concerned;
- (b) The student should be encouraged to apply the resources of the vast Materia Medica in any sickness and not limit himself to memorise a few drugs for a particular disease and this Hahnemannian approach will not only help him in understanding the proper perspective of symptoms as applied and their curative value in sickness but will even lighten his burden as far as formal examinations are concerned;
- (c) Application of Materia Medica should be demonstrated from case-records in the outdoor and the indoor;
- (d) Lectures on comparative Materia Medica and therapeutics as well as tutorials should be integrated with lectures on clinical medicine;
- VII For the teaching of drugs, the department should keep herbarium sheets and other specimens for demonstrations to the students and audio-visual material shall be used for teaching and training purposes.
- VIII (a) There is a large number of Homoeopathic medicines used today and much more medicines being experimented and proved at present and more will be added in future and some very commonly used Homoeopathic medicines are included in this curriculum for detail study;
- (b) It is essential that at the end of this course each student should gain basic and sufficient knowledge of "How to study Homoeopathic Materia Medica" and to achieve this objective basic and general topic of Materia Medica should be taught in details during this curriculum, general topics should be taught in all the classes;
- (c) The medicines are to be taught under the following headings, namely:-
- (1) Common name, family, habitat, parts used, preparation, constituents (of source material).
 - (2) Proving data.
 - (3) Sphere of action.
 - (4) Symptomatology of the medicine emphasizing the characteristic symptoms (mental, physical generals and particulars including sensations, modalities and concomitants) and constitution.
 - (5) Comparative study of medicines.

(6) Therapeutic applications (applied Materia Medica).

FIRST B.H.M.S.

A. Theory:

General topics of Materia Medica :-(including introductory lectures)

(a) Basic Materia Medica –

1. Basic concept of Materia Medica
2. Basic construction of various Materia Medicas
3. Definition of Materia Medica

(b) Homoeopathic Materia Medica

1. Definition of Homoeopathic Materia Medica
2. Basic concept and construction of Homoeopathic Materia Medica.
3. Classification of Homoeopathic Materia Medica.
4. Sources of Homoeopathic Materia Medica.
5. Scope and Limitations of Homoeopathic Materia Medica.

Note: There shall be no examination in First B.H.M.S.

SECOND B.H.M.S

A. Theory:

(a) In addition to syllabus of First B.H.M.S. Course, following shall be taught, namely:-

- (i) Science and philosophy of homoeopathic materia medica.
- (ii) Different ways of studying homoeopathic materia medica (e.g. psycho-clinical, pathological, physiological, synthetic, comparative, analytical, remedy relationships, group study, portrait study etc.)
- (iii) Scope and limitations of homoeopathic materia medica.
- (iv) Concordance or remedy relationships.
- (v) Comparative homoeopathic materia medica, namely:-

Comparative study of symptoms, drug pictures, drug relationships.

(vi) Theory of biochemical system of medicine, its history, concepts and principles according to Dr. Wilhelm Heinrich Schuessler. Study of 12 biochemical medicines. (tissue remedies).

(b) Homoeopathic Medicines to be taught in Second B.H.M.S as per Appendix –I.

APPENDIX-I

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Aconitum napellus | 14. Bryonia alba |
| 2. Aethusa cynapium | 15. Calcarea carbonica |
| 3. Allium cepa | 16. Calcarea fluorica |
| 4. Aloe socotrina | 17. Calcarea phosphoric |
| 5. Antimonium crudum | 18. Calcarea sulphurica |
| 6. Antimonium tartaricum | 19. Calendula officinalis |
| 7. Apis mellifica | 20. Chamomilla |
| 8. Argentum nitricum | 21. Cina |
| 9. Arnica Montana | 22. Cinchona officinalis |
| 10. Arsenicum album | 23. Colchicum autumnale |
| 11. Arum triphyllum | 24. Colocynthis |
| 12. Baptisia tinctoria | 25. Drosera |
| 13. Bellis perennis | 26. Dulcamara |

27. Euphrasia	39. Natrum muriaticum
28. Ferrum phosphoricum	40. Natrum phosphoricum
29. Gelsemium	41. Natrum sulphuricum
30. Hepar sulph	42. Nux vomica
31. Hypericum perforatum	43. Pulsatilla
32. Ipecacuanha	44. Rhus toxicodendron
33. Kali muriaticum	45. Ruta graveolens
34. Kali phosphoricum	46. Silicea
35. Kali sulphuricum	47. Spongia tosta
36. Ledum palustre	48. Sulphur
37. Lycopodium clavatum	49. Symphytum officinale
38. Magnesium phosphoricum	50. Thuja occidentalis

B: Practical or clinical:

This will cover,-

- (i) case taking of acute and chronic patients.
- (ii) case processing including totality of symptoms, selection of medicine, potency and repetition Schedule

Each student shall maintain practical record or journal with record of five cases.

C. Examination:

The syllabus covered in First BHMS and Second BHMS course are the following, namely:-

1. Theory:

1.1. Number of papers-01

1.2. Marks: 100

1.3. Distribution of marks:

- 1.3.1. Topics of I B.H.M.S. 50 Marks
- 1.3.2. Topics of II B.H.M.S. 50 Marks

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks:100

2.2. Distribution of marks;

Marks

2.2.1. Case taking and Case

processing of one long case 30

2.2.2. Case taking of one short Case

10

2.2.3. Maintenance of Practical
record or journal

10

2.2.4. Viva voce (oral)

50

Total

100

THIRD B.H.M.S

In addition to the syllabus of First and Second B.H.M.S. including the use of medicines for Second BHMS (Appendix-I), the following additional topics and medicines are included in the syllabus of homoeopathic materia medica for the Third B.H.M.S examination.

A. General Topics of Homoeopathic Materia Medica –

In addition to the syllabus of First and Second B.H.M.S. including the use of medicines for Second BHMS (Appendix-I), the following additional topics and medicines are included in the syllabus of Homoeopathic Materia Medica for the Third B.H.M.S. Examination.

(a) concept of nosodes - definition of nosodes, types of nosodes, general indications of dosodes.

(b) concepts of constitution, temperaments, diathesis-

definitions, various concepts of constitution with their peculiar characteristics, importance of constitution, temperaments and diathesis and their utility in treatment of patients.

B. Concept of mother tincture.

C. Homoeopathic medicines to be taught in Third B.H.M.S. as in Appendix-II

APPENDIX-II

1.	Acetic acid
2.	Actea spicata
3.	Agaricus muscarius
4.	Agnus castus
5.	Alumina
6.	Ambra grisea
7.	Ammonium carbonicum
8.	Ammonium muriaticum
9.	Anacardium orientale
10.	Apocynum cannabinum
11.	Arsenicum Iodatum
12.	Asafoetida
13.	Aurum metallicum
14.	Baryta carbonica
15.	Belladonna
16.	Benzoic acid
17.	Berberis vulgaris
18.	Bismuth
19.	Borax
20.	Bovista Iycoperdon
21.	Bromium
22.	Bufo rana
23.	Cactus grandiflorus
24.	Caladium seguinum
25.	Calcarea arsenicosa
26.	Camphora
27.	Cannabis indica
28.	Cannabis sativa
29.	Cantharis vesicatoria
30.	Carbo vegetabilis
31.	Chelidonium majus

32.	Conium maculatum
33.	Crotalus horridus
34.	Croton tiglium
35.	Cyclamen europaeum
36.	Digitalis purpurea
37.	Dioscorea villosa
38.	Equisetum hyemale
39.	Ferrum metallicum
40.	Graphites
41.	Helleborus niger
42.	Hyoscyamus niger
43.	Ignatia amara
44.	Kali bichromicum
45.	Kali bromatum
46.	Kali carbonicum
47.	Kreosotum
48.	Lachesis muta
49.	Moschus
50.	Murex purpurea
51.	Muriatic acid
52.	Naja tripudians
53.	Natrum carbonicum
54.	Nitric acid
55.	Nux moschata
56.	Opium
57.	Oxalic acid
58.	Petroleum
59.	Phosphoric acid
60.	Phosphorus
61.	Phytolacca decandra
62.	Picric acid

63.	Platinum metallicum
64.	Podophyllum
65.	Secale cornutum
66.	Selenium
67.	Sepia
68.	Staphysagria
69.	Stramonium
70.	Sulphuric acid

71.	Syphilinum
72.	Tabacum
73.	Taraxacum officinale
74.	Tarentula cubensis
75.	Terebinthina
76.	Theridion
77.	Thlaspi bursa pastoris
78.	Veratrum album

Group studies
Acid group
Carbon group
Kali group
Ophidia group
Mercurius group
Spider group

D. Practical or clinical:

- (1) This will cover,-
 - (a) case taking of acute and chronic patients.
 - (b) case processing including selection of medicine, potency and repetition schedule
- (2) Each student shall maintain a journal having record of ten case takings.

E. Examination:

1. Theory:

- 1. 1. Number of papers- 01
- 1. 2. Marks: 100
- 1. 3. Distribution of marks:
 - 1.3.1. Topics of Second B.H.M.S. 50 Marks
 - 1.3.2. Topics of Third B.H.M.S. 50 Marks

2. Practical including viva voce or oral:

- 2.1. Marks:100
- 2.2. Distribution of marks: Marks

2.2.1. Case taking and case processing of one long case	30
2.2.2. Case taking of one short case	10
2.2.3. Maintenance of practical record or journal	10
2.2.4. Viva voce or oral	50

Total	<u>100</u>

Fourth B.H.M.S

In addition to the syllabus of First, Second and Third BHMS including the medicines taught as per the Appendices I and II, the following additional topics and medicines are included in the syllabus for the Fourth BHMS examination.

A. General topics of Homoeopathic *materia medica* – Sarcodes – definition and general indications.

B. Medicines indicated in Appendix-III shall be taught in relation to the medicines of Appendices-I and II for comparison wherever required.

APPENDIX-III

1	<i>Abies canadensis</i>	35	<i>Sambucus nigra</i>
2	<i>Abies nigra</i>	36	<i>Squilla maritima</i>
3	<i>Carbo animalis</i>	37	<i>Baryta muriatica</i>
4	<i>Carbolic acid</i>	38	<i>Crataegus oxyacantha</i>
5	<i>Cundurango</i>	39	<i>Lithium carbonicum</i>
6	<i>Fluoricum acidum</i>	40	<i>Rauwolfia serpentina</i>
7	<i>Hydrastis canadensis</i>	41	<i>Caulophyllum</i>
8	<i>Raphanus sativus</i>	42	<i>Coccus indicus</i>
9	<i>Magnesia carbonica</i>	43	<i>Crocus sativus</i>
10	<i>Magnesia muriatica</i>	44	<i>Helonias dioica</i>
11	<i>Anthracinum</i>	45	<i>Lillium tigrinum</i>
12	<i>Bacillinum</i>	46	<i>Sabina</i>
13	<i>Lac caninum</i>	47	<i>Trillium pendulum</i>
14	<i>Lac defloratum</i>	48	<i>Viburnum opulus</i>
15	<i>Lyssin</i>	49	<i>Cicuta virosa</i>
16	<i>Medorrhinum</i>	50	<i>Ranunculus bulbosus</i>
17	<i>Psorinum</i>	51	<i>Rhododendron chrysanthum</i>
18	<i>Pyrogenium</i>	52	<i>Clematis erecta</i>
19	<i>Vaccinum</i>	53	<i>Sabal serrulata</i>
20	<i>Variolinum</i>	54	<i>Sarsaparilla officinalis</i>
21	<i>Hydrocotyle asiatica</i>	55	<i>Coffea cruda</i>
22	<i>Mezereum</i>	56	<i>Glonoina</i>
23	<i>Radium bromatum</i>	57	<i>Melilotus</i>
24	<i>Urtica urens</i>	58	<i>Millefolium</i>
25	<i>Vinca minor</i>	59	<i>Sanguinaria canadensis</i>
26	<i>Abrotanum</i>	60	<i>Spigelia</i>
27	<i>Rheum palmatum</i>	61	<i>Veratrum viride</i>
28	<i>Sanicula aqua</i>	62	<i>Capsicum</i>
29	<i>Acalypha indica</i>	63	<i>Cedron</i>
30	<i>Corallium rubrum</i>	64	<i>Eupatorium perfoliatum</i>
31	<i>Lobelia inflata</i>	65	<i>Abroma augusta</i>
32	<i>Mephitis putorius</i>	66	<i>Calotropis gigantea</i>
33	<i>Rumex crispus</i>	67	<i>Carica papaya</i>
34	<i>Sabadilla officinalis</i>	68	<i>Cassia sophera</i>

69	Ficus religiosa	104	Artemesia vulgaris
70	Jonosia asoca	105	Avena sativa
71	Justicia adhatoda	106	Blatta orientalis
72	Ocimum sanctum	107	Carcinosin
73	Syzygium jambolanum	108	Carduus marianus
74	Ratanhia peruviana	109	Ceanothus
75	Collinsonia canadensis	110	Chininum arsenicosum
76	Antimonium arsenicosum	111	Cholesterinum
77	Sticta pulmonaria	112	Coca erythroxylon
79	Asterias rubens	113	Diphtherinum
80	Iodium	114	Erigeron canadensis
81	Thyroidinum	115	Malandrinum
82	Argentum metallicum	116	Menyanthes
83	Cuprum metallicum	117	Onosmodium
84	Plumbum metallicum	118	Passiflora incarnata
85	Zincum metallicum	119	Ustilago maydis
86	Adonis vernalis	120	Stannum metallicum
87	Kalmia latifolia	121	Valeriana officinalis
88	Physostigma venenosum	122	X – ray
89	Mercurius corrosivus		
90	Mercurius cyanatus		
91	Mercurius dulcis		
92	Mercurius solubilis		
93	Mercurius sulphuricus		
94	Causticum		
95	Bacillus No. 7		
96	Dysentery co		
97	Gaertner		
98	Morgan pure		
99	Morgan gaertner		
100	Proteus bacillus		
101	Sycotic bacillus		
Additional medicines			
102	Aesculus hippocastanum		
103	Adrenalinum		

Sl. No.	Group studies
1	Baryta group
2	Calcarea group
3	Magnesia group
4	Natrum group
5	Compositae family
6	Ranunculaceae family
7	Solanaceae family

C. Practical or clinical:

Each student shall maintain a journal having record of ten acute and ten chronic case takings.

D. Examination:

1. Theory:

1. 1 Number of papers-02

2.1 Marks: 200

2.1.1 Distribution of marks:

2.1.2 Paper-I: Topics of First, Second and Third B.H.M.S.— 100 Marks

2.1.3 Paper-II:Topics of IV B.H.M.S.— 100 Marks

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks: 200

2.2. Distribution of marks;	<u>Marks</u>
2.2.1. Case taking and Case processing of one long case	60
2.2.2 Case taking of one short case	20
2.2.3 Maintenance of practical record or journal	20
2.2.4. Viva voce (oral)	100

Total	<u>200</u>

PATHOLOGY

Instructions:

I (a) Pathology and microbiology shall be taught in relation to the concept of miasms as evolved by Samuel Hahnemann and further developed by JT Kent, H.A. Robert, J.H. Allen and other stalwarts, with due reference to Koch's postulate, correlation with immunity, susceptibility and thereby emphasizing homoeopathic concept of evolution of disease and cure;

(b) Focus will be given on the following points, namely:-

- (1) Pathology in relation with Homoeopathic Materia Medica.
- (2) Correlation of miasms and pathology.
- (3) Characteristic expressions of each miasm.
- (4) Classification of symptoms and diseases according to pathology.
- (5) Pathological findings of diseases; their interpretation, correlation and usage in the management of patients under homoeopathic treatment.

(c) To summarise, all the topics in the general and systemic pathology and microbiology should be correlated, at each juncture, with homoeopathic principles so that the importance of pathology in Homoeopathic system could be understood by the students.

A. Theory:

(a). General Pathology

1. Cell Injury and cellular adaptation
 2. Inflammation and repair (Healing).
 3. Immunity
 4. Degeneration
 5. Thrombosis and embolism
 6. Oedema
 7. Disorders of metabolism
 8. Hyperplasia and hypertrophy
 9. Anaplasia
 10. Metaplasia
 11. Ischaemia
 12. Haemorrhage
 13. Shock
 14. Atrophy
 15. Regeneration
 16. Hyperemia
 17. Infection
 18. Pyrexia
 19. Necrosis
 20. Gangrene
 21. Infarction
 22. Amyloidosis
 23. Hyperlipidaemia and lipidosis
 24. Disorders of pigmentation
 25. Neoplasia (Definition, variation in cell growth, nomenclature and taxonomy, characteristics of neoplastic cells, aetiology and pathogenesis, grading and staging, diagnostic approaches, interrelationship of tumor and host, course and management).
 26. Calcification
 27. Effects of radiation
 28. Hospital infection
- (b) Systemic pathology

In each system, the important and common diseases should be taught, keeping in view their evolution, aetio-pathogenesis, mode of presentation, progress and prognosis, namely:—

1. Mal-nutrition and deficiency diseases.
2. Diseases of Cardiovascular system
3. Diseases of blood vessels and lymphatics
4. Diseases of kidney and lower urinary tract
5. Diseases of male reproductive system and prostate

6. Diseases of the female genitalia and breast.
7. Diseases of eye, ENT and neck
8. Diseases of the respiratory system.
9. Diseases of the oral cavity and salivary glands.
10. Diseases of the G.I. system
11. Diseases of liver, gall bladder, and biliary ducts
12. Diseases of the pancreas (including diabetes mellitus)
13. Diseases of the haemopoetic system, bone marrow and blood
14. Diseases of glands-thymus, pituitary, thyroid, and parathyroid, adrenals, parotid.
15. Diseases of the skin and soft tissue.
16. Diseases of the musculo-skeletal system.
17. Diseases of the nervous system.
18. Leprosy

(c) Microbiology

(I) General Topics:

1. Introduction
2. History and scope of medical microbiology
3. Normal bacterial flora
4. Pathogenicity of micro-organisms
5. Diagnostic microbiology

(II) Immunology:

1. Development of immune system
2. The innate immune system
3. Non-specific defense of the host
4. Acquired immunity
5. Cells of immune system; T cells and Cell mediated immunity; B cells and Humoral immunity
6. The compliment system
7. Antigen; Antibody; Antigen – Antibody reactions (Anaphylactic and Atopic); Drug Allergies
8. Hypersensitivity
9. Immuno-deficiency
10. Auto-immunity
11. Transplantation
12. Blood group antigens
13. Clinical aspect of immuno-pathology.

(III) Bacteriology:

1. Bacterial structure, growth and metabolism
2. Bacterial genetics and bacteriophage
3. Identification and cultivation of bacteria
4. Gram positive aerobic and facultative anaerobic cocci, eg.
Streptococci, Pneumococci.
5. Gram positive anaerobic cocci, e.g. peptostreptococci

6. Gram negative aerobic cocci, eg. neisseria, moraxella, kingella.
7. Gram positive aerobic bacilli, eg. corynebacterium, acillus anthrax, cereus subtitis, mycobacterium tuberculosis, M. leprae, actinomycetes; nocardia, organism of enterobacteriac group.
8. Gram positive anaerobic bacilli, eg. genus clostridium, lactobacillus.
9. Gram negative anaerobic bacilli, eg. bacteroides, fragilus, fusobacterium.
10. Others like- cholerae vibrio, spirochaetes, leptospirae, mycoplasma, chlamydiae, rickettsiae, yersinia and pasturella.

(IV) Fungi and Parasites:

1. Fungi – (1) True pathogens (cutaneous, sub-cutaneous and systemic infective agents), (2) Opportunistic pathogens.
2. Protozoa – (1) Intestinal (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum), (2) Urogenital (Trichomonas vaginalis) 3) Blood and Tissues (Plasmodium-species, Toxoplasma gondii, Trypanosoma species, leishmania species).
3. Helminths – (1) Cestodes (tapeworms)- Echinococcus granulosus, Taenia solium, Taenia saginata, (2) Trematodes (Flukes): Paragonimus westermani, Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium (3) Nematodes– Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Strongyloides, Stercoralis, Trichuris trichiura, Brugia malayi, Dracunculus medinensis, Loa loa, Onchocerca volvulus, Wuchereria bancroftii).

(V) Virology:

1. Introduction
2. Nature and classification of viruses
3. Morphology and replication of viruses
4. DNA viruses:
 - (i) parvo virus
 - (ii) herpes virus, varicella virus, CMV, EBV.
 - (iii) hepadna virus (hepatitis virus)
 - (iv) papova virus
 - (v) adeno virus
 - (vi) pox virus- variola virus, vaccinia virus, molluscum contagiosum etc.

5. RNA viruses:

- (a) orthomyxo virus:
 - (i) entero virus
 - (ii) rhino virus
 - (iii) hepato virus
- (b) paramyxo virus- rubeola virus, mumps virus, Influenza virus etc.
- (c) phabdo virus
- (d) rubella virus (german measles)
- (e) corona virus
- (f) retro virus
- (g) yellow fever virus
- (h) dengue, vhikungunya virus
- (i) Miscellaneous virus:
 - (i) arena virus

- (ii) corona virus
- (iii) rota virus
- (iv) bacteriophages

(VI) Clinical microbiology: (1) Clinically important micro organisms (2) Immunoprophylaxis, (3) Antibiotic Sensitivity Test (ABST)

(VII) Diagnostic procedures in microbiology: (1) Examination of blood and stool (2) Immunological examinations (3) Culture methods (4) Animal inoculation.

(VIII) Infection and Disease: (1) Pathogenicity, mechanism and control (2) Disinfection and sterilisation (3) Antimicrobial chemotherapy (4) Microbial pathogenicity

(d) Histopathology:

1. Teaching of histopathological features with the help of slides of common pathological conditions from each system.
1. Teaching of gross pathological specimens for each system.
2. Histopathological techniques, e.g. fixation, embedding, sectioning and staining by common dyes and stains.
3. Frozen sections and its importance.
4. Electron microscopy; phase contrast microscopy.

B. Practical or clinical:

- (1) Clinical and Chemical Pathology: estimation of haemoglobin (by acidometer) count of Red Blood Cells and White Blood Cells, bleeding time, clotting time, blood grouping, staining of thin and thick films, differential counts. blood examination for parasites. erythrocyte sedimentation rate.
- (2) Urine examination, physical, chemical microscopical, quantity of albumin and sugar.
- (3) Examination of Faeces: physical, chemical (occult blood) and microscopical for ova and protozoa.
- (4) Methods of sterilisation, preparation of a media, use of microscope. gram and acid fast stains. motility preparation. gram positive and negative cocci and bacilli. special stains for corynebacterium gram and acid fast stains of pus and sputum.
- (5) Preparation of common culture medias, e.g. nutrient agar, blood agar, Robertson's Cooked Meal media (RCM) and Mac conkey's media.
- (6) Widal test demonstration.
- (7) Exposure to latest equipment, viz. auto-analyzer, cell counter, glucometer.
- (8) Histopathology
 - (a) Demonstration of common slides from each system.
 - (b) Demonstration of gross pathological specimens.
 - (c) Practical or clinical demonstration of histopathological techniques, i.e. fixation, embedding.
 - (d) Sectioning, staining by common dyes and stain. frozen section and its importance.
 - (e) Electron microscopy, phase contrast microscopy.

C. Examination:

1. Theory:

1.1 Number of papers - 02

1.2 Marks: Paper I-100;Paper II-100

1.3 Contents:

- | | |
|---|------------|
| 1.3.1 Paper-I: Section A- General Pathology | - 50 marks |
| Section B- Systemic Pathology | - 50 marks |
| 1.3.2. Paper- II: Section A- | |
| • Bacteriology | - 25 marks |

- Fungi and Parasites - 25 marks

Section B-

- Virology - 20 marks
- Clinical Microbiology and Diagnostic procedures - 10 marks
- Microbiological control and mechanism of pathogenicity - 10 marks
- General Topics Immuno-pathology - 10 marks

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks: 100

2.2. Distribution of marks;

Marks

2.2.1. Practicals	- 15
2.2.2. Spotting	- 20 (4 spottings)
2.2.3. Histopathological slides	- 10 (2 slides)
2.2.4. Journal or practical record	- 05
2.2.5. Viva voce (oral)	- 50

(Including 5 marks for interpretation of routine pathological reports)

Total

100

FORENSIC MEDICINE AND TOXICOLOGY

Instructions:

I (a) Medico-legal examination is the statutory duty of every registered medical practitioner, whether he is in private practice or engaged in Government sector and in the present scenario of growing consumerism in medical practice, the teaching of Forensic Medicine and Toxicology to the students is highly essential;

(b) This learning shall enable the student to be well-informed about medico-legal responsibility in medical practice and he shall also be able to make observations and infer conclusions by logical deductions to set enquire on the right track in criminal matters and connected medico-legal problems;

(c) The students shall also acquire knowledge of laws in relation to medical practice, medical negligence and codes of medical ethics and they shall also be capable of identification, diagnosis and treatment of the common poisonings in their acute and chronic state and also dealing with their medico-legal aspects;

(d) For such purposes, students shall be taken to visit district courts and hospitals to observe court proceedings and post-mortem as per Annexure 'B'.

I. Forensic Medicine

A. Theory:

1. Introduction

- (a) Definition of forensic medicine.
- (b) History of forensic medicine in India.
- (c) Medical ethics and etiquette.
- (d) Duties of registered medical practitioner in medico-legal cases.

2. Legal procedure

- (a) Inquests, courts in India, legal procedure.
- (b) Medical evidences in courts, dying declaration, dying deposition, including medical certificates, and medico-legal reports.

3. Personal identification

- (a) Determination of age and sex in living and dead; race, religion.
- (b) Dactylography, DNA finger printing, foot print.
- (c) Medico-legal importance of bones, scars and teeth, tattoo marks, handwriting, anthropometry.
- (d) Examination of biological stains and hair.

4. Death and its medico-legal importance

- (a) Death and its types, their medico-legal importance
- (b) Signs of death (1) immediate, (2) early, (3) late and their medico-legal importance
- (c) Asphyxial death (mechanical asphyxia and drowning).
- (d) Deaths from starvation, cold and heat etc.

5. Injury and its medico-legal importance

Mechanical, thermal, firearm, regional, transportation and traffic injuries; injuries from radiation, electrocution and lightening.

6. Forensic psychiatry

- (a) Definition; delusion, delirium, illusion, hallucinations; impulse and mania; classification of Insanity.
- (b) Development of insanity, diagnosis, admission to mental asylum.

7. Post-mortem examination (autopsy)

- (a) Purpose, procedure, legal bindings; difference between pathological and medico-legal autopsies.
- (b) External examination, internal examination of adult, foetus and skeletal remains.

8. Impotence and sterility

Impotence; Sterility; Sterilisation; Artificial Insemination; Test Tube Baby; Surrogate mother.

9. Virginity, defloration; pregnancy and delivery**10. Abortion and infanticide**

- (a) Abortion: different methods, complications, accidents following criminal abortion, MTP.
- (b) Infant death, legal definition, battered baby syndrome, cot death, legitimacy.

11. Sexual Offences

Rape, incest, sodomy, sadism, masochism, tribadism, bestiality, buccal coitus and other sexual perversions.

II. Toxicology**1. General Toxicology**

- (a) Forensic Toxicology and Poisons
- (b) Diagnosis of poisoning in living and dead,
- (c) General principles of management of poisoning,
- (d) Medico-legal aspects of poisons,
- (e) Antidotes and types.

2. Clinical toxicology

- (a) Types of Poisons:
 - (i) Corrosive poisons (Mineral acids, Caustic alkalis, Organic acids, Vegetable acids)
 - (ii) Irritant poisons (Organic poisons - Vegetable and animal; Inorganic poisons - metallic and non-metallic; Mechanical poisons)
 - (iii) Asphyxiant poisons (Carbon monoxide; Carbon dioxide; Hydrogen sulphide and some war gases)
 - (iv) Neurotic poisons (Opium, Nux vomica, Alcohol, Fuels like kerosene and petroleum products, Cannabis indica, Dhatura, Anaesthetics Sedatives and Hypnotics, Agrochemical compounds, Belladonna, Hyoscyamus, Curare, Conium)

- (v) Cardiac poisons (Digitalis purpurea, Oleander, Aconite, Nicotine)
- (vi) Miscellaneous poisons (Analgesics and Antipyretics, Antihistaminics, Tranquillisers, antidepressants, Stimulants, Hallucinogens, Street drugs etc.)

III. Legislations relating to medical profession

- (a) the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973);
- (b) the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);
- (c) the Workmen's compensation Act, 1923 (8 of 1923);
- (d) the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);
- (e) the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971);
- (f) the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987);
- (g) the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872);
- (h) the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007);
- (i) the Personal Injuries Act, 1963 (37 of 1963)
- (j) the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940)and the rules made therein;
- (k) the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (21 of 1954);
- (l) the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994);
- (m) the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994);
- (n) the Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982;
- (o) the Drugs Control Act, 1950 (26 of 1950);
- (p) the Medicine and Toiletry Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955);
- (q) the Indian Penal Code (45 of 1860) and the Criminal Procedure Code (2 of 1974) {relevant provisions}
- (r) the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996);
- (s) the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (23 of 2010).

B. Practical:

1. Demonstration:

- (a) Weapons
- (b) Organic and inorganic poisons
- (c) Poisonous plants
- (d) Charts, diagrams, photographs, models, x-ray films of medico-legal importance
- (e) Record of incidences reported in newspapers or magazines and their explanation of medico-legal importance.
- (f) Attending demonstration of ten medico-legal autopsies.

2. Certificate Writing:

Various certificates like sickness certificate, physical fitness certificate, birth certificate, death certificate, injury certificate, rape certificate, chemical analyzer (Regional Forensic Laboratory), certificate for alcohol consumption, writing post-mortem examination report.

C. Examination:

1. Theory:

1.1. Number of papers-01

1.2. Marks: 100

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks: 100

2.2. Distribution of marks;	<u>Marks</u>
2.2.1. Medico-legal aspect of 4 specimens	40
2.2.3. Journal or practical records	10
2.2.4. Viva voce (oral)	50

Total	<u>100</u>

REPERTORY

Instructions:

- I. (a) Repertorisation is not the end but the means to arrive at the simillimum with the help of *materia medica*, based on sound knowledge of Homoeopathic Philosophy;
 (b) Homoeopathic *materia medica* is an encyclopedia of symptoms. No mind can memorize all the symptoms or all the drugs with their gradations;
 (c) The repertory is an index and catalogue of the symptoms of the *materia medica*, neatly arranged in a practical or clinical form, with the relative gradation of drugs, which facilitates quick selection of indicated remedy and it may be difficult to practice Homoeopathy without the aid of repertoires.
- II. (a) Each repertory has been compiled on distinct philosophical base, which determines its structure;
 (b) In order to explore and derive full advantage of each repertory, it is important to grasp thoroughly its conceptual base and construction and this will help student to learn scope, limitations and adaptability of each repertory.

Third B.H.M.S

A. Theory:

1. Repertory: Definition; Need; Scope and Limitations.
2. Classification of Repertoires
3. Study of different Repertoires (Kent, Boenninghausen, Boger-Boenninghausen):
 - (a) History
 - (b) Philosophical background
 - (c) Structure
 - (d) Concept of repertorisation
 - (e) Adaptability
 - (f) Scope
 - (g) Limitation(s)
4. Gradation of Remedies by different authors.
5. Methods and techniques of repertorisation. Steps of repertorisation.
6. Terms and language of repertoires (Rubrics) cross references in other repertoires and *materia medica*.
7. Conversion of symptoms into rubrics and repertorisation using different repertoires.
8. Repertory – its relation with organon of medicine and *materia medica*.
9. Case taking and related topics:
 - (a) case taking.
 - (b) difficulties of case taking, particularly in a chronic case.
 - (c) types of symptoms, their understanding and importance.
 - (d) importance of pathology in disease diagnosis and individualisation in relation to study of repertory.
10. Case processing

- (a) analysis and evaluation of symptoms
- (b) miasmatic assessment
- (c) totality of symptoms or conceptual image of the patient
- (d) repertorial totality
- (e) selection of rubrics
- (f) repertorial technique and results
- (g) repertorial analysis

B. Practical or clinical:

1. Record of five cases each of surgery, gynaecology and obstetrics worked out by using Kent's repertory.
2. Rubrics hunting from Kent's & Boenninghausen's repertories.

Note: There will be no Examination in the subject in Third B.H.M.S.

Fourth B.H.M.S

A. Theory:

1. Comparative study of different repertories (like Kent's Repertory, Boenninghausen's Therapeutic Pocket Book and Boger-Boenninghausen's Charactetristic Repertories, A Synoptic Key to Materia Medica).
2. Card repertories and other mechanical aided repertories– History, Types and Use.
3. Concordance repertories (Gentry and Knerr)
4. Clinical Repertories (William Boericke etc.)
5. An introduction to modern thematic repertories- (Synthetic, Synthesis and Complete Repertory and Murphy's Repertory)
6. Regional repertories
7. Role of computers in repertorisation and different softwares.

B. Practical or clinical:

Students shall maintain the following records, namely:-

1. Five acute and five chronic cases (each of medicine, surgery and obstetrics and gynaecology) using Kent's Repertory.
2. Five cases (pertaining to medicine) using Boenninghausen's therapeutics pocket book.
3. Five cases (pertaining to medicine) using Boger-Boenninghausen's characteristics repertory.
4. Five cases to be cross checked on repertories using homoeopathic softwares.

C. Examination:

There will be examination of repertory only in Fourth B.H.M.S (not in III BHMS).

1. Theory:

- 1.1. Number of papers-01
- 1.2. Marks: 100

2. Practical including viva voce or oral:

- 2.1. Marks: 100

2.2. Distribution of marks:	Marks
2.2.1. One long case	30
2.2.2. One short case	10
2.2.3. Practical record or journal	10
2.2.4. Viva Voce (Oral)	50

Total

100

GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS

Instructions:

I. (a) Homoeopathy adopt the same attitude towards this subject as it does towards Medicine and Surgery, but while dealing with Gynaecology and Obstetrical cases, a Homoeopathic physician must be trained in special clinical methods of investigation for diagnosing local conditions and individualising cases, the surgical intervention either as a life saving measure or for removing mechanical obstacles, if necessary, as well as their management by using homoeopathic medicines and other auxiliary methods of treatment;

(b) Pregnancy is the best time to eradicate genetic dyscrasias in women and this should be specially stressed. And students shall also be instructed in the care of new born;

(c) The fact that the mother and child form a single biological unit and that this peculiar close physiological relationship persists for at least the first two years of the child's life should be particularly emphasised.

II. A course of instructions in the principles and practice of gynaecology and obstetrics and infant hygiene and care including the applied anatomy and physiology of pregnancy and labour, will be given.

III. Examinations and investigations in gynaecological and obstetrical cases shall be stressed and scope of homoeopathy in this subject shall be taught in details.

IV. The study shall start in Second B.H.M.S and shall be completed in Third B.H.M.S. and examinations will be held in Third B.H.M.S and following topics shall be taught, namely:-

Second B.H.M.S

A. Theory:

1. Gynaecology

- (a) A review of the applied anatomy of female reproductive systems-development and malformations.
- (b) A review of the applied physiology of female reproductive systems-puberty, menstruation and menopause.
- (c) Gynaecological examination and diagnosis.
- (d) Developmental anomalies.
- (e) Uterine displacements.
- (f) Sex and intersexuality.
- (g) General Management and therapeutics of the above listed topics in Gynaecology .

2. Obstetrics

- (a) Fundamentals of reproduction.
- (b) Development of the intrauterine pregnancy-placenta and foetus.
- (c) Diagnosis of pregnancy-investigations and examination.
- (d) Antenatal care.
- (e) Vomiting in pregnancy.
- (f) Preterm labour and post maturity.
- (g) Normal labour and puerperium.
- (h) Induction of labour.
- (i) Postnatal and puerperal care.
- (j) Care of the new born.
- (k) Management and therapeutics of the above listed topics in obstetrics.

Third B.H.M.S

1. Gynaecology

- (a) Infections and ulcerations of the female genital organs.
- (b) Injuries of the genital tract.

- (c) Disorders of menstruation.
- (d) Menorrhagia and dysfunctional uterine bleeding.
- (e) Disorders of female genital tract.
- (f) Diseases of breasts.
- (g) Sexually transmitted diseases.
- (h) Endometriosis and adenomyosis.
- (i) Infertility and sterility.
- (j) Non-malignant growths.
- (k) Malignancy.
- (l) Chemotherapy caused complications.
- (m) Management and therapeutics of the above listed topics in gynaecology.

2. Obstetrics

- (a) High risk labour; mal-positions and mal-presentations; twins, prolapse of cord and limbs, abnormalities in the action of the uterus; abnormal conditions of soft part contracted pelvis; obstructed labour, complications of 3rd stage of labour, injuries of birth canal, foetal anomalies.
- (b) Abnormal pregnancies-abortions, molar pregnancy, diseases of placenta and membranes, toxemia of pregnancy, antepartum haemorrhages, multiple pregnancy, protracted gestation, ectopic pregnancy, intrauterine growth retardation, pregnancy in Rh negative woman, intrauterine fetal death, still birth.
- (c) Common disorders and systemic diseases associated with pregnancy.
- (d) Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994.
- (e) Common obstetrical operations-medical termination of pregnancy, criminal abortion, caesarean section, episiotomy.
- (f) Emergency obstetric care.
- (g) Population dynamics and control of conception.
- (h) Infant care – neonatal hygiene, breast feeding, artificial feeding, management of premature child, asphyxia, birth injuries, common disorders of newborn.
- (i) Reproductive and child health care (a) safe motherhood and child survival (b) Risk approach –MCH care (c) Maternal mortality and morbidity (d) Perinatal mortality and morbidity (e) Diseases of foetus and new born.
- (j) Medico-legal aspects in obstetrics.
- (k) Homoeopathic Management and Therapeutics of the above listed clinical conditions in Obstetrics.

B. Practical or clinical:

Practical or clinical classes shall be taken on the following topics both in Second and Third B.H.M.S.

- (a) Gynaecological case taking
- (b) Obstetrical case taking
- (c) Gynaecological examination of the patient
- (d) Obstetrical examination of the patient including antenatal, intranatal and post- natal care
- (e) Bed side training
- (f) Adequate grasp over Homoeopathic principles and management
- (g) Identification of Instruments and models

Record of ten cases each in gynaecology and obstetrics.

C. Examination:

1. Theory:

- 1.1 Number of papers - 02

1.2 Marks: Paper I-100; Paper II-100

1.3 Contents:

1.3.1 Paper-I: Gynaecology and homoeopathic therapeutics

1.3.2. Paper-II: Obstetrics, infant care and homoeopathic therapeutics

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks: 200

2.2. Distribution of marks;	<u>Marks</u>
2.2.1. One long case	30
2.2.2. Practical records, case records, journal	30
2.2.3. Identification of instruments, models and specimens	40
2.2.4. Viva voce (oral)	100

Total	<u>200</u>

COMMUNITY MEDICINE

Instructions:

I. (a) Physician's function is not limited merely prescribing homoeopathic medicines for curative purpose, but he has wider role to play in the community;

(b) He has to be well conversant with the national health problems of rural as well as urban areas, so that he can be assigned responsibilities to play an effective role not only in the field of curative but also preventive and social medicine including family planning.

II. This subject is of utmost importance and throughout the period of study attention of the student should be directed towards the importance of preventive medicine and the measures for the promotion of positive health.

III. (a) During teaching, focus should be laid on community medicine concept, man and society, aim and scope of preventive and social medicine, social causes of disease and social problems of the sick, relation of economic factors and environment in health and disease;

(b) Instructions in this course shall be given by lectures, practicals, seminars, group discussions, demonstration and field studies.

Third B.H.M.S

A. Theory:

1. Man and Medicine

2. Concept of health and disease in conventional medicine and homoeopathy

3. Nutrition and health

(a) Food and nutrition

(b) Food in relation to health and disease

(c) Balanced diet

(d) Nutritional deficiencies, and Nutritional survey

(e) Food Processing

(f) Pasteurisation of milk

(g) Adulteration of food

(h) Food Poisoning

4. Environment and health

(a) air, light and sunshine, radiation.

- (b) effect of climate
- (c) comfort zone
- (d) personal hygiene
- (e) physical exercise
- (f) sanitation of fair and festivals
- (g) disinfection and sterilisation
- (h) atmospheric pollution and purification of air
- (i) air borne diseases

5. Water

- (a) distribution of water; uses; impurities and purification
- (b) standards of drinking water
- (c) water borne diseases
- (d) excreta disposal
- (e) disposal of deceased.
- (f) disposal of refuse.
- (g) medical entomology- insecticides, disinfection, Insects in relation to disease, Insect control.

6. Occupational health

7. Preventive medicine in pediatrics and geriatrics

Fourth B.H.M.S

A. Theory:

1. Epidemiology

- (a) Principles and methods of epidemiology
- (b) Epidemiology of communicable diseases:
 - General principles of prevention and control of communicable diseases;
- (c) Communicable diseases: their description, mode of spread and method of prevention.
- (d) Protozoan and helminthic infections- Life cycle of protozoa and helminthes, their prevention.
- (e) Epidemiology of non-communicable diseases: general principles of prevention and control of non-communicable diseases
- (f) Screening of diseases

2. Bio-statistics

- (a) Need of biostatistics in medicine
- (b) Elementary statistical methods
- (c) Sample size calculation
- (d) Sampling methods
- (e) Test of significance
- (f) Presentation of data
- (g) Vital statistics

3. Demography and Family Planning; Population control; contraceptive practices; National Family Planning Programme.

4. Health education and health communication

5. Health care of community.

6. International Health

7. Mental Health
8. Maternal and Child Health
9. School Health Services
10. National Health Programs of India including Rashtriya Bal Chikitsa Karyakram.
11. Hospital waste management
12. Disaster management
13. Study of aphorisms of organon of medicine and other homoeopathic literatures, relevant to above topics including prophylaxis.

B. Practicals:

1. Food additives; food fortification, food adulteration; food toxicants
2. Balanced diet
3. Survey of nutritional status of school children, pollution and Water purification
4. Medical entomology
5. Family planning and contraception
6. Demography
7. Disinfection
8. Insecticides

Field Visits

1. Milk dairy
2. Primary Health Centre
3. Infectious Diseases Hospital
4. Industrial unit
5. Sewage treatment plant
6. Water purification plant

Note:

1. For field visits, Annexure 'B' has to be kept in view.
2. Students are to maintain practical records or journals in support of above practical or field visits.
3. Reports of the above field visits are to be submitted by the students.
4. Each student has to maintain records of at least ten infectious diseases.

C. Examination:

There will be examination of the subject only in Fourth B.H.M.S (and not in III BHMS). Besides theory examination there shall be a practical or clinical examination including viva-voce as per following distribution of marks-

1. Theory:

- 1.1.** Number of papers - 01
- 1.2.** Marks: 100

2. Practical including viva voce oral:

2.1. Marks: 100	
2.2. Distribution of marks;	<u>Marks</u>
2.2.1. Spotting	30
2.2.3. Journal or practical records (including field visit records)	
20	

2.2.4. Viva voce (oral)	50

Total	<u>100</u>

SURGERY**Instructions:**

I (a) Homoeopathy as a science needs clear application on part of the physician to decide about the best course of action(s) required to restore the sick, to health;

(b) Knowledge about surgical disorders is required to be grasped so that the Homoeopathic Physician is able to:-

- (1) Diagnose common surgical conditions.
- (2) Institute homoeopathic medical treatment wherever possible.
- (3) Organise Pre and Post-operative Homoeopathic medicinal care besides surgical intervention with the consent of the surgeon.

II For the above conceptual clarity and to achieve the aforesaid objectives, an effective co-ordination between the treating surgeons and homoeopathic physicians is required keeping in view the holistic care of the patients and it will also facilitate the physician in individualising the patient, necessary for homoeopathic treatment and management.

III The study shall start in Second B.H.MS and complete in Third B.H.M.S. and examination shall be conducted in Third B.H.M.S.

IV (a) Following is a plan to achieve the above and it takes into account about the Second and Third year B.H.M.S syllabus and respective stage of development;

(b) Throughout the whole period of study, the attention of the students should be directed by the teachers of this subject to the importance of its preventive aspects.

V There shall be periodical inter-departmental seminars, to improve the academic knowledge, skill and efficiency of the students and the study shall include training on, –

- (a) principles of surgery,
- (b) fundamentals of examination of a patient with surgical problems
- (c) use of common instruments for examination of a patient.
- (d) physiotherapy measures.
- (e) applied study of radio-diagnostics.
- (f) knowledge of causation, manifestations, management and prognosis of surgical disorders.
- (g) miasmatic background of surgical disorders, wherever applicable.
- (h) bedside clinical procedures.
- (i) correlation of applied aspects, with factors which can modify the course of illness, including application of medicinal and non-medicinal measures.
- (j) role of homoeopathic treatment in pseudo-surgical and true surgical diseases.

Second B.H.M.S**A. Theory:**

- (a) General Surgery:-
 - 1. Introduction to surgery and basic surgical principles.
 - 2. Fluid, electrolytes and acid-base balance.
 - 3. Haemorrhage, haemostasis and blood transfusion.

4. Boil, abscess, carbuncle, cellulitis and erysipelas.
5. Acute and chronic infections, tumors, cysts, ulcers, sinus and fistula.
6. Injuries of various types; preliminary management of head injury
7. Wounds, tissue repair, scars and wound infections.
8. Special infections (Tuberculosis, Syphilis, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Actinomycosis, Leprosy).
9. Burn
10. Shock
11. Nutrition
12. Pre-operative and post-operative care.
13. General management, surgical management and homoeopathic therapeutics of the above topics will be covered.

Examination: There will be no examination in the subject in Second B.H.M.S.

Third B.H.M.S

A. Theory:

(b) Systemic Surgery:-

1. Diseases of blood vessels, lymphatics and peripheral nerves
2. Diseases of glands
3. Diseases of extremities
4. Diseases of thorax and abdomen
5. Diseases of alimentary tract
6. Diseases of liver, spleen, gall bladder and bile duct.
7. Diseases of abdominal wall, umbilicus, hernias.
8. Diseases of heart and pericardium.
9. Diseases of urogenital system.
10. Diseases of the bones, cranium, vertebral column, fractures and dislocations.
11. Diseases of the joints.
12. Diseases of the muscles, tendons and fascia.

B. Ear

1. Applied anatomy and applied physiology of ear
2. Examination of ear
3. Diseases of external, middle and inner ear

C. Nose

1. Applied anatomy and physiology of nose and paranasal sinuses.
2. Examination of nose and paranasal sinuses
3. Diseases of nose and paranasal sinuses

D. Throat

1. Applied Anatomy and applied Physiology of pharynx, larynx, tracheobronchial tree, oesophagus
2. Examination of pharynx, larynx, tracheobronchial tree, oesophagus
3. Diseases of Throat (external and internal)
4. Diseases of oesophagus.

E. Ophthalmology

1. Applied Anatomy, Physiology of eye
2. Examination of eye.
3. Diseases of eyelids, eyelashes and lacrimal drainage system.
4. Diseases of Eyes including injury related problems.

F. Dentistry

1. Applied anatomy, physiology of teeth and gums;
2. Milestones related to teething.
3. Examination of Oral cavity.
4. Diseases of gums
5. Diseases of teeth
6. Problems of dentition

General management, surgical management and homoeopathic therapeutics of the above topics will be covered.

Practical or clinical:

(To be taught in Second and Third B.H.M.S.)

1. Every student shall prepare and submit twenty complete histories of surgical cases, ten each in the Second and Third B.H.M.S. classes respectively.
2. Demonstration of surgical Instruments, X-rays, specimens etc.
3. Clinical examinations in Surgery.
4. Management of common surgical procedures and emergency procedures as stated below:

- (a) Wounds
- (b) Abscesses: incision and drainage.
- (c) Dressings and plasters.
- (d) Suturing of various types.
- (e) Pre-operative and post-operative care.
- (f) Management of shock.
- (g) Management of acute haemorrhage.
- (h) Management of acute injury cases.
- (i) Preliminary management of a head Injury case.

Examination:

It will be conducted in Third B.H.M.S (not in Second B.H.M.S).

1. Theory:

- 1.1.** Number of papers - 02
- 1.2.** Marks: Paper I-100;Paper II-100
- 1.3.** Contents:

1.3.1. Paper –I:

Section –1- General Surgery-	50 marks
Section – 2- Homoeopathic Therapeutics relating to General Surgery	– 50 marks

1.3.2. Paper –II:

Section- 1-Systemic Surgery	25 marks
-----------------------------	----------

(i) ENT	-10 marks
(ii) Ophthalmology	-10 marks
(iii) Dentistry	-05 marks

Section- 2: -Systemic Surgery

Homoeopathic Therapeutics	25 marks
(i) ENT Homoeopathic Therapeutics	-10 marks
(ii) Ophthalmology Homoeopathic Therapeutics	-10 marks
(iii) Dentistry Homoeopathic Therapeutics	-05 marks

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks: 200

2.2. Distribution of marks;	<u>Marks</u>
2.2.1. One long case	40
2.2.2. Identification of instruments, X-rays	30
2.2.3. Practical records, case records or journal	30
2.2.4. Viva voce (oral)	100

Total	<u>200</u>

PRACTICE OF MEDICINE

Instructions:

I (a) Homoeopathy has a distinct approach to the concept of disease;

(b) it recognises an ailing individual by studying him as a whole rather than in terms of sick parts and emphasizes the study of the man, his state of health, state of Illness.

II The study of the above concept of individualisation is essential with the following background so that the striking features which are characteristic to the individual become clear, in contrast to the common picture of the respective disease conditions, namely:-

- (1) correlation of the disease conditions with basics of anatomy, physiology and, biochemistry and pathology.
- (2) knowledge of causation, manifestations, diagnosis (including differential diagnosis), prognosis and management of diseases.
- (3) application of knowledge of organon of medicine and homoeopathic philosophy in dealing with the disease conditions.
- (4) comprehension of applied part.
- (5) sound clinical training at bedside to be able to apply the knowledge and clinical skill accurately.
- (6) adequate knowledge to ensure that rational investigations are utilised.

III (a) The emphasis shall be on study of man in respect of health, disposition, diathesis, disease, taking all predisposing and precipitating factors, i.e. fundamental cause, maintaining cause and exciting cause;

(b) Hahnemann's theory of chronic miasms provides us an evolutionary understanding of the chronic diseases: psora, sycosis, syphilis and acute manifestations of chronic diseases and evolution of the natural disease shall be comprehended in the light of theory of chronic miasms.

IV (a) The teaching shall include homoeopathic therapeutics or management in respect of all topics and clinical methods of examination of patient as a whole will be given due stress during the training;

(b) A thorough study of the above areas will enable a homoeopathic physician to comprehend the practical aspects of medicine;

(c) He shall be trained as a sound clinician with adequate ability of differentiation, sharp observation and conceptual clarity about diseases by taking help of all latest diagnostic techniques, viz. X-ray, ultrasound, electrocardiogram, and commonly performed laboratory investigations;

(d) Rational assessment of prognosis and general management of different disease conditions are also to be focused.

V Study of subject. - The study of the subject will be done in two years in Third B.H.M.S and Fourth B.H.M.S, but examination shall be conducted at the end of Fourth B.H.M.S.

Third B.H.M.S

Theory:

1. Applied anatomy and applied physiology of the respective system as stated below.
2. Respiratory diseases.
3. Diseases of digestive system and peritoneum.
4. Diseases concerning liver, gall-bladder and pancreas.
5. Genetic Factors (co-relating diseases with the concept of chronic miasms).
6. Immunological factors in diseases with concept of susceptibility (including HIV, Hepatitis-B)
7. Disorders due to chemical and physical agents and to climatic and environmental factors.
8. Knowledge of clinical examination of respective systems.
9. Water and electrolyte balance – disorders of.

Fourth B.H.M.S

A. Theory:

1. Nutritional and metabolic diseases
 2. Diseases of haemopoietic system.
 3. Endocrinial diseases.
 4. Infectious diseases.
 5. Diseases of cardiovascular system.
 6. Diseases of urogenital Tract.
 7. Disease of CNS and peripheral nervous system.
 8. Psychiatric disorders.
 9. Diseases of locomotor system (connective tissue, bones and joints disorders)
 10. Diseases of skin and sexually transmitted diseases.
 11. Tropical diseases.
 12. Paediatric disorders.
 13. Geriatric disorders.
 14. Applied anatomy and applied physiology of different organ and systems relating to specific diseases.
 15. Knowledge of clinical examination of respective systems.
- (a) General management and homoeopathic therapeutics for all the topics to be covered in Third B.H.M.S and Fourth B.H.M.S shall be taught simultaneously and the emphasis shall be on study of man in respect of health, disposition, diathesis, disease, taking all predisposing and precipitating factors, i.e. fundamental cause, maintaining cause and exciting cause.
- (b) Study of therapeutics does not mean simply list of specifics for the clinical conditions but teaching of applied *materia medica* which shall be stressed upon.

Practical or clinical:

- (a) Each candidate shall submit of twenty complete case records (ten in Third B.H.M.S and ten in Fourth B.H.M.S).

- (b) The examination procedure will include one long case and one short case to be prepared. During clinical training, each student has to be given adequate exposure to,—
1. comprehensive case taking following Hahnemann's instructions;
 2. physical examinations (general, systemic and regional);
 3. laboratory investigations required for diagnosis of disease conditions;
 4. differential diagnosis and provisional diagnosis and interpretation of Investigation reports;
 5. selection of similimum and general management.

B. Examination:

1. Theory:

- 1.1. Number of papers - 02
- 1.2. Marks: Paper I-100; Paper II-100
- 1.3. Contents:
 - 1.3.1 Paper-I: Topics of Third B.H.M.S with Homoeopathic Therapeutics
 - 1.3.2. Paper-II: Topics of Fourth B.H.M.S with Homoeopathic Therapeutics

2. Practical including viva voce or oral:

2.1. Marks: 200		<u>Marks</u>
2.2. Distribution of marks;		
2.2.1. One long case	20	
2.2.2. One short case	20	
2.2.3. Practical records, case records, journal	30	
2.2.4. Identification of specimens (X-ray, E.C.G., etc.)	30	
2.2.5. Viva voce (oral)	100	

Total		<u>200</u>

Note: The case reports of the students carried out during the course shall also be considered for the oral examination.”.

9. In the principal regulations, for regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:—

“7. First B.H.M.S examination.— (i) The student shall be admitted to the First B.H.M.S examination provided he has required attendance as per clause (iii) of regulation 13 to the satisfaction of the head of the college.

(ii) The First BHMS examination shall be held in the 12th month of admission.

(iii) The minimum number of hours for lecture, tutorial, demonstration or practical classes and seminars in the subjects shall be as under:—

Sl. No.	Subject	Theoretical lecture(in hours)	Practical or clinical or tutorial or seminars (in hours).
1.	Organon of Medicine with Homoeopathic Philosophy	35 (including 10 for logic)	
2.	Anatomy	200 (including 10 hours each for histology and embryology).	275 (including 30 on histology and embryology).
3.	Physiology	200 (including 50 hours for bio-chemistry)	275 hours (including 50 hours for Bio-chemistry).
4.	Pharmacy	100	70
5.	Homoeopathic Materia Medica	35	--

(iv) Full marks for each subject and the minimum number of marks required for passing the First B.H.M.S examination shall be as follows, namely:—

Subject	Written		Practical (including oral)		Total	
	full marks	pass marks	full marks	pass marks	full marks	pass marks
Homoeopathic Pharmacy	100	50	100	50	200	100
Anatomy	200	100	200	100	400	200
Physiology	200	100	200	100	400	200".

10. In the principal regulations, after regulation 7, the following regulation shall be inserted, namely:-

"7A. Each college shall impart teaching and training to all the students in all the classes for theory and practical or clinical including tutorial and seminar for minimum of seven working hours on a working day (including thirty minutes of lunch).".

11. In the principal regulations, for regulation 8, the following regulation shall be substituted, namely:-

"8. Second B.H.M.S examination.— Subject to the provisions of sub-clause (c) of clause (iii) of regulation 11, no candidate shall be admitted to the Second B.H.M.S examination unless he has passed the First B.H.M.S examination and has required attendance as per clause (iii) of regulation 13 to the satisfaction of the Head of the Homoeopathic Medical College.

(ii) The Second BHMS examination shall be held in the 24th month of admission to First BHMS.

(iii) The minimum number of hours for lecture, demonstration or practical or clinical classes and seminar in the subjects shall be as follows, namely:-

Sl. No.	Subject	Theoretical lecture (in hours)	Practical or clinical or tutorial or seminar (in hours)
1.	Pathology	200	80
2.	Forensic Medicine and Toxicology	80	40
3.	Organon of Medicine with Homoeopathic Philosophy	160	60
4.	Homoeopathic Materia Medica	160	60
5.	Surgery	80	60 (One term of three months in surgical ward and outpatient department).
6.	Gynaecology and Obstetrics	40 and 40=80	60 (One term of three months in gynaecology and obstetrics ward and outpatient department).

(iv) In order to pass the Second B.H.M.S examination, a candidate has to pass all the subjects of examination.

(v) Full marks for each subject and minimum marks required for pass are as follows, namely:-

Subject	Written		Practical or clinical including oral		Total	
	Full marks	Pass marks	Full marks	Pass marks	Full marks	Pass marks
Pathology	200	100	100	50	300	150
Forensic medicine and toxicology	100	50	100	50	200	100
Homoeopathic materia medica	100	50	100	50	200	100
Organon of medicine	100	50	100	50	200	100".

12. In the principal regulations, for regulation 9, the following regulation shall be substituted, namely:-

"9. Third B.H.M.S examination.— Subject to the provisions of sub-clause (a) of clause (iii) of regulation 11, no candidate shall be admitted to the Third B.H.M.S examination unless he has passed the Second B.H.M.S examination and has

required attendance as per clause (iii) of regulation 13 to the satisfaction of the Head of the Homoeopathic Medical College.

(ii) The Third B.H.M.S examination shall be held in the 36th month of admission to First B.H.M.S.

(iii) The minimum number of hours for lecture, demonstration or practical or clinical classes and seminar in the subjects shall be as follows, namely:—

S.I. No.	Subject	Theoretical lecture (in hours)	Practical or clinical or tutorial or seminars (in hours).
1.	Practice of medicine and Homoeopathic therapeutics	50}75 25}	75 One term of three months each in outpatient department and inpatient department in different wards or department.
2.	Surgery including ENT Ophthalmology and Dental and Homoeopathic therapeutics	100}150 50}	75 One term of three months each in surgical ward and outpatient department.
3.	Obstetrics and Gynaecology , Infant Care and Homoeopathic therapeutics	100}150 50}	75 One term of three months gynaecology and obstetrics ward and outpatient department.
4.	Homoeopathic Materia Medica	100	75
5.	Organon of Medicine	100	75
6.	Repertory	50	25
7.	Community Medicine	35	15

(iv) In order to pass the Third B.H.M.S examination, a candidate has to pass all the subjects of examination.

(v) Full marks for each subject and minimum marks required for pass are as follows, namely:—

Subject	Written		Practical or clinical including oral		Total	
	Full marks	Pass marks	Full marks	Pass marks	Full marks	Pass marks
Surgery	200	100	200	100	400	200
Gynaecology and Obstetrics	200	100	200	100	400	200
Homoeopathic Materia Medica	100	50	100	50	200	100
Organon of Medicine	100	50	100	50	200	100”.

13. In the principal regulations, for regulation 10, the following regulation shall be substituted, namely:—

“10. Fourth B.H.M.S examination.— Subject to the provisions of sub-clause (b) of clause (iii) of regulation 11, no candidate shall be admitted to the Fourth B.H.M.S examination unless he has passed the Third B.H.M.S examination and has required attendance as per clause (iii) of regulation 13 to the satisfaction of the Head of the Homoeopathic Medical College.

(ii) The Fourth BHMS examination shall be held in the 54th month of admission to First B.H.M.S.

(iii) The minimum number of hours for lecture, demonstration or practical or clinical classes and seminar in the subjects shall be as follows, namely:—

Subject	Theoretical lecture (in hours)	Practical or clinical or tutorial classes (in hours)
Practice of Medicine	120} 180 60}	One term of three months each in outpatient department and inpatient department respectively for case taking, analysis, evaluation and provisional prescription just for case presentation on ten cases per month.
Homoeopathic Materia Medica	180	
Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy	180	
Repertory	100	
Community Medicine	100	100

(iv) In order to pass the Third B.H.M.S examination, a candidate has to pass in all the subjects of examination.

(v) Full marks for each subject and minimum marks required for pass are as follows, namely: —

Subject	Written		Practical or clinical including oral		Total	
	Full marks	Pass marks	Full marks	Pass marks	Full marks	Pass marks
Practice of medicine	200	100	200	100	400	200
Homoeopathic materia medica	200	100	200	100	400	200
Organon of medicine with homoeopathic philosophy	200	100	100	50	300	150
Repertory	100	50	100	50	200	100
Community medicine	100	50	100	50	200	100".

14. In the principal regulations, in regulation 11, -

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: —

“(i) the examining body shall ensure that the results of the examination are published at the maximum within one month of the last date of examination so that students can complete the course in 5½ yrs. after admission.”;

(b) in clause (iii), for sub-clause (c), the sub-clause shall be substituted, namely: —

“(c) the candidate shall pass First B.H.M.S examination in all the subjects at least one term (six months) before he is allowed to appear in the Second B.H.M.S examination provided that he has passed in the subjects of anatomy and physiology (including Biochemistry) examinations two terms (twelve months) before he is allowed to appear in the Second B.H.M.S examination.”;

(c) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely: —

“(iv) a candidate who appears at First B.H.M.S examination, Second B.H.M.S examination, Third B.H.M.S examination or Fourth B.H.M.S examination but fails to pass in the subject or subjects shall be re-admitted to the next examination in the subject or subjects (theory and practical or clinical including oral or practical or clinical wherein he has failed);”;

(d) for clause (viii), the following shall be substituted, namely: —

“(viii) the University or examining authority shall have the discretion to award grace marks at the maximum to ten marks in total if a student fails in one or more subjects.”.

15. In the principal regulations, for regulation 12, the following regulation shall be substituted, namely: —

“12. Examiners.— (i) No person other than the holder of qualification prescribed for the teaching staff in the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013 (as amended from time to time) shall be appointed as an internal or external examiner or paper-setter or moderator for the B.H.M.S Degree Course:

Provided that, —

- (a) no such person shall be appointed as an examiner unless he has at least three years' continuous regular teaching experience in the subject concerned, gained in a degree level Homoeopathic Medical College.
- (b) internal examiners shall be appointed from amongst the teaching staff of the Homoeopathic Medical College to which the candidate or student belongs.

(ii) The criteria for appointing the Chairman or paper-setter or moderator shall be as follows, namely: —

(1) Chairman: Senior most person from amongst the examiners or paper-setters appointed for theory and oral or practical or clinical examinations shall be appointed as Chairman and the eligibility qualification for the Chairman shall be the same as for appointment of a Professor.

(2) Moderator: A Professor or Associate Professor or Reader shall be eligible to be appointed as moderator:

Provided that an Assistant Professor or Lecturer with five years experience as an examiner; shall be eligible to be appointed as moderator.

(3) Paper-setter: A Professor or Associate Professor or Reader shall be appointed as a paper-setter:

Provided that an Assistant Professor or Lecturer with three years experience as an examiner shall be eligible to be appointed as Paper-setter. ”.

16. In the principal regulations, in regulation 13,—

(a) for clause (iii) the following clause shall be substituted, namely:-

“(iii) seventy five per cent attendance at the minimum in each of the subjects (in theory and practical including clinical) for appearing in the University examinations shall be compulsory”;

(b) for clauses (vii) and (viii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(vii) There shall be a regular examination and a supplementary examination in a year and the supplementary examination shall be conducted within two months of declaration of results (including issue of mark sheets);

(viii) For non-appearance in an examination for any reason, a candidate shall not have any liberty for availing additional chance to appear in that examination.”.

17. In the principal regulations, in regulation 14, for clause (v) the following clause shall be substituted, namely: —

“(v) Migration or transfer of students from one college to another:

(a) Migration from one college to other is not a right of a student.

(b) Migration of students from the Homoeopathic College to another Homoeopathic College in India shall be considered by the Central Council of Homoeopathy only in exceptional cases on extreme compassionate grounds, provided following criterias are fulfilled. Routine migrations on other grounds shall not be allowed;

(c) Both the college, i.e. one at which the student is studying at present and one to which migration is sought are recognised as per provisions of Homoeopathy Central Council Act.

(d) The applicant shall have passed First B.H.M.S examination.

(e) The applicant shall submit his application in the Format annexed below for migration, complete in all respects, to the principal of his college within a period of one month of passing (declaration of result) the first professional Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) examination.

(f) The applicant shall submit an affidavit stating that he shall pursue twelve months of prescribed study before appearing at second professional B.H.M.S examination at the transferee college, which shall be duly certified by the Registrar of the concerned University in which he is seeking transfer and the transfer shall be effective only after receipt of the affidavit.

(g) Migration during internship training shall be allowed on extreme compassionate grounds, provided that such migration shall be allowed only with the mutual consent of the concerned Colleges, where both the college, i.e. one at which the student is studying at present and one to which migration is sought are recognised as per provisions of Homoeopathy Central Council Act.

Note 1:

(A) All applications for migration shall be referred to Central Council of Homoeopathy by college authorities. No institution or University shall allow migrations directly without the approval of the Central Council.

(B) The Central Council of Homoeopathy reserves the right not to entertain any application except under the following compassionate grounds, namely:-

- (i) death of a supporting guardian;
- (ii) illness of candidate causing disability supported by medical grounds certified by a recognised hospital;
- (iii) disturbed conditions as declared by concerned Government in the area where the college is situated.

(C) A student applying for transfer on compassionate ground shall apply in ‘Format 1’ in complete manner with requisite documents.

18. In the principal regulations, in Annexure ‘A’, -

- (a) in paragraph 1, sub-paragraph (v) shall be omitted;
- (b) in paragraph 2,-
 - (a) for sub-paragraph (ii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(ii) (a) The stress during the internship training shall be on case taking, analysis and evaluation of symptoms, nosological and miasmatic diagnosis, totality of symptoms, repertorisation and management of sick people based on principles of Homoeopathy;
 - (b) The Principal or Head of the College in consultation with heads of concerned clinical departments (including Organon of Medicine, Materia Medica and Repertory) shall make medical units having integration of teaching faculty of concerned departments to regulate internship training to be given to each student;
 - (c) Weekly seminars shall be conducted wherein interns in rotation be given a chance to present their cases for discussion and concerned teachers shall assess performance of each of interns;
 - (d) Resident Medical Officer shall co-ordinate with teachers concerned in conduct of weekly seminars.
- (b) sub-paragraph (viii) shall be omitted.

19. In the principal regulations, after Annexure ‘A’, the following Annexure and Format 1 shall respectively be inserted, namely:-

“Annexure -‘B’

(See regulation 6)

Educational Tour

Components:

Number of Students:

Name of teachers accompanying students:

What the tour is about- an overview:

Prerequisites –What knowledge the students must know before going for tour :

How it will be organised:

Approaches to teaching or learning and assessment:

Aim and objective:

1. To provide the basic knowledge of practical aspects of pharmacy/ FMT/ community medicine by exposure of students to pharmaceutical labs. and HPL/ district courts/ hospitals/ milk dairies/ PHC/ I.D. Hospitals/ industrial units/ sewage treatment plants/ water purification plants as the case may be.
2. To inspire students for their involvement in study during the said visits to learn the related procedures.
3. To provide the platform for evaluation of their skill and knowledge by interactive methodology.
4. To infuse confidence amongst students about homoeopathy, its future and their career.
5. To provide interaction between students, induce decision making skills and to motivate them for better vision about their future.

6. To improve cognitive skills (thinking and analysis).
7. To improve communication skills (personal and academic).

Learning outcomes:

1. To be more than a wish list objectives, need to be realistic, pragmatic, understandable and achievable.
2. The focus should be on what students will be able to do or how they will show that they know, and how this will help in their career and individual growth.
3. Knowledge we want the students to have by the end of the course.
4. Skills we want the students to master by the end of the course.
5. Attitudes we want students to demonstrate at the ends of the course.

Note: It shall be an essential part of the Journal on the subject a viva- voice can be put in respect of it.

Resources

1. Essential and recommended text books.
2. Journals and other readings.
3. Equipment and apparatus.

Visit record

1. Places visited with photographs
2. Programmes organised during visit.
3. Summary.

Assignment or project report

1. Description of assignments.
2. Due dates of assignments.
3. Preparation method for the project report
 - (i) Purpose.
 - (ii) Schedule.
 - (iii) Places visited.
 - (iv) Details of visit.
 - (v) Summary of achievements or learnings.

Format-1

[See regulation 14(v)]

Migration of Mr./Miss. _____ from _____ Homoeopathic Medical College _____ to _____ Homoeopathic Medical College _____

1. Date of admission in First B.H.M.S course
2. Date of passing First B.H.M.S University examination
3. Date of application
4. No objection certificate from relieving college (enclosed) -Yes/No
5. No objection certificate from relieving University(enclosed) –Yes/No
6. No objection certificate from receiving college(enclosed) - Yes/No
7. No objection certificate from receiving University(enclosed) –Yes/No
8. No objection certificate from State Government wherein the relieving college is located – Yes/No.
9. Affidavit, duly sworn before First Class Magistrate containing an undertaking that “I will study for full twelve months in existing class of B.H.M.S course in transferred Homoeopathic Medical College before appearing in the IIInd Professional University examination” (enclosed) -Yes/No

10. Reasons for migration in brief(please enclose copy of proof) - Yes/No

11. Permanent address: _____".

Dr. LALIT VERMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./147/15 (133)]

Note: - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 *vide* number 7-1/83/CCH dated the 11th May, 1983 and subsequently amended *vide* :-

1. 12-13/87-CCH (Pt. II) dated the 24th September, 2003; and
2. 12-4/2000-CCH (Pt.-I) dated the 13th June, 2005.